NFDC
cinemas of india

National Film Development Corporation Limited

A Government of India Enterprise

42nd Annual Report 2016-17

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

42वीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

NFDC
cinemas of india

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

42वीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

National Film Development Corporation Limited

A Government of India Enterprise

42nd Annual Report 2016-17

NFDC
cinemas of india

THE FILM CAFÉ

RELEASING 5th AUGUST

CHAUTHI KOOT

PUNJAB IN THE 1980s...

ਚੌਥੀ ਕੂਟ

A FILM BY GURVINDER SINGH

OFFICIAL SELECTION
UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES

India Gold
Mumbai Film Festival
2015

Best Film
Singapore International Film Festival
2015

Grand Prix
Belgrade Auteur Film Festival
2015

National Award
Best Punjabi Film
2016

विषय सूची Contents

निदेशक मंडल
Board of Directors 5

हमारे बारे में
About us 7

फिल्म निर्माण
Film Production 9

वितरण
Distribution 11

प्रमोशन
Promotion 13

प्रशिक्षण और विकास
Training & Development 15

सूचना
Notice 16

अंशधारकों को प्रबंध निदेशक का पत्र
Managing Director's Letter to Shareholders 17

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report 18

अनुलग्नक – I
Annexure – I 29

अनुलग्नक – II
Annexure – II 38

प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट
Management Analysis Report 44

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र
Auditors' Certificate on Corporate Governance 53

आचार संहिता प्रमाणपत्र
Certificate on Code of Conduct 54

दिनांक 31 मार्च 2017 का तुलन पत्र
Balance Sheet as on 31st March 2017 55

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि का विवरण
Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2017 56

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2017 57

लेखाओं पर टिप्पणियां
Notes on Accounts 59

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report 84

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "क"
Annexure – "A" to the Independent Auditors' Report 88

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "ख"
Annexure – "B" to the Auditors' Report 91

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "ग"
Annexure – "C" to the Auditors' Report 93

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार, की टिप्पणियां
Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of National Film Development Corporation Ltd. for the year ended 31st March 2017 94

पंजीकृत कार्यालय **मुम्बई**

डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, छठी मंजिल,
नेहरू सेंटर, डॉ ॲनी बेसंट रोड,
वरली, मुम्बई – 400 018
सीआईएन यू92100एमएच1975जीओआई022994

क्षेत्रीय कार्यालय **चेन्नई**

पहली मंजिल, को ऑप्टेक्स वेअर हाउस
बिल्डिंग,
350, पेंथोन रोड, इगमोर,
चेन्नई – 600 008

कोलकाता

आरआयसी इंडस्ट्रियल इस्टेट कम्पाउंड,
उपेन बेनर्जी रोड, पर्नाश्री, बेहाला,
कोलकाता 700 060

नई दिल्ली

चौथी मंजिल, सूचना भवन,
फेज – 1, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003

शाखा कार्यालय **तिरूवनंतपुरम**

चित्रांजली स्टूडिओ कॉम्प्लेक्स,
तिरूवनंतपुरम – 695027

बैंक एच.डी.एफ.सी. बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

पंजाब नैशनल बैंक

आयडीबीआय बैंक

यस बैंक

बैंक ऑफ इंडिया

लेखा परीक्षक टस्की असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
मुम्बई कार्यालय – 1/10, किनारा
कॉ.ओ.हाउसिंग सोसाइटी, बांद्रा रेक्लेमेशन,
मुम्बई – 400 050

Registered Office **Mumbai**

Discovery of India Building (6th Floor),
Nehru Center, Dr. Annie Besant Road,
Worli, Mumbai – 400 018
CIN U92100MH1975GOI022994

Regional Offices **Chennai**

1st Floor, Co-optex Warehouse Building,
350, Pantheon Road, Egmore
Chennai – 600 008

Kolkata

R.I.C. Industrial ,Estate Compound,
Upen Banerjee Road, Parnasree,
Behala, Kolkata – 700 060

New Delhi

4th Floor, Soochana Bhavan,
Phase I, C.G.O. Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110 003

Camp office **Thiruvananthapuram**

Chitranjali Studio Complex
Thiruvananthapuram – 695 027

Bankers H.D.F.C Bank

State Bank of India

State Bank of Travancore

Punjab National Bank

IDBI Bank

Yes Bank

Bank of India

Auditor Tasky Associates
Chartered Accountants
Mumbai Office – 1/10, Kinara CHS,
Bandra Reclamation,
Mumbai 400 050

निदेशक मंडल
(31/03/2017 को)

Board of Directors
(As on 31/03/2017)

पूर्ण कालिक निदेशक Full-time Directors

नीना लाठ गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक
Nina Lath Gupta
Managing Director

एन. जे. शेख
निदेशक (वित्त)
N.J. Shaikh
Director (Finance)

अंशकालिक निदेशक (सरकारी) Part-time Directors (Official)

के. संजय मूर्ति
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(27.02.2017 से)
K. Sanjay Murthy
Government Nominee Director
(From 27.02.2017)

डॉ. सुभाष शर्मा
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Dr. Subhash Sharma
Government Nominee Director

स्वतंत्र निदेशक Independent Directors

अनुपमा चोपड़ा
(08.02.2017 से)
Anupama Chopra
(From 08.02.2017)

परिकल्पना

सिनेमाज ऑफ इंडिया मिशन के प्रति अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सराहना एवं उत्सव भावना का सृजन.

Vision

To create domestic and global appreciation and celebration of the Cinemas of India.

लक्ष्य

एनएफडीसी का उद्देश्य है सिनेमा में उत्कृष्टता एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों के समर्थन तथा प्रोत्साहन के जरिये इसकी विविधतापूर्ण संस्कृति का उन्नयन.

Mission

NFDC aims at fostering excellence in cinema and promoting the diversity of its culture by supporting and encouraging films made in various Indian languages.

हमारे बारे में

वर्ष 1975 में समामेलित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) की स्थापना भारत सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग के सुनियोजित, सुसंबध्द एवं समग्र विकास जैसे मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की थी

पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारतीय सिनेमा के विकास के लिए आवश्यक विस्तृत सेवाएं प्रदान कि है। एनएफडीसी (और इसके पूर्ववर्ती फिल्म फाइनेंस कार्पोरेशन) ने अब तक 21 भारतीय भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है/उनके लिए फंड उपलब्ध किये है इन फिल्मों की विश्व भर में सराहना हुई है और इन्हें अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए है। एनएफडीसी द्वारा निर्मित/सह-निर्मित विशेष उल्लेखनीय फिल्मों में प्रमुख है –

सर रिचर्ड एटनबरो निर्देशित *गांधी* (8 अॅकेडॅमी पुरस्कार प्राप्त), सत्यजित रॉय की *गणशत्रु*, *घरे बैरे*, श्याम बेनेगल की *द मेकिंग ऑफ द महात्मा*, मीरा नायर निर्देशित *सलाम बॉम्बे*, रितेश बात्रा की *लंच बॉक्स*, केतन मेहता की *मिर्च मसाला*, कुंदन शाह की *जाने भी दो यारो*, *द गुड रोड*, (भारत की अधिकृत ऑस्कर चयन 2013), के.एस.सेतुमाधवन द्वारा *मरूपक्कम*, कल्पना लाजमी की *रुदाली*, पामेला रुक्स की *मिस बैटीज चिल्ड्रेन*, राजन खोसा निर्देशित *डांस ऑफ द विंड*, डॉ. जब्बार पटेल निर्देशित *डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर* आदि.

- एनएफडीसी ने और आगे ब्रांड, सिनेमाजऑफइंडिया, के अन्तर्गत फिल्म निर्माण और वितरण फिल्म प्रदर्शन, रेस्टोरेशन, फिल्म बाजार, डिजिटल नॉन-लिनिअर एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, उपशीर्षक आदि में अपनी श्रेष्ठ गुणवत्ता को बढ़ाया.

- एनएफडीसी सरकारी एजेंसियों और विज्ञापन निर्माण, वृत्तचित्र, लघु फिल्म, टीवी श्रृंखला, वेब विज्ञापन, रेडियो श्रृंखला और विषयगत संगीत एंथम्स के लिए 360 डिग्री एकीकृत विपणन सोल्यूशन्स भी प्रदान करती है.

- इस संबंध में यह विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है कि वितरण गतिविधियों ने फिल्म के वितरण और प्रदर्शनी के लिए विभिन्न स्थापित और उभरते फॉर्मेट्स शामिल किए है, जिनमें परंपरागत थिएट्रीकल रिलीज से लेकर डिजिटल स्वरूपों जैसे वीओडी, इस तरह उच्च गुणवत्ता वाली फिल्में भारतीय दर्शकों को उचित दर में उपलब्ध कराते है.

About us

Incorporated in the year 1975, National Film Development Corporation Limited (NFDC) was formed by the Government of India with the primary objective of planning, promoting and organizing an integrated and efficient development of the Indian film industry.

Over the years NFDC has provided a wide range of services essential to the growth of Indian Cinema. The NFDC (and its predecessor the Film Finance Corporation) has so far funded/produced over 300 films in 21 Indian languages, have been widely acclaimed and have won many National and International Awards. Some of the landmark films produced/Co-produced by NFDC are –

Gandhi by Sir Richard Attenborough (Winner of 8 Academy Awards), *Ganashatru* and *Ghare Baire* by Satyajit Ray, *The Making of Mahatma* by Shyam Benegal, *Salaam Bombay* by Mira Nair, *Lunch Box* by Ritesh Batra, *Mirch Masala* by Ketan Mehta, *Jaane Bhi Do Yaaro* by Kundan Shah, *The Good Road* (India's official Oscar selection 2013), *Marupakkam* by K.S.Sethumadhavan, *Rudaali* by Kalpana Lajmi, *Miss Beaty's Children* by Pamela Rooks, *Dance of the Wind* by Rajan Khosa, *Dr. Babasaheb Ambedkar* by Dr. Jabbar Patel etc.

- NFDC further enhanced its forte in production and distribution under the brand, Cinemas of India, film exhibition, restoration, Film Bazaar, training in digital non-linear editing, cinematography, subtitling etc.

- NFDC also provides 360 degrees of integrated marketing solutions for Government Agencies and produces advertisements, documentaries, short films, TV series, web advertisements, radio series and thematic musical anthems.

- In this regard it may specially be mentioned that distribution activity straddled various established and emerging formats for distribution and exhibition of film, ranging from the conventional theatrical release to digital formats such as VOD, thus making high quality cinema available at reasonable rates to Indian viewers.

फिल्म निर्माण

1. एनएफडीसी का फिल्म निर्माण विभाग नई प्रतिभाओं का विकास एवं नवोदित फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म निर्माण तथा भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के साथ भागीदारी में अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों के सहनिर्माण के जरिये भारतीय संस्कृति को बढावा देने के प्रमुख उद्देश्य को समर्थन देता है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना – विभिन्न क्षेत्रीय/भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण – भारत के सबसे कल्पनाशील, विविधतापूर्ण एवं ओजस्वी फिल्म संस्कृति का प्रदर्शन करने का साधन है.

2. इस योजना के जरिये 18 नवोदित फिल्म निर्माताओं का समावेश हुआ तथा हिन्दी सहित 14 भारतीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण/सहनिर्माण किया गया. इस तरह विविध संस्कृतियों के बहु प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं के समुदाय का समर्थन.

3. फिल्म निर्माण के अलावा, एनएफडीसी विभिन्न सरकारी ग्राहकों के लिए विज्ञापन, वृत्तचित्र, लघु फिल्में टीवी धारावाहिक, वेब विज्ञापनों, रेडिओ श्रृंखला और कथ्यपरक संगीत गान का भी निर्माण करता है जोकि बाद में सरकारी ग्राहकों द्वारा विभिन्न मीडिया प्लेटफोर्मों पर प्रदर्शित किये जाते है.

Film Production

1. The Production Department at NFDC supports and drives NFDC's mission to develop new talent and to promote Indian culture through production of films by first time feature filmmakers and through Co-producing good quality films in partnership with Indian and International filmmakers. The successful execution of the 11th & 12th Five Year Plan Schemes of the Ministry of Information & Broadcasting – Film Production in various Regional/Indian languages – is a means to showcase India's most imaginative, diverse and vibrant film culture.

2. 18 first time filmmakers were introduced through the Plan Scheme and films across 14 Indian languages including Hindi, were Produced/ Co-produced, thus supporting a community of multitalented filmmakers, across diverse cultures.

3. Apart from production of films, NFDC also produces advertisements, documentaries, short films, TV series, web advertisements, radio series and thematic musical anthems for various Govt. clients, which are subsequently released across various media platforms by the patron.

Cinemas of India
MARATHI
२० म्हंजे २०
VEES MHANJE VEES
A Film by Uday Bhandarkar
NFDC
COLLECTOR'S EDITION
DVD

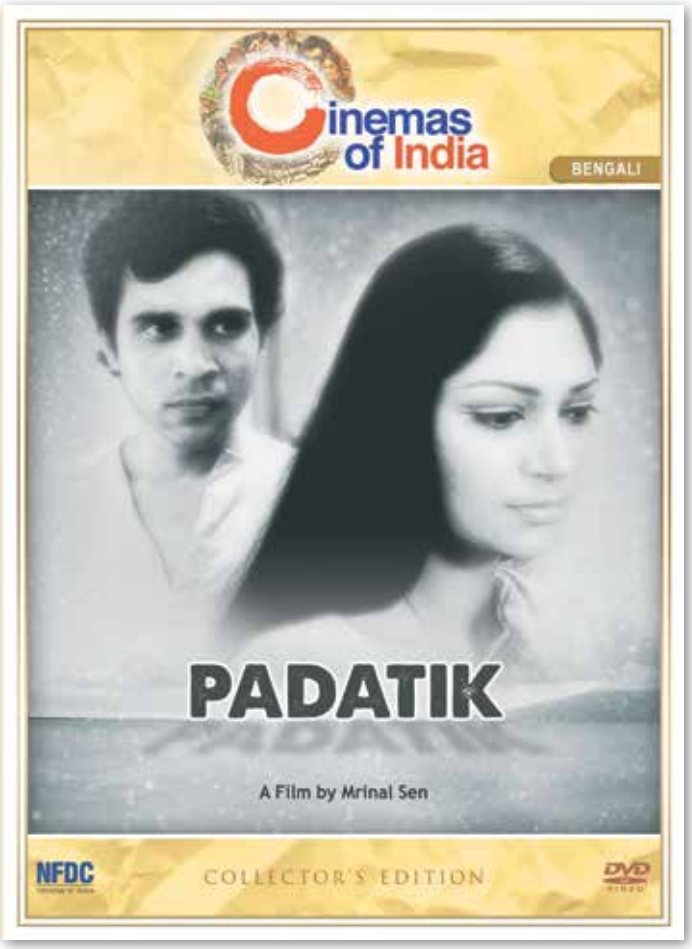
Cinemas of India
BENGALI
PADATIK
A Film by Mrinal Sen
NFDC
COLLECTOR'S EDITION
DVD

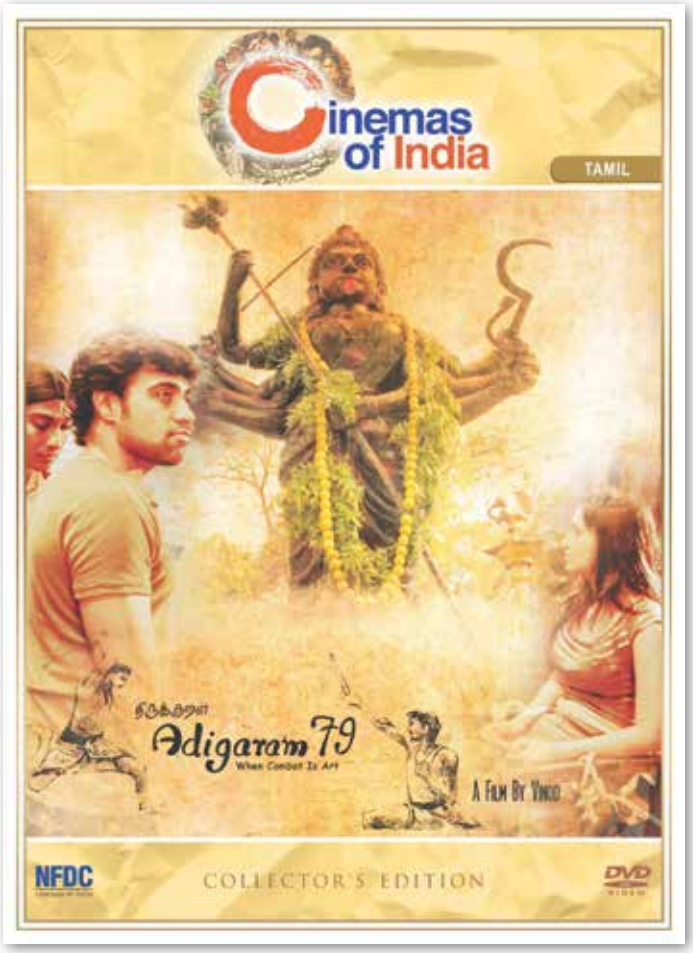
Cinemas of India
TAMIL
Adigaram 79
When Combat Is Art
A Film By Vinod
NFDC
COLLECTOR'S EDITION
DVD

Cinemas of India
BHOJPURI
NFDC presents
HE...
A Film By Manilesh Joshi
NFDC
COLLECTOR'S EDITION
DVD

वितरण

एनएफडीसी की वितरण व्यवस्था पूरे देश में नए युग के डिजिटल और गैर-पारंपरिक रूप में प्रवेश करने का लगातार प्रयास फिल्म समारोह तथा फिल्म बाजार के प्रभाव से करता है जोकि एनएफडीसी की फिल्मों के लिए वैश्विक वितरण नेटवर्क के महत्वपूर्ण और केंद्रीय घटक है.

इसके 7 प्रमुख शिरोबिंदू के साथ एनएफडीसी अपना सिनेमा को उनके दर्शकों तक ले जाने में सफल रहे है. इसके थीम आधारित सिनेमा के लिए मुख्य आय उत्पन्न करने के अलावा, एनएफडीसी दुनिया भर के सिनेमा के चाहतों का लगातार दिल जीत रहा है.

अच्छे सिनेमा को बढावा देने के लिए एनएफडीसी के जनादेश को देखते हुए, भारत में फिल्मों के वितरण के लिए निर्माण और अन्य स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं जिनकी पहूंच घरेलू तक सीमित है उन दोनों के लिए एक स्थायी तंत्र विकसित करने के लिए निगम ने सिनेमाज ऑफ इंडिया (वीओडी मंच) ब्राण्ड शुरू किया.

सिनेमाज ऑफ इंडिया सभी मौजूदा तथा उभरते मीडिया प्लेटफार्मों जैसे सिनेमाघरों, होम वीडियो, वीडियो ऑन डिमांड पर (वीओडी), डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सिनेमाजऑफइंडिया.कॉम डीटीएच (डायरेक्ट टू होम), इन-फ्लाइट अन्य ओव्हर-द-टॉप (ओटीटी) जैसे मनोरंजन में अन्य प्लेटफॉर्म पर वितरण की सुविधा देता है.

Distribution

NFDC's distribution set up is continuously endeavoring to break into new age digital and non-traditional markets across the world by leveraging film festivals and film markets, which are critical and central component of the global distribution network for NFDC films.

With its 7 prominent verticals NFDC has been successful in taking their cinema to its audience. Apart from generating head turning revenues for its theme based niche cinema, NFDC continues to win hearts of connoisseurs of cinemas across the world.

Given NFDC's mandate to promote good cinema, the Corporation launched the brand Cinemas of India (VOD platform) to develop a sustainable mechanism for distribution of films in India, for both NFDC's productions and films from other independent filmmakers who may have limited access to domestic markets.

Cinemas of India facilitates distribution of films across existing and emerging media platforms such as In-theatres, Home Video, on Video-on-Demand (VOD) www.cinemasofindia.com, DTH (Direct to home), In-flight other Over-The-Top (OTT) Platforms Entertainment amongst others.

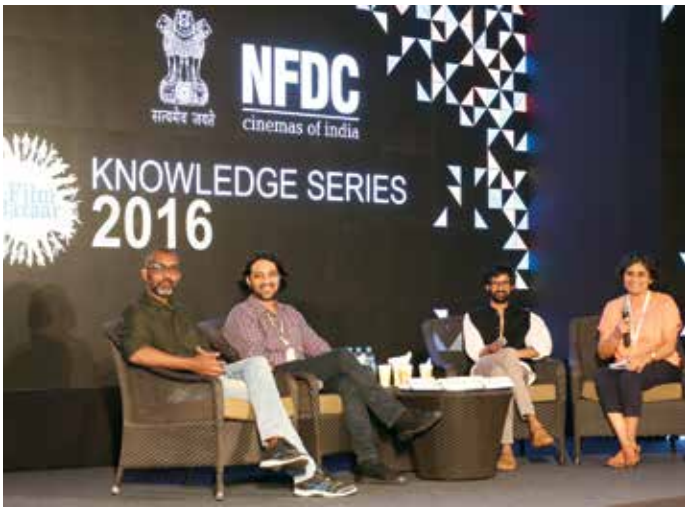
NFDC
cinemas of india
KNOWLEDGE SERIES
2016

LIGHTS! CAMERA! ACTION!
GUJARAT

प्रमोशन

फिल्म बाज़ार सबसे बड़ा दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट है. यह दक्षिण एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदायों के बीच रचनात्मक और वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है.

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा बनाई गई और संगठित, फिल्म बाजार 2007 से अपनी विनम्र शुरुआत से दक्षिण एशिया के वैश्विक फिल्म मार्केट में विकसित हुआ है। प्रत्येक संस्करण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के वृध्दि के गवाह है. बाजार का फिल्म मेर्किंग, निर्माण, वित्तपोषण, लॉन्चिंग और वितरण (समारोह भागीदारी सहित) के क्षेत्र में दक्षिण एशियाई सामग्री और प्रतिभा की खोज, समर्थन और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित है. दुनिया भर से फिल्म खरीदार और विक्रेताओं के लिए एक सम्मिलन बिंदु, बाजार का दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विश्व सिनेमा की बिक्री को सुविधाजनक बनाने का भी उद्देश्य है.

पिछले कुछ वर्षों में, फिल्में जैसे लंच बॉक्स, मार्गरीटा विथ ए स्ट्रॉ, चौथी कुट, किस्सा, शिप ऑफ थेसस, तितली, कोर्ट, अन्हे घोरे दा दान, मिस लवली, डम लगाके हाइशा, लायर्स डाइस, तिथी आदि ने बाज़ार के एक या अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया है. 2016 में, कनाडा के प्रतिनिधि मंडल सहित 36 देशों के 1206 प्रतिनिधियों ने फिल्म बाजार में भाग लिया।

फिल्म बाज़ार का 11 वां संस्करण 20-24 नवम्बर 2017 तक गोवा मैरियट रिसोर्ट में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ किया जायेगा.

Promotion

Film Bazaar is the largest South Asian film market. It encourages creative and financial collaboration between the South Asian and International film communities.

Created and organized by the National Film Development Corporation (NFDC), Film Bazaar has evolved into South Asia's global film market from its humble beginnings in 2007. Every edition witnesses increased national and international participation. The Bazaar is focused on discovering, supporting and showcasing South Asian content and talent, in the realm of filmmaking, production, funding, launching and distribution (including festival participation). A converging point for film buyers and sellers from all over the world, the Bazaar also aims at facilitating the sales of world cinema in the South Asian region.

Over the years, films such as Lunch Box, Margarita With A Straw, Chauthi Koot, Qissa, Ship of Theseus, Titli, Court, Anhe Ghode Da Daan, Miss Lovely, Dum Lagake Haisha, Liar's Dice Thithi etc. have been through one or more programmes of the Bazaar. In 2016, 1206 delegates from 36 countries attended Film Bazaar, including dedicated country delegation from Canada.

The 11th edition of Film Bazaar will be held from 20-24 November 2017 at the Goa Marriott Resort, alongside the International Film Festivals of India.

एनएफडीसी लैब्स

लैब्स: पटकथा लेखन | निर्देशन | सृजनात्मक निर्माण

मास्टर क्लासेस: सम्पादन | सिनेमाटोग्राफी | ध्वनि

NFDC LABS

LABS: SCREENWRITING | DIRECTING | CREATIVE PRODUCING

MASTER CLASSES: EDITING | CINEMATOGRAPHY | SOUND

प्रशिक्षण और विकास

फिल्म सेक्टर में मिड कैरियर ट्रेनिंग के अवसरों और कथ्य को लेकर रिसर्च तथा उसके विकास क्षेत्र के अभाव को देखते हुए इनकी बढती आवश्यकता की पूर्ति के लिए 2012 में प्रशिक्षण तथा विकास विभाग की स्थापना की गई.

एनएफडीसी लैब्स ब्रैंड के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि यह एनएफडीसी की फिल्मों तथा भारतीय फिल्म समुदाय के लिए दो तरह के आउटपुट प्रदान करेगा.

- व्यवसायिक फिल्म निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण, सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं – निर्देशन, लेखन, संपादन सिनेमाटोग्राफी तथा फिल्म निर्माण के लिए वर्कशॉप और मास्टर क्लासेस का प्रबंध.

- एनएफडीसी के भीतर ही एक डेवलपमेंट आर्म की व्यवस्था जिससे पटकथा तथा परियोजना विकास में सहायता मिल सके और एनएफडीसी के निर्माण विभाग तथा फिल्म उद्योग को भी निरंतर बेहतरीन प्रोजेक्ट्स तथा पटकथाएं मिलती रह सके.

विकास गतिविधियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के पेशेवरों के साथ दीर्घकालिक स्क्रिप्ट विकास कार्यक्रम शामिल हैं.

एनएफडीसी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत एविड और एफसीपी डिजिटल नॉन लीनियर एडिटिंग, ऑडिया डबिंग, डिजिटल सिनेमेटोग्राफी, मल्टीमीडिया सबटाइटलिंग आदि में विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है.

Training & Development

Given the gap in the area of mid – career training opportunities in the film sector, as also the need for greater focus on research and development in content creation, the Training & Development Division was set up in 2012.

It has been established under the brand NFDC Labs to deliver two outputs for the NFDC & Indian Film community.

- Training for Professional filmmakers, providing workshops and master – classes in core disciplines; Directing, Writing, Editing, Cinematography and Producing.

- Establish a development arm within the NFDC itself to support script and project development to ensure a steady flow of quality projects towards the NFDC production department and towards the Industry at large.

Development activities include long running Script development programmes with national and international industry professionals as mentors.

NFDC also conducts various training programmes in Avid & FCP Digital Non – Linear Editing, Audio Dubbing, Digital Cinematography, Multimedia Subtitling, etc., for students under State Government sponsored schemes.

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की 42 वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, दि. 22 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 2.00 बजे एनएफडीसी के निदेशक मंडल कक्ष, 7वीं मंजिल डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ.ए.बी.रोड, वरली, मुम्बई 400018 में निम्नलिखित विषयों के सम्पादनार्थ होगी –

सामान्य विषय

1. 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि लेखे तथा रोकड़ प्रवाह का विवरण, दिनांक 31 मार्च 2017 के लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा संशोधन सहित या संशोधन रहित निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना.

   "संकल्पित है कि दिनांक 31 मार्च, 2017 समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2017 समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित प्राप्त किये उन पर विचार किया गया तथा पारित की गई."

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

स्थान – मुम्बई
दिनांक – 29 नवम्बर 2017

ई.जे. पॉल
कम्पनी सचिव

टिप्पणी
सभा में उपस्थित रह कर मत देने का अधिकार प्राप्त सदस्य अपने स्थान पर मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति कर सकते है. परोक्षी कम्पनी का सदस्य हो यह आवश्यक नहीं..

Notice

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of National Film Development Corporation Limited will be held on Friday, the 22nd December, 2017 at 2.00 p.m. in the Board Room of NFDC at 7th Floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400018, to transact the business mentioned herein below –

Ordinary Business

1. To read, consider and adopt the Director's Report, Audited Statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2017, Balance Sheet as on 31st March, 2017 and Auditors' Report and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon and to pass with or without modification the following Resolution as an Ordinary Resolution.

   "RESOLVED that the Audited Balance Sheet as on 31st March, 2017, Statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2017 together with the Director's Report and the Auditors' Report and the comments of the Comptroller and Auditor General of India are hereby read, considered and adopted."

By Order of the Board of Directors
For National Film Development Corporation Limited

Place – Mumbai
Date – 29th November, 2017

E.J. Paul
Company Secretary

Note
A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a member.

अंशधारकों को प्रबंध निदेशक का पत्र

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. (एनएफडीसी) के निदेशकों की ओर से मुझे वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है.

यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले तीन वर्षों तक लगातार टैक्स पूर्व घाटा उठाने के बाद कंपनी वित्त वर्ष 2016-17 में नाममात्र करपूर्व लाभ अर्जित करने में सफल रही. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के नोटिफिकेशन नंबर 1/9/2009-एमयूसी दिनांक 30 अप्रैल 2015 की वजह से कंपनी एनएफडीसी को भारत सरकार के पब्लिसिटी कैंपेन कार्यान्वित करने और इसी के अनुसार भारत सरकार की रिवाइवल योजना के अनुरूप बिजनेस मॉडल पर काम कर सकने का मौका मिला. एनएफडीसी को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इसके कार्य निष्पादन में और सुधार होगा एवं विकास में गति आएगी.

एनएफडीसी एक संस्था के रूप में अपने नये कदमों के जरिये फिल्म उद्योग की सेवा के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ है जिनमें कथ्य एवं कौशल विकास के साथ साथ नयी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना शामिल है. इसके नवीन विचारों में से एक, 'फिल्म बाजार' नये फिल्मकारों के लिए बहुत शक्तिशाली मंच के रूप में उभरा है जहां वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बिरादरी को अपनी प्रतिभा से परिचित करा सकते हैं. जिन फिल्मों को फिल्म बाजार के अंतर्गत चिन्हित और प्रमोट किया गया उन्होंने भारतीय सिनेमा का परिदृश्य बदलने, कम बजट वाली फिल्मों को ताजगी भरे नये झोंके तरह पेश करने और अधिक से अधिक दर्शकों को इनकी ओर आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने पत्र क्रमांक एम-2101618/2017-एफ(एफ)(भाग I) दिनांक 29.08.2017 के जरिये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2017 के आयोजन का कार्यभार एनएफडीसी को सौंपा और इसके महाप्रबंधक श्री सुनीत टंडन को फेस्टिवल डायरेक्टर नामांकित किया.

बोर्ड के सभी निदेशकों तथा निगम के सभी अधिकारियों की ओर से मैं सूचना एवं प्रसारण कैंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल (रिटायर्ड) एवीएसएम माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूं जिनसे हमें अतीव सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा. मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री एन के सिन्हा के प्रति भी उनसे मिले निरंतर सहयोग के लिए आभार प्रकट करती हूं.

मैं बोर्ड के अपने सभी सम्माननीय साथियों, एनएफडीसी के सभी कर्मचारियों एवं कंपनी के स्टेक होल्डर्स को उनसे निगम को मिले बहुमूल्य सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद देती हूं.

नीना लाठ गुप्ता
प्रबंध निदेशक

Managing Director's Letter to Shareholders

On behalf of the Board of Directors of the National Film Development Corporation Limited (NFDC), I am happy to present a report on NFDC for the Financial Year 2016-17.

I have great pleasure in informing that after having incurred losses before tax continuously for the last three years, the Company was able to post a nominal profit before tax in the Financial Year 2016-17. The notification no.1/9/2009-MUC dated 30th April, 2015 by the Ministry of Information & Broadcasting, enabling NFDC to execute publicity campaigns for the Government of India, has helped the Company to function as per the business model envisaged in the revival plan approved by the Government of India. NFDC is expected to further improve its performance and continue its growth trajectory in the coming years.

NFDC remains firmly committed to serve the film industry as an institution for development initiatives, for content and skill development, as well as encouraging new talent. One of its initiatives, Film Bazaar, has emerged as an extremely powerful platform for upcoming filmmakers to showcase their talent to the national and international film fraternity. The films identified and promoted under Film Bazaar have played a significant role in changing the landscape of Indian Cinema, with more small budget films gaining traction and increasingly attracting audiences.

The Ministry of Information & Broadcasting, vide letter no.M-2101618/2017-F(F)(Part I) dated 29.08.2017, has assigned the task of organising the International Film Festival of India 2017 to NFDC, and has nominated Sunit Tandon, General Manager, as the Festival Director.

On behalf of the Board of Directors and all officials of the company, I would like to convey my sincere gratitude to the Hon'ble Union Minister for Information & Broadcasting, Smt. Smriti Zubin Irani, and to the Hon'ble Union Minister of State for Information & Broadcasting, Col. Rajyavardhan Singh Rathore (Retd.), AVSM, for the immense support and guidance received from them. I am also deeply grateful to Shri N.K. Sinha, Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, for his support and trust in the functioning of the company.

I would also like to express my thanks and appreciation to my esteemed colleagues on the Board and to all employees of NFDC, as also to other stakeholders of the company for their valuable support and co-operation to the company.

Nina Lath Gupta
Managing Director

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
अंशधारक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

निगम के निदेशक 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी के लेखा परीक्षित लेखों के साथ अपनी 42वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं.

1. निष्पादन की विशिष्टताएं

क. वित्तीय वर्ष 2013-2014, वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा वित्तीय वर्ष 2015-2016 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये कंपनी की निष्पादन विशिष्टताएं इस प्रकार रहीं –

Directors' Report

To,

The Shareholders

The Directors have pleasure in presenting the Forty Second Annual Report together with Audited accounts of the Company for the financial year ended March 31, 2017.

1. Performance Highlights

a. The highlights of performance of the company for the Financial Year 2016-17 as against the performance in FY 2015-16, FY 2014-15 and FY 2013-14 are as under –

रूपये लाख में
₹ in Lakhs

पैरामीटर्स	Parameters	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
सकल राजस्व	Gross Revenues	16815	11666	3463	12693
सकल अतिरिक्त राशि (ईबीआईडी टीए)	Gross Margin (EBIDTA)	203	(303)	(603)	(116)
कर पूर्व लाभ	Profit before Tax	7	(518)	(856)	(321)
कुल कीमत	Net Worth	2152	2343	1033	1957

2. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या.1/9/2009-एमयूसी दिनांक 30 अप्रैल 2015 द्वारा एनएफडीसी को केंद्र सरकार के विज्ञापन रिलीज करने वाली एक एजेंसी के तौर पर पुनः शामिल कर लिया जिससे एनएफडीसी 2010 में अनुमोदित रिवाइवल प्लान के बिजनेस मॉडल के अनुरूप काम कर सके. इससे कंपनी को वर्ष के दौरान नाममात्र करपूर्व लाभ अर्जित करने में सहायता मिली है.

3. लाभांश

31 मार्च 2017 को पिछले संचित तथा आगे लाये गये ₹ 2390 लाख के नुकसान तथा वित्त वर्ष 2016-17 में हुए घाटे (कर पश्चात) को भी देखते हुए 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये लाभांश की संस्तुति नहीं की जा रही है.

b. The Ministry of Information and Broadcasting vide letter No.1/9/2009-MUC dated 30 April 2015 has again included NFDC as an agency to release advertisements on behalf of the Central Government, enabling NFDC to function as per the business model envisaged in the Revival plan approved in 2010. This has helped the Company in making nominal profit before tax during the year.

c. Dividend

Due to accumulated and carried forward losses of ₹ 2390 Lakhs as on March 31, 2017, as also losses (after tax) for FY 2016-17, payment of dividend is not recommended for the year ended March 31, 2017.

2. वित्तीय समीक्षा

क. वित्तीय परिणामों का सार संक्षेप

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के कंपनी के वित्तीय परिणामों का सार संक्षेप नीचे दिया जा रहा है –

2. Financial Review

a. Summary of Financial Results

The summary of financial results of the company for the year ended March 31, 2017 is given below –

रूपये लाख में
₹ in Lakhs

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
सकल आय	Gross Income	16814.72	11666.50
ई बी आई डी टी ए	EBIDTA	203.28	(302.43)
वित्तीय खर्च	Financial Expenses	56.06	69.42
मूल्यह्रास	Depreciation	140.45	145.81
कर पूर्व लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) Before Tax	6.77	(517.65)
कर के लिये प्रावधान	Provision for Tax, etc.	197.77	1827.95
करों के बाद लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) After Tax	(191.00)	1310.30
घटाएं : लाभ/हानि आगे लाया गया	Less – Profit/(loss) Brought forward	(2199.23)	(3509.53)
ओपनिंग पर रिटेन की गई आय के सामने समंजित किया गया मूल्य ह्रास	Balance Carried to Balance Sheet	2390.24	2199.23

ख. अभिवृद्धि

वित्त वर्ष 2016--17 में कंपनी ने करपूर्व नाममात्र लाभ अर्जित किया. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने एनएफडीसी को भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों की ऑडियो वीडियो पब्लिसिटी का पुन: सौंप दिया. इससे एनएफडी सी को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रिवाइवल योजना के बिजनस मॉडल के अनुसार काम करने का अवसर मिल गया. एनएफडीसी को विश्वास है कि कंपनी लाभ कमाएगी और आगामी वर्षो में विकास की ओर उन्मुख होती रहेगी

ग. सकल स्वामित्व

31मार्च 2017 को कंपनी का सकल स्वामित्व ₹ 2152 लाख का था. (पिछले वर्ष ₹ 2343.08 लाख).

घ. विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा निर्गामी व्यय संबंधी विवरण

विदेशी मुद्रा में आय ₹ 52.50 लाख की है जबकि पिछले वर्ष यही आय ₹ 150.07 लाख थी. विदेशी मुद्रा में व्यय ₹ 69.16 लाख हुआ. (पिछले वर्ष व्यय: ₹ 69.41 लाख).

3. वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 92(3) तथा कंपनीज (मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन) 2013 के नियम के अनुरूप 31मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2016-17 के वार्षिक रिटर्न का सारांश इसके साथ संलग्न है. (अनुलग्नक - 1)

4. निदेशकों का दायित्व संबंधी वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (सी) के अंतर्गत यह पुष्ट किया जाता है कि –

i. 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए समय के हिसाब किताब का वार्षिक लेखा तैयार करने में हिसाब किताब के वही मानदंड अपनाये गये हैं जो आमतौर पर अपनाये जाते हैं. साथ में वित्तीय विवरणों से संबंधित आवश्यक स्पष्टीकरण भी दे दिये गये हैं.

ii. हिसाब किताब के संबंध में उन्हीं नीतियों का चुनाव किया गया तथा सुसंगत रूप में लागू किया और अनुमान एवं निर्णय लिये गये जो सही तथा तथ्यपरक हैं, जो कंपनी के मामलों का सही और सच्चा विवरण देने में समर्थ हैं, कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और लाभ अथवा हानि का सही और सच्चा विवरण देते हैं.

iii. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की अनियमितताओं तथा जालसाजी आदि को रोकने के लिये लेखे जोखे का रिकॉर्ड इस अधिनियम की धाराओं के अनुरूप पर्याप्त रूप से रखा गया है और इसकी देखभाल के लिये पर्याप्त इंतजाम किये हैं.

iv. वार्षिक लेखे जोखे का विवरण संचलित संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है.

v. सभी लागू नियमों के प्रावधानों का भली भांति अनुपालन करने के लिए समुचित कार्यप्रणाली विकसित कर ली गई है और यह कार्यप्रणाली पर्याप्त रूप से प्रभावशाली है.

5. कंपनी की गतिविधियां

फिल्म निर्माण

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण; शीर्षक के अंतर्गत फिल्म निर्माण विभाग ऐसी फिल्मों का निर्माण अथवा सहनिर्माण करता है जो भारत के सिनेमा को प्रतिबिंबित करती हों. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. फिल्मों का निर्माण अथवा सहनिर्माण फिल्म निर्माण के दिशा निर्देशों के अंतर्गत करता है.

b. Growth

In the financial year 2016-17, the company was able to post a nominal profit before tax. The notification by the Ministry of Information & Broadcasting enabling NFDC as an agency to release advertisements on behalf of the Central Govt., has helped NFDC to function as per the business model envisaged in the revival plan approved by the Govt. of India. NFDC is expected to make profits and continue its growth trajectory in the coming years.

c. Net Worth

The net worth of the company stands at ₹ 2152 Lakhs as on March 31, 2017 (Previous year ₹ 2343.08 Lakhs).

d. Particulars regarding conservation of Foreign Exchange Earnings and Outgo

Earnings in foreign exchange are ₹ 52.50 Lakhs against ₹ 150.07 Lakhs in the previous year and expenditure in foreign currency is ₹ 69.16 Lakhs (previous year ₹ 69.41 Lakhs).

3. Extract of Annual Return

As required under the provisions of the Section 92(3) of the Companies Act, 2013, the extract of the Annual Return of the Company for the year 2016-17 is enclosed herewith. (Annexure - I)

4. Directors' Responsibility Statement

Pursuant to Section 134 (c) of the Companies Act, 2013, it is hereby confirmed that –

i. In the preparation of the Annual Accounts for the period ended March 31, 2017, the applicable accounting standards have been followed, along with proper explanation relating to material departures.

ii. Such accounting policies are selected and applied consistently, and judgments and estimates made that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year, and of the profit or loss of the company for that period.

iii. Proper and sufficient care is taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the company, and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

iv. The annual accounts have been prepared on a going concern basis.

v. Proper systems has been devised to ensure compliance with the provision of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

5. Activities of The Company

Film Production

The company executes the 12th Five Year Plan Scheme of the Ministry of Information and Broadcasting titled "Production of films in various Indian languages", as per which films are produced/co-produced by NFDC as per its extant bye-laws for film production.

एनएफडीसी द्वारा बनाई गईं अथवा संयुक्त रूप से बनाई गईं उन कुछ फिल्मों का विवरण यहां दिया जा रहा है जिन्हें विशेष उपलब्धि माना जा सकता है.

सुश्री रुचिका ऑबेरॉय द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म आईलैंड सिटी को निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए

पुरस्कार

- विजेता – सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार, न्यू यॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, 2016
- विजेता – सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार, इमेजिन इंडिया अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, मेड्रिड 2016
- विजेता – सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, तनिष्ठा चटर्जी को, इमेजिन इंडिया अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, मेड्रिड 2016
- विजेता – जूरी का विशेष पुरस्कार, बोधिसत्व अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंडिया

समारोहों में सहभागिता

- फेस्टिवल इंटरनेसियोनल डि सिने डि बारेनिक्वल्ला, कोलंबिया 2016
- म्यूजियम ऑफ द मूविंग इमेजेज, न्यू यॉर्क
- लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2016 यू के
- इंडियन फिल्म फेस्टिवल, स्टुटगार्ट, जर्मनी 2016
- इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया, टोरांटो 2016
- सिल्क स्क्रीन एशियन अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल, यू एस ए, 2016
- जिनकिआंग एशिया यूरोप फिल्म फेस्टिवल, चाइना
- वुमन मेक वेव्स फिल्म फेस्टिवल, ताईपेह, ताइवान
- कलगरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कनाडा
- इंडी मेमे, ऑस्टिन, यू एस ए
- काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल, मुंबई, इंडिया
- बोधिसत्व इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2017, पटना, इंडिया
- नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल, 2017, इंडिया
- नजरिया इंटरनेशनल वुमंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 2017

श्री गुरविंदर सिंह द्वारा निर्देशित पंजाबी फिल्म चौथी कूट को निम्न पुरस्कार प्राप्त हुआ –

- जिओ फिल्मफेअर अवॉर्ड (पंजाबी), 2017- बेस्ट फिल्म (क्रिटिक्स) एंड बेस्ट सिनेमेटोग्राफी

मंत्रालय की योजना के अनुरूप फीचर फिल्मों का निर्माण और सहनिर्माण करने के अलावा एनएफडीसी व्यापारिक गतिविधि के तौर पर भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों के लिए विज्ञापन, वृत्तचित्र, लघु फिल्मों, टीवी सिरीज, वेब विज्ञापन, रेडियो सिरीज और थीम आधारित एंथम आदि का निर्माण भी करता है.

प्रशिक्षण तथा विकास

एनएफडीसी के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने 1417 युवाओं को संपादन, मल्टीमीडिया, एनीमेशन, ऑडियो इंजीनियरिंग, डिजिटल स्टिल फोटोग्राफी और कैमरा असिस्टेंट जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया.

Some of the outstanding achievement accomplished films produced/co-produced by NFDC are enumerated below.

Hindi film Island City directed by Ms. Ruchika Oberoi, received the following awards

Awards

- Winner – Best Screenplay Award, New York Indian Film Festival 2016
- Winner – Best Director Award, Imagine India International Film Festival Madrid 2016
- Winner – Best Actress Award for Tannishtha Chatterjee, Imagine India International Film Festival Madrid 2016
- Winner – Special Jury Award, Boddhisatva International Film Festival, India

Festival participation

- Festival Internacional de Cine de Barranquilla, Colombia 2016
- Museum Of The Moving Image, New York
- London Indian Film Festival 2016, UK
- Indian Film Festival Stuttgart, Germany 2016
- International Film Festival of South Asia, Toronto 2016
- Silk Screen Asian American Film Festival, USA 2016
- Xinkiang Asia Europe Film Festival, China
- Women Make Waves Film Festival, Taipei, Taiwan
- Calgary International Film Festival, Canada
- Indie Meme, Austin, USA
- Kala Ghoda Arts Festival, Mumbai, India
- Boddhisatva International Film Festival 2017, Patna, India
- National Film Festival of Kerala 2017, India
- Nazariya International Women's Film Festival of India 2017

Punjabi film Chauthi Koot directed by Shri Gurvinder Singh received the following award –

- Jio Filmfare Awards (Punjabi) 2017 – Best Film (Critics) and Best Cinematography

Apart from producing and co-producing feature films through execution of the Ministry's Plan Scheme for production of films, NFDC also produces advertisements, documentaries, short film, TV series, web advertisement, radio series and thematic musical anthems as a commercial activity for clients across the Government of India and various state Governments.

Training and Development

NFDC Chennai Regional Office has imparted skill development training and short term vocational courses to 1417 youth in the spheres of Editing, Multimedia, Animation, Audio Engineering, Digital Still Photography and courses for Camera Assistants.

एनएफडीसी लैब्स की स्थापना एनएफडीसी द्वारा कार्यक्षेत्र में सुस्थापित भारतीय फिल्मकारों अथवा फिल्म या मीडिया स्टडीज के जरिये अपने कैरियर को उन्नत करने के इच्छुकों को पेशागत विकास के लिये फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिये की गई है. एनएफडीसी लैब्स प्रोजेक्ट आधारित वर्कशॉप्स, लैब्स और मास्टर क्लासेस के जरिये प्रतिभाशाली लेखकों, निर्देशकों और निर्माताओं की कार्य प्रणालियों में संवर्धन और विस्तार करने की कोशिश करती है. विकासात्मक उपक्रमों के जरिये फिल्म बाजार में भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकारों के बीच सहयोग की विस्तृत संभावनाओं का भरपूर उपयोग संभव हो पाता है.

फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस (एफएफओ)

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सन 2015 में एन एफ डी सी में फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस (एफएफओ) की स्थापना की जिससे देश भर में शूटिंग योग्य जितने भी स्थल हैं उनमें शूटिंग कर सकने की प्रक्रिया सरल हुई. साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकार घरेलू फिल्म उद्योग की विस्तृत प्रतिभा और संसाधनों, निर्माण संबंधी सुविधाओं और निर्माण पर आने वाले कम खर्च जैसी सुविधाओं का फायदा उठाने लगे. इसके अलावा भारत को दुनिया भर के फिल्मकारों की नजरों में शूटिंग के लिए उपयुक्त स्थल के तौर पर स्थापित कर देने के दीर्घावधि लाभ को भी ध्यान में रखा गया.

एफएफओ ने 2016 के मध्य से भारत में शूटिंग करने की इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्मों, टी वी एवं वेब शोज, रियेलिटी शो सिरीज आदि को समय पर अनुमति दिलाना सुनिश्चित करता है.

1. वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान स्वीकृत योजनाएं, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच 29 अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्मों और टेलीविजन सिरीज को भारत में शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई, इनमें से 22 को एफएफओ ने सुविधाएं दिलाई. इनमें से 18 फीचर फिल्में थीं और 4 टेलीविजन सिरीज. भारत में फिल्म बनाने वाले देशों में प्रमुख हैं, यू.के., फ्रांस, बांग्लादेश, अर्जन्टीना, जर्मनी, यू.एस.ए., इटली, नॉर्वे आदि. .

2. द फिल्म वीजा (एफ)--एनएफडीसी और एफएफओ ने उन विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए, जो भारत में फिल्म की शूटिंग करना चाहते हों, वीजा सुविधा की नयी श्रेणी की प्रस्तावना की: फिल्म (एफ) वीजा जिससे उन्हें हमारे देश में प्रवेश आदि की सुविधा सहज में मिल सके. देश में फिल्म निर्माण संबंधी मैत्रीपूर्ण वातावरण के निर्माण का यह एक और सराहनीय कदम रहा.

3. फिल्म नीति-- देश में फिल्म निर्माण संबंधी मैत्रीपूर्ण वातावरण के निर्माण संबंधी एफ एफ ओ के जनादेश के अनुरूप एफ एफ ओ ने एन एफ डी सी के साथ घुलमिल कर काम करते हुए हरियाणा राज्य के लिए फिल्म नीति निर्धारण में सहायता की जिससे कि हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों ही तरह के फिल्म निर्माताओं के किए शूटिंग का एक प्रमुख स्थल बन सके.

4. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नोडल अधिकारियों का नामांकन – सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय एवं एफएफओ ने केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रमुख हितधारकों के अधिकारक्षेत्रों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उनके साथ मिलकर काम किया जिससे उनके यहां फिल्मों की शूटिंग के काम में आसानी हो सके. ये प्रमुख हितधारक थे : गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय राजस्व बोर्ड, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण आदि, राज्य सरकारे, केंद्र शासित प्रदेश. एफ एफ ओ सभी नोडल अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रह कर फिल्म निर्माताओं को भारत में शूटिंग की सुविधा प्रदान कराता आ रहा है.

5. मोस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट अवॉर्ड 2016--मोस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट अवॉर्ड 2016 प्रतियोगिता में 16 राज्यों ने हिस्सा लिया यह अवॉर्ड 3 मई 2017 को आयोजित 64वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के संरक्षण में दिया गया. इसकी जूरी की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने की जिसके सदस्य कौशिक गांगुली एवं

NFDC Labs has been established by NFDC to provide a framework of professional development for Indian filmmakers already established in the work-field or at the beginning of their careers. The initiative seeks to deepen and enhance the working practice of talented writers, directors, editors and producers, through project based workshops, labs and master-classes. The development initiatives make extensive use of opportunities to collaborate with Indian and international film professionals in attendance at Film Bazaar.

Film Facilitation Office (FFO)

The Ministry of Information & Broadcasting (I&B), Government of India, set up the Film Facilitation Office (FFO) in the National Film Development Corporation (NFDC) in the year 2015, with a view to promote and facilitate film shootings by foreign filmmakers in India. It acts as a single-window facilitation and clearance mechanism that eases filming in India, as well as endeavoring to create a film-friendly ecosystem and promoting the country as a filming destination. The services rendered by the FFO have now been extended to Indian filmmakers as well.

The FFO started facilitating permissions for international Feature Films, TV and Web Shows and Series including Reality Shows/ Series, being shot in India, from mid 2016, ensuring timely permissions to film in India.

1. No of projects cleared during the FY 2016-17 - while the total number of international films including television series given permission to shoot in India was 29 for the period April 1, 2016 to March 31, 2017, the FFO facilitated the according of permissions to 22, out of which 18 were feature films and 4 were television series. The major countries of origin for the international productions in India are United Kingdom, France, Bangladesh, Argentina, Germany, U.S.A, Italy, and Norway among others.

2. The Film (F) Visa – the NFDC and the FFO facilitated the introduction of a new category of visa, called the Film (F) Visa to foreign film makers, wanting to film in India, with a view to ease issues related to their entry into the country. This was another endeavour towards the creation of a film friendly environment in the Country.

3. Film Policy - As per the mandate of the FFO towards creating a film friendly environment in the country, the FFO has worked closely with the NFDC to frame the Film Policy for the State of Haryana, so that they can evolve as a primary shooting destination for both domestic and international filmmakers.

4. Nomination of Nodal Officers by Central Government Ministries/Departments and various State Governments - the Ministry of I&B and the FFO collaborated with key stakeholder Central Government Ministries/Departments - Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs, Ministry of Defense, Ministry of Tourism, Ministry of Railways, Ministry of Civil Aviation, Border Security Force, Central Board of Excise and Customs, Airports Authority of India etc - and State Governments/Union Territories, to appoint Nodal Officers in their respective jurisdictions so as to facilitate the shooting of films. The FFO has been proactively engaging with all Nodal officers to streamline and assist filmmakers towards shooting in India.

5. Most Film Friendly State Award 2016 – sixteen States participated in the Most Film Friendly State Award 2016, which was given under the aegis of the 64th National Film Awards, which was held on 3rd May 2017. Chaired by acclaimed filmmakers Madhur Bhandarkar, the Jury consisted of eminent filmmakers like Kaushik Ganguly, Krish

कृश जगरलामुंडी जैसे नामी फिल्मकार और प्रसिध्द आई ए एस अधिकारी डॉ. मोहन कांडा. राज्यों से मिले आवेदन पत्रों पर गहन विचार और मंत्रणा के बाद जूरी इस निर्णय पर पहुंची कि मोस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट अवॉर्ड 2016 उत्तरप्रदेश राज्य दिया जाय और साथ ही झारखंड को विशिष्ट उल्लेख प्रमाणपत्र प्रदान किया जाय.

6. इंटरनेशनल मार्केटिंग --एफ एफ ओ ने लॉस एंजिल्स में 20 से 24 अप्रैल 2016 तक आयोजित लोकेशन ऐंड ग्लोबल फाइनेंस शो में तथा साथ ही कान्स फिल्म फेस्टिवल 2016 में भी भाग लिया. अब यह असोसिएशन ऑफ फिल्म कमीशनर्स इंटरनेशनल (एएफसीआई) का सदस्य है और इसका उद्देश्य है भारत का फिल्म निर्माण के प्रमुख स्थान के रूप में उन्नयन और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को मजबूती प्रदान करना.

7. कार्यशालाएं--राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर तक पहुंच बनाने के लिए और सहमतिपत्र के जनादेश द्वारा एफ एफ ओ ने फिल्म इन इंडिया - क्रिएटिंग अ फिल्म फ्रैंडली नेशन - रोल ऑफ स्टेट ऐंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स नाम से गोआ में 22 नवंबर 2016 को फिल्म बाजार एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के साथ में ही एक कार्यशाला आयोजित की. इसका उद्देश्य केंद्रीय एवं राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों को उनके अधिकारक्षेत्र में फिल्म शूटिंग संबंधी जानकारी की प्रक्रिया को सरल बनाना था क्योंकि के लिए क्योंकि वे ही एकमात्र सम्पर्क सूत्र होते है. अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं जैसे स्वीडन के माल्टे फोरसेल, हॉंगकॉंग के फिलिप ली, मोशन पिक्चर्स असोसिएशन ऑफ अमेरिका, असोसिएसन ऑफ फिल्म कमीशनर्स इंटरनेशनल जैसी ट्रेड बॉडीज, मार्केटिंग के विशेषज्ञ तथा ओगलवी के पीयूष पांडे और भारत के नामी फिल्मकार सुधीर मिश्रा, इम्तिआज अली, प्रकाश झा, अनुभव सिन्हा, भारत बाला वगैरह जैसे दिग्गजों और देश में फिल्म संबंधी वातावरण के निर्माण से संबंधित नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कार्यशाला में प्रोत्साहित किया.

   एफएफओ एक वेब पोर्टल स्थापित करने की प्रक्रिया है जिससे कि यह प्रार्थनापत्र प्रकिया ऑनलाइन हो जाए. अगले कुछ महीनों में यह कार्य करने लगेगा. इस पोर्टल से प्रार्थनापत्र ऑनलाइन दिये जा सकेंगे, केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों/विभागों के फिल्म शूटिंग संबंधी दिशा निर्देश एक जगह पर सूचीबद्ध हो सकेंगे और लोकेशन गाइड एवं सेवा डिरेक्टरी तैयार हो जाएगी जिससे भारत में शूटिंग करने की इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बिरादरी को सारी सुविधाएं और क्लियरंस प्रणाली एक ही जगह पर उपलब्ध हो सकेंगी.

वितरण

एनएफडीसी की वितरण प्रणाली निरंतर नये युग की डिजिटल और दुनिया के परंपरा से अलग बाजारों में फिल्म फेस्टिवल्स एवं फिल्म मार्केट्स के जरिये प्रवेश पाने के लिए क्रियाशील है. एनएफडीसी की फिल्मों के विश्वव्यापी वितरण के लिए ये महत्वपूर्ण केंद्रीय घटक हैं.

अपने प्रमुख कार्यक्षेत्र के साथ वितरण एनएफडीसी के सिनेमा को अपने दर्शकों तक पहुंचाने में समर्थ रहा है. एनएफडीसी के कथ्य समृद्ध सिनेमा से अर्जित आय के अतिरिक्त वितरण विश्व भर में सिनेमा उत्साहियों और प्रशंसकों तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब है.

थियेटरों में वितरण

1 वीस म्हणजे वीस (मराठी) 10 जून 2016 को महाराष्ट्र राज्य भर में मल्टीप्लेक्स एवं सिंगल स्क्रीन दोनों पर ही प्रदर्शित की गई

2. आईलैंड सिटी (हिंदी) : एक साल के शानदार फेस्टिवल सफर के बाद, 2 सितंबर 2016 को हिंदुस्तान के चुने चुने सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई. इसे दर्शकों एवं समीक्षकों दोनों ने ही समान रूप से सराहा. स्टार स्क्रीन अवॉर्ड्स 2016 में इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (पहली फिल्म) श्रेणी के लिए नामांकित किया गया.

Jagarlamudi and distinguished IAS Officer Dr Mohan Kanda as jury members. On the basis of the detailed analysis and discussions relating to applications received from these States, the Jury recommended that the Most Film Friendly State Award 2016, should be given to the State of Uttar Pradesh and a Special Mention Certificate should be given the State of Jharkhand.

6. International Marketing - the FFO participated in the Locations & Global Finance Show held in Los Angeles from 20th – 24th April 2016, as well as the Cannes Film Festival 2016 and is now a member of the Association of Film Commissioners International(AFCI), with a view to promote India as a filming destination and strengthen its international outreach.

7. Workshops - As part of its national and provincial outreach and as mandated by the MoU, the FFO conducted a workshop titled Film in India - Creating a Film Friendly Nation – Role of State and Central Governments, in Goa on November 22, 2016 alongside the Film Bazaar and the International Film Festival of India. The workshop aimed at sensitizing the Nodal Officers of Central Ministries and State/ U.T Governments towards easing the process of filming in their respective jurisdictions since they are the one-point contact for filmmakers. International producers such as Malte Forssell from Sweden, Philip Lee from Hong Kong, Trade Bodies such as the Motion Pictures Association of America, The Association of Film Commissioners International, domain experts on marketing like Piyush Pandey from Ogilvy and acclaimed filmmakers from India such as Sudhir Mishra, Imtiaz Ali, Prakash Jha, Anubhav Sinha, Bharat Bala among others, motivated them to undertake initiatives/policies for a favourable filming environment in the country.

   The FFO is in the process of establishing a dedicated web portal to take this application process online, which would be operational in the next few months. The portal would not only enable online submission of application, and enlist Guidelines of key Central Government Ministries/ Departments regarding shooting of films in one place, but also create a Locations Guide and Service Directory, so as to become a single window Facilitation and clearance mechanism for the international film community who are looking to shoot their films in India.

Distribution

NFDC's distribution set up is continuously endeavoring to break into new age digital and non-traditional markets across the world by leveraging film festivals and film markets, which are critical and central component of the global distribution network for NFDC films.

With its prominent verticals distribution has been successful in taking NFDC's cinema to its audience. Apart from generating head turning revenues for NFDC's theme based niche cinema, distribution continues to reach the aficionados and enthusiasts of cinemas across the world.

Theatrical Distribution

1. Vees Mhanje Vees (Marathi) was released in both multiplex and single screens across the state of Maharashtra on June 10, 2016.

2. Island City (Hindi) was released on September 2, 2016 after a fantastic one-year festival journey, in select theatres pan India and was well received by the critics and the audiences. It was nominated in the concluded Star Screen Awards 2016 in the Best Debut Director Category.

सिंडिकेशन

टेलीविजन

1. ज़ी नेटवर्क्स के साथ एनएफडीसी की फिल्में जी क्लासिक चैनल पर इंडिया की बेहतरीन फिल्मों के तौर पर दिखाने के लिए रणनैतिक साझेदारी की. इसका दर्शकों एवं इंडस्ट्री की हस्तियों ने बड़ा स्वागत किया है.

2. एनएफडीसी की फिल्म आईलैंड सिटी को स्टार नेटवर्क्स चैनल्स पर दिखाने के लिए स्टार इंडिया के साथ .महत्वपूर्ण सिंडिकेशन समझौता किया.

डिजिटल

1. विश्व के सबसे बड़े वीओडी प्लेटफॉर्म अमोझोन प्राइम के साथ एन एफ डी सी की फिल्में विश्व भर में उपलब्ध कराने का व्यावसायिक साझेदारी की.

2. ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉट स्टार के साथ, जो स्टार इंडिया की सहायक शाखा है, व्यावसायिक साझेदारी की.

3. रिलायंस जिओ के साथ, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक शाखा है, व्यावसायिक साझेदारी की.

4. यूप टीवी (इंडिया और यूएस) के साथ व्यावसायिक साझेदारी की.

इन फ्लाइट

1. इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट उपलब्ध कराने वाले, भारत के सबसे मजबूत कंटेंट कंसॉलिडेटर्स में से एक कैंटेंटीनो मीडिया एलएलपी के साथ विश्व भर में एनएफडीसी की फिल्में दिखाने के लिए व्यावसायिक समझौता किया.

होम वीडियो

भारत

1. होम वीडियो एंटरटेनमेंट में विशेषता हासिल रखने वाली भारत की बड़ी कंपनियों में से एक शेमारू एंटरटेनमेंट के साथ व्यावसायिक साझेदारी की. हमारे पास लगभग 98 फिल्मों की लाइब्रेरी है जिसे हमने उनके सहयोग से रिलीज किया है.

2. एनएफडीसी की नयी फिल्में आदिग्राम 79, पदातिक और वीस म्हणजे वीस की डीवीडी रिलीज के लिए स्वीकृत की गईं.

वीडियो ऑन डिमांड – डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सिनेमाजऑफइंडिया.कॉम

1. एनएफडीसी के वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म को 20 फरवरी 2015 को फिल्म 'किस्सा-द टेल ऑफ अ लोनली घोस्ट' की थियेटरिकल रिलीज के साथ री-लॉन्च किया गया. इसकी फिल्में पे-पर-व्यू बेसिस एवं वार्षिक/मासिक आधार पर उपलब्ध हैं.

2. इसमें कुल मिला कर 130 फिल्में उपलब्ध हैं जिनमें अपनी फिल्मों के अलावा अभिगृहीत फिल्में भी शामिल हैं.

3. वीओडी प्लेटफार्म पर सीमलैस यूजर अनुभव उपलब्ध करने के लिए एनएफडीसी ने इंटरनेशनल ओटीटी वेंडर प्रोजेटो और पेमेंट गेटवे पार्टनर पे यू के साथ पार्टनरशिप की है.

इंटरनेशनल सेल्स

1. यूएसए के बड़े वितरक एंडरसन मीडिया ग्रुप के साथ वैश्विक बाजार में एनएफडीसी की फिल्मों के प्रतिनिधित्व एवं सिंडिकेट करने के लिए व्यावसायिक साझेदारी का सूत्रपात किया.

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मार्केट्स

1. एनएफडीसी की फिल्मों के सिंडिकेट के लिए नयी पार्टनरशिप तलाशने के लिए एचकेटीडीसी (हॉन्गकॉन्ग), कान्स, एएफएम, ईएफएम (बर्लिन) तथा अन्य अन्य बड़े फिल्म बाजारों में प्रतिनिधित्व किया.

Syndication

Television

1. Entered into a strategic partnership with Zee Networks for airing NFDC films on Zee classic channel as India's finest films. It has been well received by the audiences and industry elite.

2. Entered into a strategic collaboration with Star India for syndication of Island City on Star Network Channels.

Digital

1. Strategic collaboration with Amazon Prime, one of the world's leading VOD platform, to make available NFDC classics to global audience.

2. Strategic partnership with Hotstar, an online video-streaming platform owned subsidiary of Star India.

3. Strategic collaboration with Reliance Jio, owned subsidiary of Reliance Industries.

4. Strategic collaboration with Yupp TV (India & US).

In-Flight

1. Strategic collaboration with one of the India's strongest content consolidator for In-Filght Entertainment Company Contentino Media LLP for showcasing NFDC films on Airlines globally.

Home Video

India

1. Strategic partnership with Shemaroo Entertainment one of India's leading company specializing in Home Video Entertainment. We have a library of around 98 titles released in collaboration with them.

2. DVDs of Adigaram 79, Padatik and Vees Mhanje Vees - new slate of NFDC titles were approved to release.

Video on Demand – www.cinemasofindia.com

1. NFDC's VOD platform was re-launched on February 20, 2015 along with the India theatrical release of Qissa – The Tale of a Lonely Ghost. The films are available on pay-per-view and monthly & yearly subscription basis.

2. A total of 130 plus films are available for streaming for the global audiences,

3. NFDC has partnered with Prozeta, an international OTT vendor and PayU, payment gateway partner, to create a seamless user experience for the VOD platform.

International Sales

1. Initiated strategic partnership with USA's leading distributor Anderson Media Group, to represent and syndicate NFDC titles in the global market.

International Film Markets

1. Representation at HKTDC (Hong Kong), Cannes, AFM, EFM (Berlin) and other major film markets to scout new partnerships to syndicate NFDC titles.

2. बड़े फिल्म समारोहों और बाजारों जैसे वेनिस, कान्स, अमेरिकन फिल्म मार्केट में बिजनेस विजिट और स्क्रीन तथा बॉक्स ऑफिस इंडिया जैसी पत्रिकाओं में इंटरव्यूज से ए श्रेणी के फेस्टिवल प्रोग्रामर्स, इंटरनेशनल सेल्स एजेंट्स, डिस्ट्रिब्यूटर्स और प्रतिष्ठित पत्रकारों के साथ गहरी रिलेशनशिप स्थापित करने में मदद मिली.

प्रिव्यू थियेटर

1. मुंबई तथा चैन्नई के प्रिव्यू थियेटर्स ने सीबीएफसी एवं अन्य निजी ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देते रहने की ऐसी प्रतिबद्धता कायम रखी है जिससे इनमें हर माह स्क्रीनिंग्स में बढोत्तरी होती रहें.

फिल्म क्लब्स तथा आउटरीच कार्यक्रम

1. फिल्मों के प्रशंसकों के लिए द लॉस्ट प्लॉट और जी-5ए 'द स्टार्टअप फिल्म मेकर्स' जैसे फिल्म क्लबों के जरिये एनएफडीसी की फिल्मों का प्रदर्शन.

2. एनएफडीसी की फिल्में दिखाने के लिए एनएफडीसी ने उभरते हुए ऑनलाइन फिल्म स्क्रीनिंग इवेंट कंपनी 1018 एमबी.कॉम के साथ सहभागिता की है.

3. असम आउटरीच प्रोग्राम – नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली असमी फिल्म कोठनोदी की प्री रिलीज. असम के अकेडेमिक इंस्टीट्यूट्स में लेखन एवं सिनेमेटिक मीडियम्स को लेकर इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशंस की सिरीज और इंटरव्यू सेशंस आयोजित किये गये.

फिल्म बाज़ार

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा आयोजित फिल्म बाज़ार एक ऐसा मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय तथा दक्षिण एशियाई फिल्म बिरादरी के बीच सहनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए ही विशेष रूप से विकसित किया गया है.

फिल्म बाज़ार फिल्म निर्माण, निर्माण और वितरण के क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई प्रतिभाओं एवं उनकी कृतियों को सामने लाने, प्रोत्साहित करने और प्रदर्शित करने के प्रति केंद्रित है. यह बाज़ार विश्व भर के फिल्म विक्रेताओं और खरीदारों का मिलनबिंदु है और विश्व सिनेमा की दक्षिण एशियाई क्षेत्र तक विक्री की सुविधा भी प्रदान करता है.

पहले पहल 2007 में आयोजित किए जाने के बाद से फिल्म बाजार दक्षिणी एशिया का वैश्विक फिल्म बाजार बन गया है जिसमें हर बार दक्षिणी एशिया तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में अभिवृद्धि होती जा रही है. सन 2016 के बाजार में कनाडा और नैदरलैण्ड्स सहित 36 देशों के 1206 प्रतिनिधि शामिल हुए.

फिल्म बाजार के 10वें संस्करण ने अपनी पहली पहली कार्यशाला फिल्म इन इंडिया होस्ट की. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर तक पहुंच बनाने के लिए और सहमतिपत्र के जनादेश द्वारा एफएफओ ने फिल्म इन इंडिया - क्रिएटिंग अ फिल्म फ्रैंडली नेशन - रोल ऑफ स्टेट ऐंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स नाम से गोआ में 22 नवंबर 2016 को फिल्म बाजार एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के साथ में ही एक कार्यशाला आयोजित की.

कार्यशाला में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के नोडल अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं जैसे स्वीडन के माल्टे फोरसेल, हॉन्कॉन्ग के फिलिप ली, मोशन पिक्चर्स असोसिएशन ऑफ अमेरिका, असोसिएसन ऑफ फिल्म कमीशनर्स इंटरनेशनल जैसी ट्रेड बॉडीज, मार्केटिंग के विशेषज्ञ जैसे ओगलवी के पीयूष पांडे और भारत के नामी फिल्मकार जैसे सुधीर मिश्रा, इम्तियाज अली, प्रकाश झा, अनुभव सिन्हा, भारत बाला आदि का योगदान रहा.

कार्यशाला का उद्देश्य केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य/सरकार के उपक्रमों के नोडल अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में फिल्मांकन की प्रक्रिया में सहजता की दिशा में संवेदनशील बनाना है चूँकि वे फिल्म निर्माताओं के लिए एक-बिंदु संपर्क हैं तथा उन्हें देश में अनुकूल फिल्मांकन वातावरण बनाने के लिए पहल/नीतियां शुरू करने के लिए प्रेरित करना हैं.

2. Business visits to major film festivals and markets such as Venice, Cannes, American Film Market, and Interviews with magazines such as Screen and Box Office India have helped forge great relationships with A-list festival programmers, International sales agents/distributors and journalists of repute.

Preview Theatre

1. Preview Theatre at Mumbai and Chennai have kept its commitments to provide improved services to CBFC and private parties in order to increase monthly screenings.

Film Clubs & Outreach Program

1. Screening of NFDC films for film aficionados through film club such as Lost the Plot and G5A 'The Start-up Film-maker'

2. NFDC has collaborated with an emerging online film screening event company, 1018mb.com for screening of NFDC films for audiences

3. The Assam Outreach program pre - release of Assamese National Award winning film Kothanodi. A Series of presentations and interactive sessions were held with academic institutes in Assam on Narratives within the written and the cinematic mediums.

Film Bazaar

Organized by the National Film Development Corporation (NFDC), Film Bazaar is a platform exclusively created to encourage collaboration between the international and South Asian film fraternity.

The Bazaar is focused on discovering, supporting and showcasing South Asian content and talent, in the realm of filmmaking, production and distribution. A converging point for film buyers and sellers from all over the world, the Bazaar also aims at facilitating the sales of world cinema in the South Asian region.

First held in 2007, Film Bazaar has evolved into South Asia's global film market, witnessing an increased South Asian and International participation with every edition. The 2016 market saw an attendance of 1206 delegates from 36 countries including country delegation from Canada and Netherlands

The 10th edition of Film Bazaar hosted its first ever Film in India Workshop. As part of its national and provincial outreach and as mandated by the MoU, the FFO conducted a workshop titled Film in India – Creating a Film Friendly Nation – Role of State and Central Governments, in Goa on November 22, 2016 alongside the Film Bazaar and the International Film Festival of India.

The Workshop involved nodal officers from various State and Central Government Ministries/Departments and international producers such as Malte Forssell from Sweden, Philip Lee from Hong Kong, Trade Bodies such as the Motion Pictures Association of America, The Association of Film Commissioners International, domain experts on marketing like Piyush Pandey from Ogilvy and acclaimed filmmakers from India such as Sudhir Mishra, Imtiaz Ali, Prakash Jha, Anubhav Sinha, Bharat Bala among others.

The workshop aimed at sensitizing the Nodal Officers of Central Ministries and State/U.T Governments towards easing the process of filming in their respective jurisdictions since they are the one-point contact for filmmakers and motivating them to undertake initiatives/policies for a favourable filming environment in the country.

फिल्म बाजार का 11वां संस्करण गोआ में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के साथ 20 से 24 नंवबर 2017 तक गोआ में मैरिएट रिसॉर्ट में चलेगा.

6. मानव संसाधन विकास

क. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये आरक्षण

भारत सरकार की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये विभिन्न पदों में भरती अथवा तरक्की में आरक्षण संबंधी नीति का पालन किया गया.

ख. औद्यौगिक संबंध

औद्योगिक संबंध स्वस्थ, स्नेहपूर्ण तथा सद्भावपूर्ण बने रहे.

7. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ एमओयू

भारत सरकार के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (प्रशासकीय मंत्रालय) में हस्ताक्षरित एमओयू के अनुरूप वित्तवर्ष 2015-16 के लिये एनएफडीसी को अपने कार्यप्रदर्शन के लिये 'एक्सिलेंट' रेटिंग प्राप्त हुई.

8. राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत समय समय पर बनाये गये नियमों तथा राजभाषा विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा सरकारी उद्यम विभागों द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों को कार्यान्वित किया गया. निगम में हिंदी के प्रयोग तथा गृहकार्य मंत्रालय भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये लागू किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये उठाये गये कदमों की समीक्षा के लिये राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं.

9. ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुरूप जिन्हें कंपनी नियम (अकाउंट्स) 2014 के साथ पढ़ा जाये, ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि निगम पर लागू नहीं होते.

10. सतर्कता मामले

कंपनी ने उप महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को सतर्कता संबंधी मामले भी देखने का कार्यभार सौंप दिया है. वर्ष 2016-17 के दौरान सतर्कता संबंधी कोई भी मामला सामने नहीं आया.

11. निदेशक मंडल तथा मंडल की बैठकें

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और उनका पारिश्रमिक भी वही नियत करती है. अतः निदेशकों की नियुक्ति, योग्यता, उनके पारिश्रमिक, सकारात्मक प्रवृत्तियों, निदेशक की स्वतंत्रता तथा सेक्शन 178 के उप सेक्शन (3) के अंतर्गत आने वाले अन्य मामलों के संबंध में कंपनी की कोई नीति नहीं है.

आजकल एनएफडीसी में दो फंक्शनल निदेशक अर्थात प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त), दो एक्स ऑफीसियो अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं. इनके नाम है – श्री अशोककुमार आर परमार, संयुक्त सचिव (फिल्म्स) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और डॉ. सुभाष शर्मा अतिरिक्त सचिव तथा वित्त सलाहकार सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय. इनके साथ ही एक अंशकालिक गैर अधिकारिक निदेशक सुश्री अनुपमा चोपड़ा भी हैं जो 8 फरवरी 2017 से कार्यरत हैं.

The 11th edition of Film Bazaar will be held from 20-24 November, 2017 at the Goa Marriott Resort, alongside the International Film Festival of India.

6. Human Resource Development

a. Schedule Caste/Schedule Tribe Reservation

The directives issued by the Government of India regarding reservation for SC/ST in appointment and promotions to various posts were complied with.

b. Industrial Relations

Industrial relations continued to be healthy, cordial and harmonious.

7. MoU With Ministry Of Information And Broadcasting

The performance of NFDC in terms of Memorandum of Understanding signed with the Ministry of Information and Broadcasting (the administrative Ministry) Government of India for the FY 2015-16 has been rated as “Excellent”.

8. Official Language Implementation

The official language Act, along with the Rules thereof and orders issued from time to time by the Department of Official Language, Ministry of Information and Broadcasting and the Department of Public Enterprises regarding progressive use of Hindi, were implemented in the Company during the year. Meetings of the Official Language implementation Committee were held regularly to review the use of Hindi in the Company and steps taken to implement the Annual program for the year 2016-17 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

9. Report On Conservation Of Energy, Technology Absorption, Etc.

Information in accordance with the provisions of Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 regarding Conservation of Energy, Technology Absorption is not applicable to the Company.

10. Vigilance Matters

An officer in the rank of Dy. General Manager has been designated to oversee the vigilance matters. No vigilance compliant has been received during the year 2016-17.

11. Board Of Directors And Board Meetings

The Company’s directors are appointed and their remuneration is fixed by the Government of India. Hence the company has no policy on director appointment and remuneration including criteria for determining qualification, positive attitudes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of Section 178.

As on date, NFDC has two functional Directors i.e. Managing Director & Director (Finance), two ex-officio part-time Government Directors, namely – Shri Ashokkumar R. Parmar, Joint Secretary (Films), Ministry of I & B and Dr. Subhash Sharma, Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of I&B and one part time non-official director Ms. Anupama Chopra (with effect from 8th February 2017)

2016-17 के दौरान 10 निदेशकों के पद खाली थे. निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती. उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कोई बोर्ड की अपर्याप्त सदस्य संख्या की वजह से कोई मीटिंग नहीं हुई.

12. लेखा परीक्षक

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन मेसर्स टस्की असोसिएट्स, सनदी लेखाकार, किनारा कोओपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, प्लॉट 1/10 ए आर, बांद्रा वैस्ट रिक्लेमेशन मुंबई 400050 को वित्तवर्ष 2016-2017 के लिये निगम के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया.

लेखाकारों ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के लेखाओं का लेखा परीक्षण किया है. परीक्षित लेखा तथा तथा तत्संबंधी अनुलग्नक इस रिपोर्ट के साथ नत्थी किये गये हैं.

13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम की ओर से एनएफडीसी में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005 लागू करने के आवश्यक कदम उठाये गये हैं. आर.टी.आई. के अंतर्गत आने वाले प्रार्थनापत्रों पर कार्यवाही के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की गई है –

1. चीफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफीसर
   पी पी मठ, मैनेजर (फिल्म निर्माण)

2. अपीलीय प्राधिकारी
   रमेश जे. प्रसाद, डिप्टी जनरल मैनेजर (पर्सोनल)

14. चौकसी तंत्र

बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपनाने की दृष्टि से एनएफडीसी ने धोखाधड़ी के मामलों की रोकथाम के लिये नीति निर्धारित की है. इस नीति का उद्देश्य धोखाधड़ी के मामलों की छानबीन और उनकी रोकथाम के लिये एक प्रणाली उपलब्ध कराना, पता लगे या संदेहास्पद छल अथवा गबन की रिपोर्ट करना तथा छल कपट से संबंधित मामलों का किसी तरह के संदेह से परे तरीके से निपटारा करना है.

विभागों के अध्यक्ष, महाप्रबंधक तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों को इस नीति के अंतर्गत नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और वे इस नीति के अनुसार सभी गतिविधियों में सम्यक समन्वय करेंगे.

15. लेखा परीक्षण समिति

31 मार्च 2017 को ऑडिट कमिटी का गठन इस प्रकार था –

निदेशक का नाम	पद	समिति में स्थिति
सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
श्री सुभाष शर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

लेखापरीक्षण समिति की बैठकों में निदेशक वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षक, और संवैधानिक लेखा परीक्षक स्थाई निमंत्रित होते हैं. वरिष्ठ कार्यकारी एक्जिक्यूटिव्स को भी आवश्यकतानुसार समिति को सूचनाएं प्रदान करने के लिये बुलाया जाता है.

16. लेखाकारों की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

पैरा (क)
कंपनी ने विभिन्न देनदारों, ऋणों तथा अग्रिमों एवं उन जमाओं के संबंध में, जो बही खातों में 31 मार्च 2017 को आउटस्टैंडिंग हैं, बकाए के सत्यापन के लिए पत्र भेजे हैं. कुछ पक्षों से जवाब आ भी चुके हैं.

During the year 2016-17, the post of ten (10) Directors were lying vacant. The company has no role in the appointment of its Directors since they are appointed by the Government of India.

During the Financial Year 2016-17, no Board Meetings were held due to insufficient strength of the Board.

12. Auditors

The Comptroller and Auditor General of India appointed M/s. Tasky Associates., Chartered Accountants, KINARA C.H.S. Plot No.1/10 AR, Bandra (West) Reclamation, Mumbai – 400 050 as Auditors of the Company for the FY 2016-17 under Section 139 of the Companies Act, 2013.

The auditors have audited the Accounts of the Company for the year ended March 31, 2017. The audited accounts with required annexure and reports are annexed to this report.

13. Right To Information Act, 2005

Necessary action has been taken by the Company towards implementation of Right to Information (RTI) Act 2005 in NFDC. RTI Machinery is in place to attend to RTI applications and follow-ups –

1. Chief Public Information Officer
   P.P. Math, Manager (Film Production)

2. Appellate Authority
   Ramesh J. Prasad, Dy. General Manager (Personnel)

14. Vigil Mechanism

In order to practice better Corporate Governance, NFDC has adopted a Policy for Prevention of Fraud. The objective of the policy is to provide a system for detection and prevention of fraud, reporting of any fraud that is detected or suspected and for fair dealing of matters pertaining to fraud.

The Head of Departments, General Managers, and Regional Managers are designated as the Nodal officers for this Fraud Policy and will co-ordinate all activities as per the Policy.

15. Audit Committee

The composition of the Audit Committee as on 31st March 2017 is as under –

Name of the Director	Designation	Position in Committee
Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
Subhash Sharma	Govt. Nominee Director	Member

Director Finance, Internal Auditors and Statutory Auditors are standing invitees in the Audit Committee meetings. Senior functional executives are also invited as and when required to provide inputs to the Committee.

16. Comments on The Auditors Report

PARA (a)
The Company has sent letters seeking confirmation of balances in respect of Sundry Debtors, Loans and Advances, as well as Deposits outstanding in the Books of Accounts as on 31st March 2017. Responses have been received from some of the parties.

टीडीएस/वीएटी आदि के पुराने बकाया को लेकर सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है तथा सभी चालू कर दायित्व निपटा दिए गये हैं. उन विभिन्न देनदारों, ऋणों तथा अग्रिमों के बारे में बही खातों में पर्याप्त प्रावधान कर दिये गये हैं जो तीन साल से अधिक समय से बकाया पड़े हैं और उन्हें विधिवत पिछले वर्षों से आगे ले आया गया है. इसके अतिरिक्त टी. वी मार्केटिंग के देनदारों और अन्य बकायाओं को लेकर आवश्यकतानुसार केस दायर कर दिए गए हैं.

चालू देनदारियां मुख्यतः मीडिया व्यवसाय के कारण हैं. बहुत सारी देनदारियां क्रमश; निपटा दी गई हैं.

पैरा (ख)
नोट कर लिया गया.

पैरा (ग)
कोई टिप्पणी नहीं.

सनदी लेखाकारों की रिपोर्ट का संलग्नक – ख
पैरा 1.

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए दिल्ली कार्यालय के लिए नये आंतरिक लेखाकारों की नियुक्त अतिरिक्त कार्यक्षेत्र सहित कर दी गई है.

17. जोखिम प्रबंधन नीति

निदेशक मंडल बिजनेस के आंतरिक और वाह्य जोखिमों की समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं जिससे कि समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठाये जा सकें. आंतरिक कमजोरियों तथा विभिन्न वाह्य खतरों की समीक्षा के लिये निदेशक मंडल के सामने रिपोर्ट पेश की जाती है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में कोई भी बोर्ड मीटिंग नही हुई अतः जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा नही हुई थी.

18. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी को संचित हानियों के कारण निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी पर लागू नहीं होता.

19. महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर हुए यौन उत्पीड़न संबंधी खुलासे (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, एंड रिड्रेसल एक्ट 2013)

कंपनी, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर एंटी सेक्सुअल हेरेसमेंट पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में है. इस नीति के अंतर्गत स्थायी, अनुबंध पर रखे गये, अस्थायी, प्रशिक्षु सभी कर्मचारी आएंगे.

वर्ष 2016-17 के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें प्राप्त होने तथा उनका निपटारा किये जाने का विवरण प्रकार है –

प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुछ नहीं
शिकायतों का निपटारा	आवश्यकता ही नहीं पड़ी

20. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

अपने प्रतिदिन के कार्यकलापों में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही बनाये रखने के लिए कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की श्रेष्ठतम नीतियों का निरंतर अनुसरण करती है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इन नीतियों को संलग्न (अनुलग्नक II) में प्रमुखता के साथ दर्शाया गया है.

21. मियादी जमा

कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों 2(31), 73 तथा 74 के अंतर्गत जनता से मियादी जमा निमंत्रित नहीं कीं.

Adequate provisions have been made in the Books of Accounts for Sundry Debtors, Loans and Advances that are outstanding for more than three years and have been duly carried forward from previous years. Further, legal cases have been filed for recovery in respect of TV Marketing Debtors and other cases of outstanding dues wherever required.

The Current Liabilities are mainly on account of Media Business. Most of the dues have been cleared subsequently.

PARA (b)
Noted

PARA (c)
No comments

ANNEXURE – B to the Auditor's Report
PARA 1.

For the financial year 2017-18, New Internal Auditors have been appointed for Delhi Office with additional scope of work.

17. Risk Management Policy

The Board of Directors review internal & external risks of the business periodically so as to take timely corrective action. In order to review its internal weaknesses and various external threats periodically, reports are placed before the Board of Directors. In the F.Y. 2016-17, no Board Meeting was held hence risk management policy was not reviewed.

18. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility is not applicable to the company since company has accumulated losses.

19. Disclosure Under The Sexual Harrassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013.

The Company is in the process of making an Anti-Sexual Harassment Policy in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013. All employees (permanent, contractual, temporary, trainees) will be covered under this policy.

The following is a summary of sexual harassment complaints received and disposed off during the year 2016-17 –

No. of complaints received	Nil
No. of complaints disposed of	Nil

20. Corporate Governance

The company consistently endeavours to adopt the best practices of Corporate Governance to ensure transparency, integrity and accountability in its functioning. The Corporate Governance Report highlighting these endeavours is enclosed herewith (Annexure II)

21. Fixed Deposit

The company has not invited deposits from Public under Section 2(31), 73 and 74 of the Companies Act, 2013

22. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था जो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों 197 (12), जिसे रूल्स (5) 2 तथा 5 (3) के साथ पढ़ा जाय, के अंतर्गत आता हो (प्रबंधन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम 2014.

23. आभार

निदेशक मंडल कंपनी के व्यावसायिक भागीदारों को उनके सहयोग और संस्था में उनके विश्वास के प्रति आभारी हैं और पूरी आशा करता है कि भविष्य में ऐसा ही निरंतर पारस्परिक सहयोगी सम्बन्ध जारी रहेगा. निदेशक मंडल अपने रिकॉर्ड में निगम के निदेशक मंडल से बाहर जाने वाले निदेशकों के प्रति उनके उल्लेखनीय बहुमूल्य योगदान के लिये अपनी गहरी सराहना दर्ज करता है.भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहा है, उसके प्रति भी निदेशक मंडल आभार प्रकट करता है, विशेषकर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, कंपनी के संचालन और विकासात्मक योजनाओं के लिये आभारी है. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार, लेखामंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, वैधानिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा बैंकों, संरक्षकों और कंपनी ग्राहकों के प्रति निदेशक मंडल आभार प्रदर्शित करता है. निदेशक मंडल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिवार के सभी सदस्यों के प्रति उनके उत्साहपूर्ण, समर्पित कार्यों के लिये गहरी कृतज्ञता भी दर्ज करता है. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की सुचारु क्रियाशीलता के लिये उनके टीम द्वारा दिया गया सहयोग बहमूल्य था.

निदेशक मंडल की ओर से,

स्थान – मुंबई	**एन.जे.शेख**	**नीना लाठ गुप्ता**
दिनांक – 14/09/2017	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
	डीआईएन नं.	डीआईएन
	07348075	नं.00350722

22. Particulars of Employees

There was no employee in the Company falling under the category of employees required to be reported under Section 197(12) of the Companies Act, 2013, read with Rules (5) 2 and 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

23. Acknowledgements

The Board thanks the Company's business partners for their support and confidence in NFDC and look forward to sustaining and building this mutually supportive relationship in the future as well. The Board also gratefully acknowledges the support and guidance received from the Government of India, various Ministries of the Government of India, particularly the Ministry of Information and Broadcasting, in the Company's operations. The Directors also express their grateful appreciation to the Department of Public Enterprises, Comptroller and Auditor General of India, Chairman and Members of the Audit Board, Statutory Auditors, Internal Auditors, Bankers, patrons and customers of the Company. The Board records its deep appreciation for the enthusiastic and dedicated work of the members of NFDC. Their outstanding team effort was invaluable for the smooth functioning of the Company during the year under report.

For and on behalf of the Board of Directors,

Place – Mumbai	**N.J. Shaikh**	**Nina Lath Gupta**
Date – 14/09/2017	Director (Finance)	Managing Director
	DIN No.07348075	DIN No.00350722

अनुलग्नक – I

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक परिणामों का सार संक्षेप

[कंपनी के अधिनियम 2013 के सेक्शन 92(3) तथा कंपनी के (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 12 (1) नियम 2014] के अनुरूप. फॉर्म नं - एम जी टी -9.

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

i. सी आई एन – U92100MH1975GOI022994

ii. पंजीकरण की तारीख – 01/05/1975

iii. कंपनी का नाम – नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड.

iv. कंपनी का वर्ग/उपवर्ग – सरकारी कंपनी

v. कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस तथा संपर्क का विवरण – डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, 6ठी मंजिल, नेहरू सेंटर,डॉ.ऐनी बेसेंट रोड, वरली, मुंबई 400018, महाराष्ट्र. टेलीफोन – 022-66288297

vi. क्या कंपनी लिस्टेड है? – नहीं

vii. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यदि है तो उसका नाम, पता तथा संपर्क संबंधी विवरण – कोई नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां

कंपनी की कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या इससे अधिक जिन व्यापारिक गतिविधियों के प्राप्त होता है, उनका विवरण इस प्रकार है –

	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल उत्पाद का प्रतिशत
1	फिल्म निर्माण		42%
2	मीडिया कैंपेन		46%

III. स्वामित्व, सहायक नियंत्रित कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण

	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	स्वामित्व/ नियंत्रित	शेयर्स का प्रतिशत	लागू सेक्शन
1	कुछ नहीं				
2	कुछ नहीं				

Annexure – I

Extract of Annual Return as on the financial year ended on March 31, 2017

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014] Form No.MGT-9

I. Registration And Other Details

i. CIN – U92100MH1975GOI022994

ii. Registration Date – 01/05/1975

iii. Name of the Company – National Film Development Corporation Ltd.

iv. Category/Sub-Category of the Company – Government Company

v. Address of the Registered office and contact details – Discovery of India Building, 6th Floor, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018, Maharashtra, Tel – 022-66288297

vi. Whether listed company – No

vii. Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any – Nil

II. Principal Business Activities of The Company

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company is hereby stated –

	Name and Description of main products/services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	Film Production		42%
2	Media Campaign		46%

III. Particulars of Holding, Subsidiary And Associate Companies

	Name and address of the Company	CIN/ GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1	Nil				
2	Nil				

IV. अंशधारण का पैटर्न (इक्विटी शेयर, कैपिटल ब्रेक अप (जैसे कुल इक्विटी का प्रतिशत)

IV. Share Holding Pattern (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i. श्रेणीबद्ध शेयर होल्डिंग

i. Category-wise Share Holding

शेयरधारकों की श्रेणी	Category of Shareholders	वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				
		डीमैट Demat	फिजिकल Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का प्रतिशत % of Total Shares	डीमैट Demat	फिजिकल Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का प्रतिशत % of Total Shares	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत % change during the year
क. प्रमोटर्स	**A. Promoters**									
(1) भारतीय	**(1) Indian**									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	a) Individual/ HUF		2	2	–	–	2	2	–	Nil
ख) केंद्र सरकार	b) Central Govt.	–	45,39,983	45,39,983	100	–	45,39,983	45,39,983	100	Nil
ग) राज्य सरकार	c) State Govt. (s)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) सरकारें कॉर्पोरेट बॉडीज	d) Bodies Corp.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड़) बैंक/ फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंस	e) Banks/FI	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) कोई अन्य	f) Any Other….	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सब टोटल (क)(1)	**Sub-total (A)(1)**		**45,39,985**	**45,39,985**	**100**	**–**	**45,39,985**	**45,39,985**	**100**	**Nil**
(2) विदेशी	**(2) Foreign**									
क) अनिवासी भारतीय	a) NRIs – Individuals									
ख) व्यक्तिगण अन्य व्यक्तिगण	b) Other – Individuals									
ग) कॉर्पोरेट बॉडीज	c) Bodies Corp.									
घ) बैंक/ फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंस	d) Banks/FI									
ड़) अन्य	e) Any Other….									
सब टोटल (क)(2)	Sub-total (A)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रमोटर्स की कुल शेयर भागीदारी	Total shareholding of Promoter	–	45,39,985	45,39,985	100	–	45,39,985	45,39,985	100	Nil
(क)= (क)(1) + (क)(2)	(A)=(A)(1) + (A)(2)									
ख. पब्लिक शेयरहोल्डिंग	B. Public Shareholding									

शेयरधारकों की श्रेणी	Category of Shareholders	वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				
		No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				
		डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर्स का प्रतिशत	डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर्स का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
		Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	% change during the year
1. संस्थाएं	1. Institutions									
क) म्यूचुअल फंड्स बैंक	a) Mutual Funds									
ख) फाइनेंशियल इंन्सटीट्यूशं	b) Banks/FI									
ग) केंद्र सरकार	c) Central Govt.									
घ) राज्य सरकार	d) State Govt(s)									
ड़) वेंचर कैपिटल फंड्स	e) Venture Capital Funds									
च) बीमा कंपनियां	f) Insurance Companies									
छ) एफआईआई	g) FIIs									
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड्स	h) Foreign Venture Capital Funds									
i) अन्य (उल्लेख कीजिए)	i) Others (specify)									
सब टोटल (ख) (1)	Sub-total (B)(1)									
2. गैर संस्थागत	2. Non-Institutions									
क) कॉर्पोरेट बॉडीज	a) Bodies Corp.									
i. भारतीय	i. Indian									
ii. विदेशी	ii. Overseas									
ख) व्यक्तिगत	b) Individuals									
i. व्यक्तिगत शेयरहोल्डर्स जिनके पास मात्र ₹ 1 लाख तक की शेयर कैपिटल है.	i. Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs.1 lakh									
ii. व्यक्तिगत शेयरहोल्डर्स जिनके पास मात्र ₹ 1 लाख से अधिक की शेयर कैपिटल है.	ii. Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs.1lakh									

शेयरधारकों की श्रेणी	Category of Shareholders	वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
		डीमैट Demat	फिजिकल Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का प्रतिशत % of Total Shares	डीमैट Demat	फिजिकल Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का प्रतिशत % of Total Shares	% change during the year
अन्य (उल्लेख कीजिए)	c) Others (specify)									
सब टोटल (ख) (2)	Sub-total (B)(2)									
कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)									
ग. कस्टोडियन द्वारा जीडीआर तथा एडीआर के लिए रखे गये शेयर्स	C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
कुल (क+ख+ग)	**Grand Total (A+B+C)**	**–**	**45,39,985**	**45,39,985**	**100**	**–**	**45,39,985**	**45,39,985**	**100**	

ii) प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग

ii) Shareholding of promoters

	शेयरधारक का नाम	Shareholder's Name	वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग Share holding at the end of the year			वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग्स में परिवर्तन का प्रतिशत
			शेयर्स की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयर्स का % of total Shares of the company	कुल शेयर्स में से गिरवी रखे गये शेयर्स का प्रतिशत % of Shares Pledged/ encumbered to total shares	शेयर्स की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयर्स का % of total Shares of the company	कुल शेयर्स में से गिरवी रखे गये शेयर्स का प्रतिशत %of Shares Pledged/ encumbered to total shares	कुल शेयर्स में से गिरवी रखे गये शेयर्स का प्रतिशत % change in share holding during the year
1	भारत के राष्ट्रपति	President of India	45,39,983	100	कुछ नहीं Nil	45,39,983	100	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
2	प्रबंध निदेशक	Managing Director	1	-	कुछ नहीं Nil	1	-	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
3	संयुक्त सचिव (फिल्म्स)	Joint Secretary (Films)	1	-	कुछ नहीं Nil	1	-	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	कुल	**Total**	**45,39,985**	**100**	**कुछ नहीं Nil**	**45,39,985**	**100**	**कुछ नहीं Nil**	**कुछ नहीं Nil**

iii) प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग्स में हुए परिवर्तन (यदि परिवर्तन न हुआ हो तो वैसा उल्लेख करें)

iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

			वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
			शेयर्स की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत % of total shares of the company	शेयर्स की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत % of total shares of the company
1	वर्ष के प्रारंभ में	At the beginning of the year	45,39,985	100	45,39,985	100
2	निर्दिष्ट वर्षों में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग्स में हुई वृद्धि अथवा कमी का दिनांक के अनुसार विवरण	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/ sweat equity etc.)	कोई परिवर्तन नहीं No change			
3	वर्ष के अंत में	At the End of the year	45,39,985	100	45,39,985	100

iv) सबसे ऊपर के दस शेयरहोल्डर्स की शेयरहोल्डिंज्स का पैटर्न (निदेशक, प्रमोटर्स और जीडीआर तथा एडीआर को छोड़ कर).

iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

	सबसे ऊपर के दस शेयरहोल्डर्स के लिए	For Each of the Top 10 Shareholders	वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
			शेयर्स की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत % of total shares of the company	शेयर्स की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत % of total shares of the company
1	वर्ष के प्रारंभ में	At the beginning of the year				
2	निर्दिष्ट वर्षों में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग्स में हुई वृद्धि अथवा कमी का दिनांक के अनुसार विवरण	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/ sweat equity etc.)				
3	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक होने की तारिख पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हो)	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) निदेशकों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रबन्धकीय कर्मचारियों की शेयरहोल्डिंग

(v) Shareholding of Directors and key Managerial Personnel

	हर निदेशक अथवा/एवं केपीएम के लिए / For Each of the Directors and KMP		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग / Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग / Cumulative Shareholding during the year	
			शेयर्स की संख्या / No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत / % of total shares of the company	शेयर्स की संख्या / No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत / % of total shares of the company
1	वर्ष के प्रारंभ में	At the beginning of the year	2	–	2	–
2	वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग्स में तिथि क्रमानुसार वृद्धि अथवा कमी. इस वृद्धि अथवा कमी के कारणों का भी उल्लेख कीजिये (जैसे : अलॉटमेंट, ट्रांसफर, बोनस, स्वॅट, इक्विटी आदि.)	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/ sweat equity etc.)				
3	वर्ष के अंत में	At the end of the year	2	–	2	–

V. ऋणग्रस्तता / V. Indebtedness

i) ब्याज के बकाया/इकट्ठा किंतु भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

i) Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment

			जमाओं को छोड़ कर संरक्षित ऋण / Secured Loans excluding deposits	असंरक्षित ऋण / Unsecured Loans	जमा / Deposits	कुल ऋणग्रस्तता / Total Indebtedness
	वित्तवर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता	Indebtedness at the beginning of the financial year				
	i. मूल राशि	i. Principal Amount	1,81,27,528			1,81,27,528
	ii. देय ब्याज किंतु अदा नहीं किया गया.	ii. Interest due but not paid	13,09,479			13,09,479
	iii. ब्याज उपार्जित किंतु देय नहीं	iii. Interest accrued but not due	–			–
	कुल (i+ii+iii)	**Total (i+ii+iii)**	**1,94,37,007**			**1,94,37,007**
	वित्तवर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	Change in Indebtedness during the financial year				
	• अभिवृद्धि	• Addition	–	–		
	• कमी	• Reduction	40,38,456	–	–	40,38,456
	कुल परिवर्तन	Net Change	(40,38,456)			(40,38,456)
	वित्तवर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	Indebtedness at the end of the financial year				
	i मूल राशि	i Principal Amount	1,40,89,072			1,40,89,072
	ii ब्याज देय किंतु अदा नहीं किया गया	ii Interest due but not paid	6,95,256	–	–	6,95,256
	iii ब्याज उपार्जित किंतु देय नहीं	iii Interest accrued but not due	–			–
	कुल (i+ii+iii)	**Total (i+ii+iii)**	**1,47,84,328**			**1,47,84,328**

VI. निदेशकों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रबन्धकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक –

VI. Remuneration Of Directors And Key Managerial Personnel

A) Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager –

	पारिश्रमिक का विवरण	Particulars of Remuneration	प्रबंध निदेशक/डब्ल्यू टी डी का नाम Name of MD/WTD			कुल राशि Total Amount
			नीना लाठ गुप्ता Nina Lath Gupta	साहेब नारायण Sahab Narain	एन. जे. शेख N.J. Shaikh	
1	कुल वेतन	Gross salary	24,46,482		21,72,260	46,18,742
	क) आयकर अधिनियम 1961 के उपनियम 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन	a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961				
	ख) आयकर अधिनियम 1961के उपनियम 17(2) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुलाभों की मूल्य	b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961				
	ग) आयकर अधिनियम 1961के उपनियम 17(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुलाभों की कीमत	c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961				
2	स्टॉक विकल्प	Stock Option	–	–	–	–
3	स्वॅट इक्विटी	Sweat Equity	–	–	–	–
4	कमीशन	Commission				
	लाभ के प्रतिशत के तौर पर	– as % of profit				
	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	– Others, specify…	–	–	–	
5	अन्य-उल्लेख कीजिए	Others, please specify	–	–	–	–
	कुल (क)	**Total (A)**	**24,46,482**		**21,72,260**	**46,18,742**
	अधिनियम के अंतर्गत सीमा	Ceiling as per the Act	–	–	–	–

ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

B) Remuneration to other directors

	पारिश्रमिक का विवरण	Particulars of Remuneration	निदेशकों के नाम Name of Directors				कुल राशि Total Amount
	3 स्वतंत्र निदेशक	3. Independent Directors					
	• बोर्ड समिति की मीटिंग्स में शामिल होने के लिए फीस	• Fee for attending board committee meetings					
	• कमीशन	• Commission					
	• अन्य :कृपया स्पष्ट करें	• Others, please specify					
	कुल (1)	**Total (1)**					
	4 अन्य गैर कार्यकारी निदेशक	4. Other Non-Executive Directors					
	• बोर्ड समिति की मीटिंग्स में शामिल होने के लिए फीस	• Fee for attending board committee meetings					
	• कमीशन	• Commission					
	• अन्य :कृपया स्पष्ट करें	• Others, please specify					
	कुल (2)	**Total (2)**					
	कुल (ख)=(1+2)	**Total (B)=(1+2)**					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	Total Managerial Remuneration					
	अधिनियम के अंतर्गत सीमा	Overall Ceiling as per the Act					

ग) महत्वपूर्ण प्रबन्धकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक, प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़ कर)

C) Remuneration to Key Managerial Personnel/Other than MD/ Manager/WTD

	पारिश्रमिक का विवरण	Particulars of Remuneration	महत्वपूर्ण प्रबंधक कर्मचारी Key Managerial Personnel			
			सीईओ CEO	कंपनी सेक्रेटरी Company Secretary	सीएफओ CFO	कुल Total
1		Gross salary				
	क) कुल वेतन आयकर अधिनियम 1961के उपनियम 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन.	a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	–	16,20,255	13,84,602	30,04,857
	ख) आयकर अधिनियम 1961के उपनियम 17(2) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुलाभों की कीमत	b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961				
	ग) आयकर अधिनियम 1961के उपनियम 17(3) के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन के बदले में मिलने वाले लाभ	c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961				
2	स्टॉक विकल्प	Stock Option	–	–	–	–
3	स्वेंट इक्विटी	Sweat Equity	–	–	–	–
4	कमीशन	Commission				
	लाभांश का प्रतिशत	as % of profit				
	अन्य. विवरण दें	others, specify…	–	–	–	–
5	अन्य (कृपया उल्लेख कीजिये)	Others, please specify	–	–	–	–
	कुल	**Total**	**–**	**16,20,255**	**13,84,602**	**30,04,857**

VII. जुर्माना/सजा/अपराध पर समझौता

VII. Penalties/Punishment/Compounding of Offences

प्रकार	Type	कंपनीज एक्ट का सेक्शन Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	जुर्माने/सजा/समझौते की अधिरोपित फीस Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट) Authority (RD/NCLT/ COURT)	यदि अपील की गई तो उसका विवरण Appeal made, if any (give details)
क. कंपनी	A. Company					
जुर्माना	Penalty			कुछ नहीं Nil		
सजा	Punishment			कुछ नहीं Nil		
समझौता	Compounding			कुछ नहीं Nil		
ख. निदेशक	B. Directors					
जुर्माना	Penalty			कुछ नहीं Nil		
सजा	Punishment			कुछ नहीं Nil		
समझौता	Compounding			कुछ नहीं Nil		
ग. दोषी पाए गये अन्य अधिकारी	C. Other Officers In Default					
जुर्माना	Penalty			कुछ नहीं Nil		
सजा	Punishment			कुछ नहीं Nil		
समझौता	Compounding			कुछ नहीं Nil		

अनुलग्नक – II

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

क. एनएफडीसी, जो कि भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (डीपीई) भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक एंटरप्राइजेज, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन करता है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर संक्षिप्त रिपोर्ट इस प्रकार है –

1. कोड ऑफ कार्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी की धारणा

एनएफडीसी उस अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध है जिसे समुचित पारदर्शी प्रणाली और उन प्रथाओं का सहारा है जिनसे इसके सभी हिस्सेदारों के हितों का संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा सुनिश्चित होती रहे.

एनएफडीसी एक प्रतियोगी, ग्राहक के प्रति मैत्रीभाव रखने वाली और विकासोन्मुखी संस्था के रूप में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है जो देश-विदेश में स्वस्थ सिनेमा का उन्नयन करे. साथ ही यह अपने सभी ग्राहकों को मैत्रीपूर्ण तथा श्रेष्ठतम सेवाएं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिये भी प्रतिबद्ध है.

2. निदेशक मंडल

क. बोर्ड की संरचना –

एनएफडीसी के निदेशक मंडल में सात सदस्य हैं. इनमें से दो कार्यकारी निदेशक हैं. शेष पांच में से दो भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा तीन गैर आधिकारिक निदेशक हैं. निदेशक मंडल में नियुक्ति विस्तृत अनुभव, ज्ञान एवं कार्य कुशलता के आधार पर की जाती है.

31 मार्च 2017 को कंपनी के बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी –

क्रियाशील निदेशक	
सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक
सुश्री एन. जे शेख	निदेशक (वित्त)

गैर कार्यकारी निदेशक	
श्री के. संजय मूर्ति (27.02.17 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
डॉ. सुभाष शर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री अनुपमा चोपड़ा (08.02.2017 से)	गैर अधिकारिक निदेशक

तीन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल, जिनमें चेयरमैन भी शामिल हैं, 15. 01. 2015 को समाप्त हो गया था. उसके बाद एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई.

द इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 118 (10) के अंतर्गत एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जारी किया है जो कि 01. 07. 2015 से एनएफडीसी पर भी लागू होता है.

इस स्टैंडर्ड के पैरा 3. 4. 2 के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता जिसमें निदेशकों की संख्या उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोसिएशन में निर्दिष्ट न्यूनतम संख्या से भी नीचे हो. एनएफडीसी के मामले में यह संख्या 5 है.

Annexure – II

Corporate Governance Report For The Financial Year 2016-17

A Public Sector Enterprise of Government of India, NFDC follows the extant Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

A Brief report on Corporate Governance is given below –

1. Company's Philosophy on Code of Corporate Governance.

NFDC is committed to good Corporate Governances supported by appropriate transparent systems and practice to protect, promote and safeguard the interests of all its stakeholders.

NFDC is committed to act as a competitive, client-friendly and development-oriented organization for promotion of good cinema in the country and abroad. It is also committed to providing client friendly best services to all its customers in a transparent manner.

2. Board of Directors

a. Composition of Board –

The Board of Directors of NFDC comprises of Seven Members out of which two are Functional Directors and Five are Directors of whom two are the nominees of the Government of India and three are Non-official Directors. The Directors bring to the Board wide range of experience knowledge and skills.

The composition of the Board as on 31st March 2017 is as follows –

Functional Directors	
Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director
Ms. N.J. Shaikh	Director (Finance)

Non Executive Directors	
Shri K. Sanjay Murthy (w.e.f. 27/02/2017)	Government Nominee Director
Dr. Subhash Sharma	Government Nominee Director
Ms. Anupama Chopra (w.e.f. 08/02/2017)	Non-official Director

The tenure of the three independent directors including the Chairman came to an end on 15.01.2015 after which one independent director has been appointed.

The Institute of Company Secretaries of India had issued a Secretarial Standard on meetings of the Board of Directors under Section 118 (10) of the Companies Act, 2013 which is also applicable to NFDC with effect from 01.07.2015

As per para 3.4.2 of this Standard, no business shall be transacted by the Board of Directors where the number of Directors is reduced to a number below the minimum number prescribed in the Articles of Association of the said company. In the case of NFDC, this minimum number is 5.

बोर्ड की अपर्याप्त संख्या और उपर्युक्त आवश्यक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए 2016-17 में बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई.

ख. बोर्ड तथा समितियों संबंधी अन्य प्रावधान

(i) वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान हुई बोर्ड मीटिंग्स का विवरण

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कोई भी बोर्ड मीटिंग्स नहीं हुई.

बोर्ड के पास कंपनी के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाएं तथा जानकारियां उपलब्ध हैं जिनसे निदेशक मंडल और विभिन्न समितियों को सुविज्ञ तथा प्रभावशाली निर्णय लेने में सहूलियत हुई.

(ii) वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान बोर्ड मीटिंग्स में निदेशकों की उपस्थिति, पिछली आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशकीय उत्तरदायित्वों की संख्या (अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/ समितियों में निदेशकों की सदस्यता) आदि का विवरण इस प्रकार है –

Hence, no meetings of the Board of Directors were held in 2016-17 due to insufficient strength of the Board, in view of the above mandatory Secretarial Standard.

b. Other provisions as to Board and Committees

(i) Details of Board Meeting held during the Financial Year 2016-17

During the Financial Year 2016-17, no Board Meetings were held.

The Board has complete access to all the relevant information within the Company enabling Board of Directors and Committees thereof to take informed and efficient decision.

(ii) Details of Number of Board Meetings attended by Directors, attendance at last AGM number of other Directorship (in Public Limited Companies)/Committee Memberships held by directors during the year 2016-17 are tabled below –

	निदेशक का नाम	पद	बोर्ड मीटिंग		30.09.2015 को हुई पिछली ए जी एम में उपस्थिति	31/3/2017 को अन्य निदेशकों की संख्या	31.03.2017 को अन्य कमिटी मेंबर्स की संख्या	
			कार्यकाल में हुईं	उपस्थित			As Chairman	As Member
1.	सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	–	–	हां	कोई नहीं	कोई नहीं	3
2.	सुश्री अनुपमा चोपड़ा	गैर अधिकारिक निदेशक			उपलब्ध नहीं	3	कोई नहीं	3
3.	सुश्री अंशु सिन्हा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	–	–	उपलब्ध नहीं	कोई नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	डॉ. सुभाष शर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	–	–	उपलब्ध नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	1
5.	सुश्री एन. जे. शेख	निदेशक (वित्त)	–	–	उपलब्ध नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	2
6.	श्री के संजय मूर्ति	सरकार द्वारा नामित निदेशक	–	–	हां	कोई नहीं	कोई नहीं	2

	Name of Director	Designation	Board Meeting		Attendances at Last AGM (held on 30/09/2015)	No. of other Directorships as on 31/03/2017	No. of other Committee Memberships as on 31/03/2017	
			Held during the tenure	Attended			As Chairman	As Member
1.	Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director	–	–	Yes	Nil	Nil	3
2.	Ms. Anupama Chopra	Non-Official Director	–	–	NA	3	Nil	3
3.	Ms. Anshu Sinha	Government Nominee Director	–	–	NA	Nil	NA	NA
4.	Dr. Subhash Sharma	Government Nominee Director	–	–	NA	Nil	Nil	1
5.	Ms. N.J. Shaikh	Director (Finance)	–	–	NA	Nil	Nil	2
6.	Shri K. Sanjay Murthy	Government Nominee Director			Yes	Nil	Nil	2

(iii) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से ज्यादा समितियों का सदस्य नहीं है.

(iv) नये निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

सुश्री अंशु सिन्हा की नियुक्ति अंश कालीन सरकारी निदेशक के तौर पर 13.10.2016 से 27.02.2017 तक रही. वे सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (फिल्म्स) के रूप में काम कर रही थीं.

सुश्री अनुपमा चोपड़ा की नियुक्ति पूर्णकालिक गैर अधिकारिक निदेशक के रूप में 08.02.2017 से हुई. वे लेखक, पत्रकार एवं फिल्म समीक्षक हैं.

ग. आचार संहिता

कॉर्पोरेशन ने बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की आचार संहिता के बारे में कंपनी के मिशन तथा उद्देश्यों के अनुकूल एक नीति निर्धारित की है जिसका लक्ष्य कंपनी की कार्य संचालन पद्धति में नैतिक पारदर्शिता की अभिवृद्धि करना है. इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेशन ने धोखाधड़ी की रोकथाम के लिये भी नीति निर्धारित की है. ये दोनों नीतियां निदेशक मंडल बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त हैं

3. निदेशक मंडल की समितियां

3.1 बोर्ड द्वारा गठित समितियां इस प्रकार हैं –

- लेखा परीक्षण समिति
- कर्मचारी उपसमिति
- पारिश्रमिक समिति

3.1.1 लेखा परीक्षण समिति

(i) 31 मार्च 2017 को ऑडिट समिति का गठन इस प्रकार था –

	निदेशक का नाम	पद	समिति में दर्जा
1	सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
2	डॉ. सुभाष शर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

लेखा परीक्षण समिति की बैठकों में निदेशक वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षक तथा वैधानिक लेखा परीक्षक, स्थायी निमंत्रित होते हैं. आवश्यकता पड़ने पर समिति को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने के लिये वरिष्ठ फंक्शनल एक्जिक्यूटिव्स को भी बुलाया जाता है.

लेखा परीक्षण समिति की संख्या 5 है. इसमें शामिल हैं – प्रबंध निदेशक, सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक. दो स्वतंत्र निदेशकों के पद खाली हैं. इस वजह से वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान लेखा परीक्षण समिति की कोई मीटिंग नहीं हो सकी.

(ii) लेखा परीक्षण समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है –

(क) कंपनीज एक्ट की धारा 177 में दी गई आश्यकताओं का अनुपालन.

(ख) कंपनी के लेखा परीक्षित/अपरीक्षित त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय विवरणों को रिकॉर्ड पर लेना तथा/अथवा उनकी समीक्षा करना.

(iii) None of the Directors on the board is a member of more than 10 Committees.

(iv) Brief Profile of new Directors

Ms. Anshu Sinha was appointed as part- time Government Director w.e.f. 13.10.2016 to 27.02.2017. She was working as Joint Secretary (Films), Ministry of Information & Broadcasting.

Ms. Anupama Chopra was appointed as part-time non-official director w.e.f. 08.02.2017. She is an author, journalist and film critic.

c. Code of Conducts

The Company has prepared a policy on Code of Conduct for the Board members and Senior Management Personnel in alignment with Company's mission and objectives and aims at enhancing ethical and transparent process in managing the affairs of the Company. Further the Company has formulated a policy on Fraud Prevention. Both the policies have been noted by the Board of Directors.

3. Commitees of The Board of Directors

3.1 The Committees constituted by the Board are as follows –

- Audit Committee
- Personnel Sub Committee
- Remuneration Committee

3.1.1 Audit Committee

(i) The composition of the Audit Committee as on 31st March 2017 is as under –

	Name of the Director	Designation	Position in Committee
1	Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
2	Dr. Subhash Sharma	Government Nominee Director	Member

Director Finance, Internal Auditors and Statutory Auditors are standing invitees in the Audit Committee meetings. Senior functional executives are also invited as and when required to provide inputs to the Committee.

The strength of the Audit Committee is five consisting of Managing Director, Govt. Nominee Director and three independent directors. The post of two independent directors was vacant due to which no Audit Committee Meetings were held during the Financial Year 2016-17

(ii) The terms of reference of the Audit Committee are as under –

(a) to comply with the requirements laid down in Section 177 of the Companies Act –

(b) to take on record and/or to review unaudited/audited quarterly/half-yearly/annual financial statements of the Company.

3.1.2 कर्मचारी उपसमिति

31 मार्च 2017 को निदेशक मंडल की कर्मचारी उप समिति का गठन इस प्रकार था –

	निदेशक का नाम	पद	समिति में दर्जा
1	सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
2	सुश्री एन. जे शेख	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3	श्री के. संजय मूर्ति	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
4	सुश्री अनुपमा चोपड़ा.	गैर अधिकारिक निदेशक	सदस्य

कर्मचारी उप समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है –

प्रबंधकों से उप महाप्रबंधक स्तर तक के पदों पर अधिकारियों की पदोन्नति, कल्याणकारी कदमों एवं कर्मचारियों से ताल्लुक रखने वाले नीति संबंधी अन्य मामलों पर विचार.

वर्ष 2016-2017 के दौरान कर्मचारी सब कमिटी की एक बैठक 29/08/2016 को हुई. इसमें भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण इस प्रकार है –

	निदेशक का नाम, पद	समिति में दर्जा	इनके कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1	सुश्री नीना लाठ गुप्ता प्रबंध निदेशक	सदस्य	1	1
2	सुश्री अनुपमा चोपड़ा. गैर अधिकारिक निदेशक	सदस्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	श्री के. संजय मूर्ति सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	1	कुछ नहीं
4	सुश्री एन. जे शेख निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1
5	सुश्री अंशु सिन्हा. सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं

3.1.3 पारिश्रमिक समिति –

31 मार्च 2017 को पारिश्रमिक समिति का गठन इस प्रकार था –

	निदेशक का नाम	पद	समिति में दर्जा
1	सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
2	सुश्री एन. जे शेख	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3	श्री के. संजय मूर्ति	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
4	सुश्री अनुपमा चोपड़ा.	गैर अधिकारिक निदेशक	सदस्य

3.1.2 Personnel Sub Committee

The composition of Personnel Sub Committee of Board of Directors as on 31st March 2017 are as follows –

	Name of the Director	Designation	Position in Committee
1	Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
2	Ms. N.J. Shaikh	Director (Finance)	Member
3	Shri K. Sanjay Murthy	Government Nominee Director	Member
4	Ms. Anupama Chopra	Non-official Director	Member

The terms of reference of the Personnel Sub Committee are as under –

To consider the promotion of officers from Manager up to the level of Deputy General Manager and Welfare issues and other policy matters related to personnel.

During the year 2016-17 one Personnel Sub Committee Meetings was held on 29/08/2016. Meeting attended by individual members during the year 2016-17 are detailed below –

	Name of the Director, Designation	Position in the Committee	No. of Meeting held during their tenure	Meeting attended
1	Ms. Nina Lath Gupta,Managing Director	Member	1	1
2	Ms. Anupama Chopra, Non-official Director	Member	Nil	Nil
3	Shri K. Sanjay Murthy, Government Nominee Director	Member	1	Nil
4	Ms. N.J. Shaikh, Director (Finance)	Member	1	1
5	Ms. Anshu Sinha, Government Nominee Director	Member	Nil	Nil

3.1.3 Remuneration Committee –

The composition of the Remuneration Committee as on 31st March 2017 are as follows –

	Name of the Director	Designation	Position in Committee
1	Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
2	Ms. N.J. Shaikh	Director (Finance)	Member
3	Shri K. Sanjay Murthy	Government Nominee Director	Member
4	Ms. Anupama Chopra,	Non-official Director	Member

पारिश्रमिक समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है –

वार्षिक बोनस/वेरियेबल पे पूल की राशि का फैसला तथा सभी एक्जिक्यूटिव्स तथा नॉन यूनियनाज्ड सुपरवाइजर्स के बीच नियत सीमाओं के भीतर इसके वितरण की नीति निर्धारित करना.

वर्ष 2016-2017 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

वित्त वर्ष 2016-2017 में सुश्री नीना लाठ गुप्ता, प्रबंध निदेशक को रू 2446482 तथा सुश्री एन. जे शेख, निदेशक वित्त को रू 2172260 का पारिश्रमिक प्रदान किया गया. वित्त वर्ष 2016-2017 के लिये किसी अन्य निदेशक/निदेशकों को कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया गया.

The terms of reference of the Remuneration Committee are as under –

To decide the annual bonus/variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors within the prescribed limits.

During the year 2016-17, no Remuneration Committee Meeting was held.

Ms. Nina Lath Gupta, Managing Director was paid a remuneration of ₹ 2446482 and Ms. N.J. Shaikh, Director (Finance) was paid a remuneration of ₹ 2172260 in the F.Y. 2016-17. None of the other directors were paid any remuneration during the financial year 2016-17.

4. वार्षिक आम सभा

	वर्ष	स्थान	दिनांक तथा समय	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पास किया गया
39 वीं	2013-14	रजिस्टर्ड कार्यालय, 6ठी मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग , नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018	29.09.2014 दोपहर 12 बजे	पास किया गया
40 वीं	2014-15	रजिस्टर्ड कार्यालय, 6ठी मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग , नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018	30.09.2015 11.00 सुबह	नहीं
41 वीं	2015-16	रजिस्टर्ड कार्यालय, 6ठी मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग , नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018	03.10.2017 दोपहर 12.00 बजे	पास किये जाने को कुछ था नहीं
42 वीं	2016-17	रजिस्टर्ड कार्यालय, 6ठी मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग , नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018	22.12.2017 दोपहर 12.10 बजे	पास किये जाने को कुछ था नहीं

4. Annual General Meeting

	Year	Location	Date & Time	Whether any special resolution passed
39th	2013-14	**Registered Office** 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr .Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018	29.09.2014 12.00 Noon	Passed
40th	2014-15	**Registered Office** 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr .Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018	30.09.2015 11.00 AM	No
41st	2015-16	**Registered Office** 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr .Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018	03.10.2017 12 noon	None to be passed
42nd	2016-17	**Registered Office** 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr .Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018	22.12.2017 12.10 PM	None to be passed

5. प्रकटीकरण

(i) इस तरह के कोई भी महत्वपूर्ण सौदे नहीं हैं जो संबधित पक्षों जैसे : प्रमोटर्स, निदेशक अथवा प्रबंधन के साथ किये गये हों और जिनका कंपनी के हितों पर सीधा प्रभाव पड़ता हो.

(i) कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि किसी भी कर्मचारी को ऑडिट समिति से मिलने से रोका नहीं गया.

(iii) कंपनी ने कुछ चुनींदा आइटम्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में अंगीकार कर लिया है.

(iv) कंपनी के निदेशकों के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हैं.

(v) पिछले तीन वर्षों में कंपनी पर सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के उल्लंघन अथवा जुर्माने का कोई मामला किसी भी संवैधानिक प्राधिकारी के समक्ष दर्ज नहीं हुआ.

5. Disclosures

(i) There are no materially significant transactions with related parties i.e. promoters, Directors or the management conflicting with the Company's interest.

(ii) The Company affirms that no personnel have been denied access to the Audit Committee.

(iii) The Company has adopted suggested items to be included in the Report on Corporate Governance.

(iv) There is no inter-se relationship between Directors of the Company.

(v) No penalties or strictures have been imposed on the company by any statutory authority, on any matter related to any guidelines issued by Government, during the last three years.

सीपीएसईज के लिये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यक हैं.

(i) बही खातों में डेबिट की गई खर्च की मदें जो बिजनस के मतलब के नहीं हैं – कोई नहीं.

(ii) व्यक्तिगत किस्म के खर्च तथा वे खर्च जो निदेशक मंडल एवं उच्चतम प्रबंधन के लिये किये गये – कोई नहीं.

(iii) वर्ष 2016-2017 के प्रशासकीय तथा कार्यालय के खर्च, कुल खर्च के 5.51 प्रतिशत (पिछले वर्ष 6.47 प्रतिशत) रहे. और वर्ष 2016-2017 के वित्तीय खर्च के प्रतिशत के तौर पर 5.56 प्रतिशत (पिछले वर्ष 6.55 प्रतिशत) हैं.

(iv) गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में अंगीकार/गैर अंगीकार सूचना यहां दी जा रही है –

गैर अनिवार्य आवश्यकताएं

i. बोर्ड –

कंपनी के मुखिया प्रबंध निदेशक हैं. कंपनी के बोर्ड में सभी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्ष के लिये की गई थी और स्वतंत्र निदेशकों में से किसी का भी कुल मिला कर कार्यकाल नौ वर्ष की सीमा से अधिक नहीं रहा.

ii. पारिश्रमिक समिति –

डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुकूल एनएफडीसी के बोर्ड ने वार्षिक बोनस/वेरिएबल पूल और एक्जिक्यूटिव्स तथा नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स के बीच निर्धारित सीमाओं के अनुकूल इसके वितरण के सबंध में नीति निर्धारण के लिये 21.06.2011 को एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया

iii. अंशधारकों के अधिकार –

आज की तारीख में हर अंशधारक को अर्धवार्षिक वित्तीय परफार्मेंस, जिनमें पिछले छह महीनों के महत्वपूर्ण इवेंट्स भी सम्मिलित हों, भेजने की कोई प्रणाली नहीं है.

iv. ऑडिट संबंधी योग्यता – लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है.

v. बोर्ड के सदस्यों की ट्रेनिंग – आवश्यकता पर आधारित

vi. व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी –

कंपनी द्वारा 'धोखाधड़ी रोकने संबंधी नीति' अपनाई गई है जिसके अंतर्गत धोखाधड़ी रोकने संबंधी व्यवस्था चाकचौबंद है जिसमें धोखाधड़ी का पता लगाना, इसकी रोकथाम और रिपोर्ट सभी कुछ शामिल है. यह नीति किसी भी संदेहास्पद धोखाधड़ी जिसमें कोई कर्मचारी, स्टेकहोल्डर, सलाहकार, वेंडर, उधार लेने या देने वाला, ठेकेदार, कंपनी के साथ बिजनस करने वाली बाहरी एजेंसियां, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारी और/अथवा कोई अन्य पार्टी जिसके कंपमी के साथ बिजनस संबंध हों, संलग्न पाये जाने पर लागू होती है.

6 संपर्क साधन

कंपनी अपने अंशधारकों के साथ वार्षिक रिपोर्ट्स, आमसभा और वैबसाइट के डिस्क्लोजर्स के जरिये संपर्क में रहती है. कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं हर वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी दी जाती हैं जिसमें ऑडिट किये हुए अकाउंट्स, निदेशकों की रिपोर्ट शामिल होती है. यह सभी सदस्यों तथा अन्य उपयुक्त व्यक्तियों के बीच वितरित की जाती है.

Additional disclosures as required under the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by Department of Public enterprises –

(i) Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purpose of business – NIL

(ii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management – NIL

(iii) Administrative and office expenses as a percentage of total expenses for the year 2016-2017 is 5.51% (Previous year 6.47%) and as a percentage of financial expenses for the year 2016-2017 is 5.56 (Previous year 6.55%)

(iv) Information on adoption/non-adoption of non-mandatory requirements is given hereunder –

Non-mandatory Requirements

i. The Board –

The Company is headed by a Managing Director. All the Independent Directors previously on the Board of the company were appointed for tenure of three years and none of the Independent Directors having/had tenure exceeding, in aggregate, a period of nine years.

ii. Remuneration Committee –

In accordance with the directions of DPE the Board of NFDC has constituted a Remuneration Committee on 21.06.2011 to decide the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executives and Non-Unionized supervisors within the prescribed limits.

iii. Shareholders Rights –

As of now there is no system of sending half yearly financial performance including summary of the significant events in the last six months to each shareholder.

iv. Audit Qualification – Auditors report annexed.

v. Training to Board Member – It is need based.

vi. Whistle Blower Policy –

"Policy for Prevention of Frauds" is being adopted by the Company, wherein a Whistle Blower mechanism is in place for detection, prevention and reporting of fraud. This policy applies to any fraud or suspected fraud involving employees as well as stakeholder, consultants, vendors, lenders, borrowers, contractors, outside agencies doing business with the Company, employees of such agencies, and/or any other parties with a business relationship with the Company.

6. Means of Communication

The Company communicates with its shareholders through its Annual Reports, General Meeting and Disclosures through website. All important information pertaining to the Company is also mentioned in the Annual Report for each financial year containing inter alia Audited Accounts, Directors Report, Auditors Report which is circulated to the members and others entitled thereto.

व्यवस्थापन विश्लेषण रिपोर्ट

द कंपनी

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड देश में अच्छे सिनेमा के विकास आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित की गई केंद्रीय सरकारी उपक्रम है. एनएफडीसी का बुनियादी लक्ष्य समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गये राष्ट्रीय आर्थिक नीति के अनुसार भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत एवं प्रभावशाली ढंग से विकास के लिये योजनाएं बनाना, उन्हें प्रोन्नत करना तथा सिनेमा में श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करना है.

मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग का सिंहावलोकन

1. मीडिया एवं मनोरंजन सेक्टर का महत्व

i हाल में पीवीसी द्वारा प्रकाशित ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड मीडिया 2017-2021 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत की मीडिया एवं मनोरंजन इंडस्ट्री (एम एंड ई) 10.55 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो कि विश्व के औसत 4.2% सीएजी आर प्रतिशत से कहीं ज्यादा है. इस सलाहकार फर्म को उम्मीद है कि सन 2021 तक इंडस्ट्री 45.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी जबकि 2016 के अंत तक यह आंकड़ा 27.3 बिलियन डॉलर पर था. किंतु केपीएमजी इंडिया- एफआईसीसीआई की इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2017 का कहना है कि भारतीय एम एंड ई इंडस्ट्री 2016 से 2021 के दौरान 14 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. केपीएमजी इंडिया- एफआईसीसीआई की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत की एम एंड ई सेक्टर की वैल्यू कैलेंडर वर्ष 2016 में आई एन आर 1262.1 बिलियन डॉलर थी जो कैलेंडर वर्ष 2015 के मुकाबले 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी. जिन सेक्टर्स का इस विकास में मूलतः योगदान रहा वे हैं : डिजिटल एडवर्टाइजिंग (28.1 प्रतिशत), एनिमेशन एंड वीएफएक्स (16.4 प्रतिशत), गेमिंग (16.2 प्रतिशत), रेडियो (14.6 प्रतिशत), म्यूजिक (13.0 प्रतिशत). रोचक बात यह है कि पीवीसी रिपोर्ट के मुताबिक एडवर्टाइजिंग स्पेस का विकास डिजिटल एडवर्टाइजिंग की वजह से होगा जो कि सबसे तेज होगा अर्थात 2016-2021 के दौरान 18,6 प्रतिशत सीएजीआर.

ii. इन दोनों रिपोर्ट्स का विश्लेषण दर्शाता है कि हांलाकि टेलीविजन का मीडिया एवं मनोरंजन इंडस्ट्री के बड़े हिस्से पर कब्जा है लेकिन मीडिया एवं मनोरंजन इंडस्ट्री का दूरगामी विकास वैश्विक तथा घरेलू परिवर्तनशीलता के बावजूद जीडीपी में वृद्धि, बढ़ती घरेलू खपत (खास तौर पर ग्रामीण मांग), डिजिटल तक अधिक पहुंच और उसकी खपत और एडवर्टाइजिंग राजस्व आदि पर निर्भर है.

iii. डिलॉइट के अनुसार - CII ने ग्लोबल एक्जिबिशन ऑन सर्विसेज 2017 पर प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2016 में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बाजार आकार लगभग 20.5 बिलियन डॉलर का था. इस सेक्टर में दूसरे सबसे बड़े टेलीविजन मार्केट का समावेश है जिसमें 2016 में 181 मिलियन टेलीविजन परिवार शामिल थे, सबसे बड़ा दैनिक समाचार पत्र बाजार शामिल है जिसके मार्च 2016 में 1,10,851 पंजीकृत प्रकाशन थे और फिल्म निर्माण की दृष्टि से सबसे बड़ा फिल्म उद्योग शामिल है जहां 20 भाषाओं में फिल्में बनाई गईं.

2. फिल्म उद्योग के लिए दृष्टिकोण

i. कैलेंडर वर्ष 2016 में भारतीय फिल्म उद्योग में 2015 के मुकाबले सिर्फ 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और केपीएमजी - एफआईसीसीआई रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत आई एन आर 142.3 बिलियन आंकी गई. इंडस्ट्री के राजस्व में योगदान की दृष्टि से हमेशा की तरह घरेलू थियेट्रिकल सेगमेंट सबसे ऊपर बना रहा. उसके बाद नंबर रहा केबल और सेटेलाइट राइट्स का. फिर भी, यहां यह बता देना उपयुक्त होगा कि डिजिटल राइट्स की बिक्री इंडस्ट्री के लिए राजस्व के नये और सहायक स्रोत के तौर पर उभरी है. इसकी वजह विश्वस्तर के प्लेयर्स जैसे नेटफिक्स और एमेजॉन आदि द्वारा अपनी भारतीय कंटेंट्स की लाइब्रेरी पर पर्याप्त धन खर्च करना भी रही है. इसका सबसे ज्यादा फायदा सभी भाषाओं की छोटे और

Management Analysis Report

The Company

National Film Development Corporation Limited (NFDC) is a Public Sector Undertaking established to encourage the good cinema movement in the country. The primary goal of the NFDC is to plan, promote and organize an integrated and efficient development of the Indian Film Industry in accordance with the national economic policy laid down by the Central Government from time to time.

Overview of the Media & Entertainment Industry

1. Significance of the M & E Sector

i. India's Media and Entertainment (M&E) Industry is expected to grow at the pace of 10.55% CAGR, out-running the global average of 4.2% CAGR, according to a recent Report published by PWC titled Global Entertainment & Media 2017-2021. The consulting firm expects the Industry to touch $45.1 billion by 2021, up from 27.3 billion at the end of 2016. However, the KPMG India—FICCI Report titled Indian Media and Entertainment Industry Report 2017 feels that the Indian M&E industry is estimated to grow at 14 per cent over the period 2016 – 21. The KPMG India—FICCI Report, shows that the M&E sector was valued at INR 1262.1 Billion in the calendar year 2016, and grew at 9.1% over the calendar year 2015. The sectors that primarily contributed to this growth were Digital Advertising (28.1%), Animation & VFX (16.4%), Gaming (16.2%), Radio (14.6%), Music (13.0%). Interestingly, the PWC Report indicates that the growth of the Advertising space will be due to the spurt in digital advertising, which is expected to be the fastest, at a CAGR of 18.6% during the period 2016 – 2021.

ii. An analysis of both these Reports indicate that while Television dominates the M&E pie, growth in the M&E sector on a long-term basis is dependent on increase in GDP, increasing domestic consumption (especially rural demand), rising digital access & consumption, and advertising revenues among others, despite global and domestic volatilities.

iii. According to Deloitte - CII Report on Global Exhibition on Service 2017, the M&E Industry has a market size of approximately $20.5 Billion in 2016. This sector comprises the second largest Television market with 181 Million TV households in 2016, the largest Newspaper market with 110,851 registered publications as on March 2016 and the largest film industry in terms of Films produced in more than 20 languages.

2. Outlook for the Film Industry

i. In the Calendar Year (CY) 2016, the Indian film industry only grew by 3% (over 2015) and is valued at INR142.3 billion as per the KPMG-FICCI Report. As always, the Domestic Theatrical segment continued to be the dominant vertical in the segment followed by Cable & Satellite (C&S) rights, in terms of contribution to the industry's revenues. However, it must be mentioned here that the sale of digital rights emerged as the new key revenue generator for the industry and the primary driver behind the growth of Ancillary Revenue Streams. This phenomenon is due to global players such as Netflix & Amazon among others, investing substantial amounts to build their Indian content libraries. The biggest

मध्यम बजट की फिल्मों को मिला है जिन्हें सी एंड एस के मामले में ज्यादा जद्दोजहद करनी नहीं पड़ती. साथ ही इन प्लेटफार्म्स द्वारा मूल कथ्य के निर्माण में निवेश भी इस सेगमेंट को आगे बढ़ा रहा है. इस तरह यह आगामी वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बन जाएगा.

ii. एक ओर बॉक्सऑफिस पर ब्लॉक बस्टर्स का आधिपत्य बना ही हुआ है वहीं सोशल मीडिया ने कथ्यप्रधान फिल्मों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया है जिन्हें दर्शकों से स्वत: उत्पन्न समीक्षा मिल जाती है जो गाहक की पसंद को प्रभावित करती है. इस प्रकार ग्राहकों की प्राथमिकताओं में परिवर्तन परिलक्षित हुआ. 2016 में दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ ही मराठी, पंजाबी और गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों ने बाजार में अपनी बढ़त बनाई. हॉलीवुड की फिल्मों की प्रगति भी जारी रही. उनके डब किये गये संस्करणों को दर्शकों द्वारा स्वीकार किये जाने में वृद्धि की वजह से बाजार में उनका चलन बढ़ा है.

iii. विश्वस्तर पर भारतीय सिनेमा की बढ़ती सफलता, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय फिल्म निर्माताओं के बीच सहयोग, हॉलीवुड की मुख्य धारा की फिल्मों एवं टेलीविजन में भारतीय कलाकारों को मिलती बढ़ती स्वीकृति जैसे सभी कारकों ने भारतीय फिल्म उद्योग को विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर दिया है. इसमें इतनी विशिष्ट शक्ति है कि इस वजह से दर्शक भारत की ओर आसानी से आकर्षित होने लगे हैं. विदेशों में बसे भारतीयों का बड़ा वर्ग भी भारतीय मनोरंजन और इसके फिल्म कथ्य को विश्वभर में सामने लाने में बड़ा मददगार साबित हुआ है.

3. चुनौतियां

i. फिल्म उद्योग के विकास के मार्ग में फिल्म पायरेसी एक बड़ी बाधा के रूप में बनी ही हुई है. केपीएमजी - एफआईसीसीआई रिपोर्ट ने इस तरह होने वाले नुकसान का आकलन करते हुए इसे आईएनआर 180 बिलियन वार्षिक तक आंका है. साथ ही हर साल 60,000 नौकरियों का भी नुकसान उठाना पड़ता है. समय में बदलाव के साथ फिल्मों की पायरेसी सीडी और डीवीडी से बदल कर ऑन लाइन प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट फोन्स और कैमकॉर्डर्स के साथ थियेटर्स में रिकॉर्डिंग करके उसे जालसाज वॅबसाइट्स पर पब्लिश कर देने तक बढ़ गई है. ऑनलाइन पाइरेसी के बढ़ने, स्मार्ट फोन्स में सेचुरेशन और डाटा चार्जेज में प्रतियोगिता के चलते यह परिदृश्य और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है. सरकार मान्य राष्ट्रीय आईपीआर नीति तथा तैलंगाना इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम यूनिट (टीआईपीसीयू) आदि इस बुराई के विरुद्ध अपनाये जाने वाले साधनों में से कुछ हैं.

ii. फिल्म प्रदर्शन के क्षेत्र में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों का लगातार महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भारत में कुल सिनेमाघरों के 70% से अधिक है. तथापि इंफ्रास्टक्टर की कमी तथा एफ एंड बी विज्ञापन की आय में कमी, सीमित कथ्य एवं प्रोग्रामिंग फ्लिक्साबीलीटी को देखते हुए. केपीएमजी-एफआईसीसीआई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान सिंगल स्क्रीन्स में से 3-4 प्रतिशत प्रतिवर्ष बंद होते जा रहे हैं. यह भी एक तथ्य है कि सिंगल स्क्रीन थियेटर्स अपना अस्तित्व बचाये रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इसकी वजह से वे या तो वे बंद होते जा रहे हैं या फिर उन्हें शादी के हॉल या गोदामों में तब्दील किया जाने लगा है. कहना न होगा कि भविष्य में इस क्षेत्र का विकास प्रदर्शन के नये आयाम खोजे बगैर संभव नहीं है. दूसरे तथा तीसरे स्थानों में गिने जाने वाले तथा देश के भीतरी भागों के शहरों में नये सिनेमाघर बनाने होंगे. साथ ही सिंगल थिएटर टीयर 2, टीयर 3 तथा उनके भी ज्यादा शहरों में कम कीमत पर प्रभावी मनोरंजन का स्त्रोत हैं.

iii. घरेलू बॉक्स ऑफिस के जरिये कुल राजस्व का कम से कम 70 प्रतिशत भाग अर्जित होता है. भारत में में स्क्रीन घनत्व कम होने के कारण इसमें विकास रुकावट की समस्या सामने आ रही है. भारत में प्रति मिलियन के पीछे 8 स्क्रीन्स हैं जबकि अमेरिका में 125 हैं (केपीएमजी-एफआईसीसीआई रिपोर्ट 2015/2016). इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि सिंगल स्क्रीन थियेटर्स अपना अस्तित्व बचाये रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. दूसरे तथा तीसरे

beneficiaries are the small/niche to medium budget films across all languages, which otherwise don't face much traction from the C&S vertical. Additionally, investments in production of original content by these platforms is also driving this segment, thus making it the fastest growing vertical in coming years.

ii. While blockbusters dominate the box office, social media has given a fillip to content driven movies, which receive critical acclaim in the form of positive self-generated reviews from audiences, thereby, signifying changing consumer preferences. Regional film industries such as Marathi, Punjabi and Gujarati saw greater market penetration in CY 2016 in addition to major South India language markets. Hollywood movies recorded steady growth and increased their market share thanks to wider acceptance of dubbed versions.

iii. The growing success of Indian Cinema internationally, coupled with increasing collaboration between Indian filmmakers and International Producers along with greater acceptance of Indian artists in mainstream Hollywood content, be it on the silver screen or on television, demonstrates the growing contribution of Indian Film Industry as a significant tool of soft power. This notion of soft power takes a critical perspective given its power to draw audiences freely to India. The presence of a strong Indian diaspora further acts as a catalyst to unleash the power of Indian entertainment and filmic content worldwide.

3. Challenges

i. Piracy continues to be one of the major issues affecting the Indian Film Industry with an annual loss of substantial revenue to the tune of around INR 180 billion every year, accompanied by a loss of 60 thousand jobs every year. Over time movie piracy has shifted from CDs and DVDs to online platforms and the use of sophisticated smart phones and Camcorders to record films in theatres and publish them on rogue websites have given fillip to this menace. The rise in online piracy, saturation of smartphones and competitive data charges is bound to make the scenario more challenging. The Government approved National IPR Policy, the formation of the Telangana Intellectual Property Crime Unit (TIPCU) are among some of the initiatives taken in India in recent times to fight this menace.

ii. Single screen theatres continue to play a significant role in the exhibition industry and account for more than 70% of the total screens in India. However, due to lack of infrastructure support, low revenue realisation from F&B and advertising, limited content and programming flexibility, it is estimated by KPMG-FICCI Report that 3-4% of the single screens are shutting down annually. Coupled with this fact is that single screen theatres struggle to keep afloat leading to continued closures or conversion of theatres into marriage halls etc. Therefore, there is a need to support the sustainability of single screen theatres as they are the only centres for entertainment available in Tier 2 & 3 cities and thus increase the geographical spread of the distribution market. Also, with reasonable pricing, single screen theatres are the most effective source of entertainment for Tier 2, Tier3 and beyond.

iii. The domestic box office, which contributes at least 70% of the revenues, is facing a growth constraint due to the low screen density India has - 8 screens per million in comparison with 125 per million in the US (KPMG-FICCI Report 2015/2016). Needless to add, the future growth of the film sector lies in the addition of new exhibition venues. There is an urgent need therefore to build screens across tier II/III cities and

स्थानों में गिने जाने वाले तथा देश के भीतरी भागों के शहरों में नये सिनेमाघर बनाने होंगे.

iv. भारतीय तथा विदेशी फिल्मकारों को दूसरे देशों में शूटिंग की सुविधाएं जिस तरह आसानी से मिल जाती हैं, परिणामस्वरूप हमारे देश को राजस्व, करों और रोजगार संबंधी हानि उठानी पड़ती है. दूसरे बहुतेरे देश फिल्म निर्माताओं को करों में क्रेडिट, कैश छूट, कैश बैक, रिफंड जैसे आकर्षक ऑफर देते हैं. भारत में इनमें से लगभग कुछ भी महत्वपूर्ण तरीके उपलब्ध नहीं कराया जा रहा.

v. सिनेमा कहानी कहने में सहज समर्थ है. साथ ही यह कला और संस्कृति का प्रसार भी करता है. यह सब करने में वह लोकप्रिय मनोरंजन तो प्रदान करता ही है, स्वस्थ सामाजिक परिवर्तनों का संवाहक भी बनता है. इसके बावजूद भारतीय दृश्य श्रव्य सेक्टर कथ्य अच्छा न होने की वजह से इस पक्ष का पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाया है. इसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री प्रतिभाशाली लेखकों को प्रोत्साहित करने की ओर रुचि नहीं लेती.

vi. भारत में फिल्म सेक्टर को संस्थागत फंड्स नहीं मिल पाते जिसका पूरी वैल्यू चेन को नुकसान उठाना पड़ता है. एक तरफ फंड्स की कमी, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई. इन परिस्थितियों में अधिकतर फिल्मों के लिए पूंजी का एकमात्र सहारा स्टूडियो ही रह जाते हैं. संस्थागत फंड बहुत कम फिल्मों को मिल पाते हैं. यह एक समस्या है. अधिकतर भारतीय फिल्मों को फंड निजी पूंजी निवेशकों से मिल पाते हैं जिसकी वजह से फिल्म निर्माण अव्यवस्थित रह जाता है और दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाना अथवा विकास की बात सोचना संभव नहीं होता. इस कारण भारतीय फिल्म उद्योग की क्षमताओं के विकास के मार्ग में बाधा बनी ही रहती है.

vii. भारतीय फिल्म उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, थियेटरों में उपिस्थति/प्रवेश, गैर थियेटर प्लेटफॉर्म्स, जैसे टेलीविजन, वीडियो ऑन डिमांड, एयरलाइंस आदि से मिलने वाले राजस्व के बारे में उचित डाटा का अभाव भी है. इसकी वजह से निवेश की वापसी के बारे में विश्लेषण कर पाना कठिन होता है.

4. भविष्य का मार्ग

i. इंडस्ट्री के स्रोतों के अनुसार घरेलू थियेटरों से होने वाली आय कलेंडर वर्ष 2017 में बढ़ेगी क्योंकि कुछ फिल्मों की रिलीज 2017 के लिए टल गई है और साथ ही मल्टीप्लेक्सेस में ज्यादा स्क्रीन्स जोड़े जाने वाले हैं. बढ़त इसलिए भी अधिक हो सकती है कि डिजिटल राइट्स क्षेत्र में नये लोग आएंगे एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, खास कर वीडियो ऑन डिमांड सेवा में प्रतियोगिता बढ़ने से सी एंड एस बाजार में फिर तेजी आएगी. दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की मौजूदगी का बढ़ना भी एक वजह हो सकती है. केपीएमजी - एफआईसीसीआई की रिपोर्ट का अनुमान है कि इंडस्ट्री 2021 तक सीएजीआर 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है. उस वक्त इसकी कीमत आईएनआर 206 6 बिलियन तक पहुंच जाएगी.

ii. पर्यटन के लिए जगह के चुनाव पर फिल्मों का दुनिया भर में सीधा और महत्वपूर्ण असर पड़ता है. इसे फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म कहा जाता है. इस तरह के टूरिज्म का एक दूरगामी आर्थिक लाभ यह होता है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचता है क्योंकि फिल्म लोकेशंस पूरे साल, हर मौसम में खुला रहने वाला आकर्षण साबित होती हैं. इनमें सीजन वाला वह ऑफ समय नहीं आता जिसका सामना पर्यटन उद्योग को अक्सर करना पड़ता है. स्थानीय आर्थिक लाभ शूटिंग्स दौरान विभिन्न तरह के काम धंधों के रूप में सामने आ सकते हैं. फिल्म फ्रैंडली ईको सिस्टम होने से देश को फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म के विकास द्वारा दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो सकते हैं

iii. हमें उन प्रयत्नों को समर्थन देने की आवश्यकता है जो इस तरह की जानकारी जुटाते हैं कि अन्य देश अपनी फिल्मों को विशिष्ट बाजारों में किस तरह प्रमोट करते हैं, हमें विभिन्न बाजारों के दर्शकों को समझने और उसके अनुसार अपनी क्षेत्रीय रणनीति बनाने की भी आवश्यकता है.

hinterlands and increase the geographical spread of the distribution market.

iv. The ease of shooting and the growing advantages of filming in countries other than India by Indian and Foreign Film makers are resulting in loss of revenues, taxes, & employment generation in India. This is partly due to the fact that several international countries offer producers attractive incentives such as tax credits, cash rebates, cash-backs, refund etc. for attracting international productions, none of which are available in India in any significant manner.

v. Cinema has the power to tell stories and also disseminate art and culture. In doing so, it is not only a source of popular entertainment but also a medium of value-based social change. However, the Indian Audio-Visual sector has not been able to deliver this aspect fully due to lack of good content, which is a result of the industry not investing in developing and skilling writers.

vi. The film sector in India suffers from lack of access to institutional funding across the value chain. Shortage of funds and rising cost with only studios as a source of capital for most films (institutional funding being limited to very few films), has been an issue. The bulk of Indian films continue to be funded primarily by private investors, rendering the business of film product somewhat unplanned without a long term vision of growth. This is a major disadvantage in optimising the potential of the Indian film sector.

vii. One of the major challenges by the Film Industry is the lack of data be it in Box Office Collections or attendances/ admissions in theatres, revenue generated from non-theatrical platforms such as Television, Video on demand airlines etc., thus constraining effective analysis of the return on investment made in this sector.

4. Way ahead

i. According to Industry sources, the domestic theatrical box office is expected to be revived in CY 2017 due to release of some films being postponed to 2017 and also the fact that multiplexes are likely to add more screens. The growth is also possible due to entry of new players in the digital rights space, resurgence of the C&S market in the light of competition from digital platforms especially Video-on-Demand services and the increasing footprint of Indian cinema abroad. KPMG - FICCI Report estimates that the industry is anticipated to grow at a CAGR of 7.7% till 2021 when it would be worth INR 206.6 billion.

ii. Films significantly impact and influence the choice of travel destinations. This phenomenon, global in nature, is called film-induced tourism. One of the major long-term economic benefits that such film-induced tourism can bring to the local economy is enduring tourism receipts as film locations can be all-year and all-weather attractions that does away with the problem of seasonality, which is often faced by the tourism industry. The short-term economic benefit to the local economy is in the form of employment generation across various verticals through film shoots. The endeavour to create a film friendly eco-system in the country will enable film-induced tourism on a long-term basis.

iii. There is a need to support initiatives which pool knowledge and best practices on promoting how different countries promote their films in specific markets worldwide. More information sharing is necessary to enhance our understanding of the audiences in specific markets and to develop effective region-specific export strategies.

एनएफडीसी की प्रतियोगी स्थिति

फिल्म उद्योग में एनएफडीसी की प्रतियोगी स्थिति इसके बड़े आधार वाले निगम के रूप से बनी है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं की सभी तरह की फिल्मों के विकास, निर्माण, वितरण एवं मार्केटिंग को लेकर प्रतिबद्ध है. इस दृष्टिकोण के साथ एनएफडीसी फिल्म व्यवसाय की विस्तृत पूरी श्रृखंला के साथ काम करता है जिसके एक छोर पर फीचर फिल्मों का विकास, निर्माण, और वितरण शामिल हैं तो दूसरी ओर विज्ञापन, कॉर्पोरेट एवं डॉक्यूमेंटरी आदि फिल्मों का निर्माण और भारत सरकार की ओर से पब्लिसतटी कैंपेस का एक्जीक्यूशन शामिल है.

फिल्म विकास एजेंसी के तौर पर एनएफडीसी फिल्म इंडस्ट्री के उन क्षेत्रों के विकास के प्रति उत्तरदायी है जिनमें निजी उद्यमी व्यापारिक कारणों से आगे नहीं बढ़ते. एनएफडीसी को इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक समयानुसार लगातार सामंजस्य स्थापित करना होगा. यहां पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया भर की सभी विकासशील फिल्म संस्थाओं में ऐसा ही जनादेश होता है. अतः एनएफडीसी की तुलना विश्व की अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ करते रहना जरूरी है जैसे टेलीफिल्म्स कनाडा, यूके फिल्म काउंसिल और स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया. इन बड़ी संस्थाओं का जनादेश एनएफडीसी के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाएगा क्योंकि भारतीय फिल्म उद्योग के मुकाबले कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया के फिल्म उद्योगों को हॉलीवुड से ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए वहां बाजार में बने रहने के लिए ज्यादा बड़ी सरकारी सहायता की जरूरत होती है. मुकाबले में भारतीय फिल्म उद्योग वर्तमान समय में बाहरी दखलंदाजी से कहीं ज्यादा सुरक्षित है. यहां सबसे बड़ी चुनौती है सभी भाषाओं के बीच सिनेमा का संतुलित उन्नयन.

एनएफडीसी ने फिल्म इंडस्ट्री में अहम भूमिका का निर्वाह किया है, 300 से ज्यादा राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय फिल्में बनाई हैं, नये प्रतिभाशाली निर्देशकों, लेखकों, छायाकारों तथा अन्य कलाकारों को अवसर दिये हैं. इस तरह जैसे जैसे इंडस्ट्री विकसित एवं विस्तृत हुई विकास के हर कदम पर नई चुनौतियां एवं कमियां सामने आईं. एनएफडीसी को इन क्षेत्रों में कदम रखकर इंडस्ट्री के प्रयत्नों में योगदान करना होता है.

इन परिस्थितियों में एनएफडीसी के लिए इंडस्ट्री की कमियों का अनुमान लगाते रहना और उन्हीं के अनुकूल अपनी स्थिति नियत करना आवश्यक हो जाता है. इंडस्ट्री का वैक्यूम इंडस्ट्री के विकास के साथ बदलता रहता है. 25 साल पहले यह वैक्यूम तकनीक की कमी, आयात, नयी प्रतिभाओं की फंडिंग, थियेटरों की कमी आदि से संबंधित था. आज यह रिसर्च और डेवलमेंट पर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने, भाषाई सिनेमा, सराहनीय फिल्मों के प्रदर्शन की सुविधाओं के अभाव, विदेशों में भारतीय सिनेमा के एकीकृत उन्नयन, सिनेमाज ऑफ इंडिया की ग्लोबल पोजिशनिंग की अनुपस्थिति, नयी प्रतिभाओं के लिये अवसरों के अभाव आदि से संबंधित हैं. एनएफडीसी की स्थापना का जो उद्देश्य था उसे पूरा करने के लिये इन क्षेत्रों में कदम रखना आवश्यक हो गया है.

एनएफडीसी उन क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करके निजी क्षेत्र के प्रयत्नों का भी पूरक रहा है जिनमें निजी क्षेत्र उनके व्यावसायिक रूप से लाभप्रद न होने की वजह से कदम नहीं रख पाता.

कॉर्पोरेशन का ऐसा वितरण स्टूडियो है जहां कोई फिल्म सभी तरह के विस्तार की गतिविधियों की यात्रा से गुजरती है-फिल्म समारोह, भारतीय थियेट्रिकल रिलीज, पेटीवी डिजिटल एवं अन्य सहायक प्लेटफॉर्म्स पर सिंडिकेशन जैसे डीटीएच, होम वीडियो, एयरलाइन्स वगैरह. इसका उद्देश्य है कॉर्पोरेशन के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिये राजस्व प्राप्ति का क्रम निरंतर बनाये रखना, प्रमुख फिल्म समारोहों एवं बाजारों में फिल्मों का चुनाव तथा एनएफडीसी की फिल्मों का विश्वस्तर पर प्रदर्शन.

एनएफडीसी भारतीय फिल्म उद्योग का भविष्य संवारने के प्रति प्रतिबद्ध है. इसके लिए यह एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहता है जो आधुनिक और सम सामयिक सिनेमा के उत्तरदायी हो और फिल्म बिरादरी की लिए सहज उपलब्ध भी हो जिसमें भारतीय सिनेमा की नयी प्रतिभाओं के लिए विशेष आग्रह झलकता हो. उदाहरणार्थ एनएफडीसी लैब, परियोजना आधारित कार्यशालाओं और मास्टर कक्षाओं के माध्यम

Competitive position of NFDC

NFDC's competitive position in the Film Industry is derived from its core competency of being a broad-based film company that plays a key role in the development, production, distribution and marketing of all forms of films in various Indian languages. With this view, NFDC works closely with filmmakers across the vast value chain of the business, from development, production and distribution of feature films at one end of the spectrum to production of advertisement films, corporate films, documentaries etc. and execution of publicity campaigns on behalf of the Government of India.

As a film development agency, NFDC is responsible for facilitating growth in areas/segments of the film industry, which cannot be taken on by private enterprise due to commercial exigencies. NFDC's positioning needs constant adjustments in accordance with the needs of the industry at a given point of time. It also needs to be noted that this is always the mandate of all film development institutions across the world. It is therefore important to compare NFDC with that of other Global Film Government bodies such as Telefilms Canada, UK Film Council and Screen Australia. The mandates of the peers would not completely match with that of NFDC as the film industries of the Canada, UK and Australia compared to Indian Film Industry face greater challenges from Hollywood and therefore require greater government intervention for the overall sustainability in the market environment. The Indian Film Industry is comparatively more insulated from external competition (at present) and the main challenge in India is promoting a balanced growth of cinemas across all languages.

NFDC has played a major role in Film industry, produced more than 300 domestic and international films, and has introduced talented Directors, Writers, Cinematographers and other Artists. Thus, as the industry grows and expands, and new challenges and shortfalls emanate at each stage of this growth, NFDC needs to step into those areas to supplement the efforts of the industry.

In the circumstances, there is a need for NFDC to constantly assess the lacunae in the industry and position itself accordingly. The vacuum in the industry changes as the industry grows – thus 25 years ago, the vacuum was in lack of technology, in imports, in funding new talent, lack of theatres etc. Today, the lacunae includes insufficient attention to Research & Development, language cinemas, lack of exhibition avenues for acclaimed films, lack of coordinated promotion of Indian cinemas abroad, absence of any global positioning of the Cinemas of India, lack of sufficient avenues for emergence of new talent etc. NFDC, to fulfill the mandate for which it has been set up, needs to step into these areas.

NFDC has supplemented the efforts of private sector by facilitating growth in areas that cannot cannot be met through private enterprise because it is not commercially expedient to do so.

The Corporation has a Distribution vertical where a film travels through the entire gamut of activities – film festivals, India theatrical release, syndication across Pay TV, Digital and other ancillary platforms – DTH, Home Video, Airlines etc. This is done with an aim to generate a steady revenue stream through syndication on several revenue platforms, selection of films at premiere film festivals and markets, and screening of NFDC films globally.

NFDC is committed to shaping the future of the Indian film industry by creating an environment that is responsive to the issues of modern and contemporary cinema, while being accessible to the fraternity including the promising new voices of Indian cinema. NFDC Labs for example, seeks to deepen and

से प्रतिभाशाली लेखकों, निर्देशकों और निर्माताओं के कामकाज को गहरा करने और बढ़ाने की कोशिश करता है.

विकासात्मक कार्यसूची के साथ ही, एनएफडीसी को विभिन्ब सरकारी एवं गैर सरकारी ग्राहकों को सभी तरह की मीडिया सेवाएं प्रदान करने वाले तंत्र की तरह काम के अनुरूप विकसित किया गया है जो सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन प्रस्तुत कर सके. समय के साथ साथ एनएफडीसी द्वारा दी जाने वाली रचनात्मक सेवाओं का दायरा विस्तृत होता चला गया है.

चूंकि कंपनी द्वारा अपनाई गई फीचर फिल्मों से संबंधित अधिकतर गतिविधियां लगभग पूरी तरह विकासात्मक स्वरूप की हैं, वे कंपनी के आर्थिक प्रदर्शन में नाममात्र का ही योगदान करती हैं. एनएफडीसी की कोशिश है कि इन खर्चों की भरपाई भारत सरकार के पब्लिसिटी कैंपेंस के बिजनेस के जरिये पूरा करता रहे.

उत्पाद तथा सेवाएं

एनएफडीसी निम्न सेवाएं उपलब्ध कराता है –

फिल्म निर्माण

फिल्म निर्माण विभाग का उद्देश्य सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कही गई फिल्म निर्माण संबंधी उन बातों को कार्यान्वित करना है जिनमें क्रमशः कहा गया है कि 'एनएफडीसी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाएगा' तथा 'विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाएगा'. "विकास, संचार एवं फिल्म संबंधी कथ्य का विस्तार".

प्रोडक्शन विभाग का प्रयत्न यह रहता है कि योजना की स्कीम को पहली-पहली बार स्वतंत्र रूप से फिल्म बनाने वाले निर्माताओं तथा सह निर्माताओं के जरिये सपोर्ट करते तथा आगे बढ़ाते रहा जाय. इसके साथ ही उभरते हुए उन फिल्मकारों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के निर्माताओं को भी साथ लिया जाय. वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान एनएफडीसी को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से इंडो-न्यूज़ीलैंड फिल्म 'बियॉन्ड द नोन वर्ल्ड' के सहनिर्माण के लिये, जिसका निर्देशन पान नलिन कर रहे हैं, ₹ एक करोड़ प्राप्त हुए. एनएफडीसी न्यू ज़ीलैंड के साथ इस सहनिर्माण अनुबंध पर भारतीय निर्माता के तौर पर हस्ताक्षर की फाइनल प्रक्रिया में है.

पिछले कुछ वर्षों में एनएफडीसी द्वारा बनाई गई अथवा सहनिर्माण वाली फिल्मों में प्रमुख हैं : द लंचबॉक्स, किस्सा, मंजूनाथ, अन्हे घोरे दा दान, मांझी द माउंटेनमेंट, अरुणोदय, चौरंगा, चौथी कूट, आईलैंड सिटी आदि.

वितरण

एनएफडीसी ने अच्छे सिनेमा के उन्नयन के लिए सन 2010 में ब्रांड 'सिनेमाज ऑफ इंडिया' लान्च किया जिससे भारत में फिल्म वितरण की एक स्थाई और सुदृढ व्यवस्था विकसित हो. इसमें दोनों तरह की फिल्में शामिल हैं-एनएफडीसी की भी और उन दूसरे स्वतंत्र निर्माताओं द्वारा बनाई गईं भी जिन्हें घरेलू बाजारों में सीमित स्थान मिल पाया हो. यह भारतीय सिनेमा के दिग्गजों और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपना काम प्रदर्शित कर रहे नये जमाने के फिल्मकारों के बीच के गैप को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है. इस ब्रैंड में परंपरागत प्लेटफॉर्म्स जैसे (थियेट्रिकल, होम वीडियो और सेटेलाइट) तथा उभरते प्लेटफॉर्म्स जैसे (वीडियो ऑन डिमांड, डीटीएच और एयरलाइंस) पर फिल्म प्रदर्शित करना शामिल है.

एनएफडीसी ने कुछ निर्माण/सहनिर्माण वाली फिल्में भी रिलीज की हैं जिनका निर्माण उन स्टूडियोज/वितरकों के साथ सहयोग करके किया गया था जो महत्वपूर्ण व्यापारिक सफलता एवं सराहना के लिए मार्केटिंग एवं पब्लिसिटी के पर्याप्त प्रयत्न करते हैं. इन फिल्मों में वीस मंजे वीस और द आईलैंड सिटी शामिल हैं. एनएफडीसी की लगातार यह कोशिश बनी रहती है कि अपनी फिल्मों को गैर परंपरागत तरीकों से रिलीज किया जाय फिर चाहे वह किस्सा हो जो थियेटर्स और अपने वीडियो प्लेटफॉर्म डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सिनेमाजऑफइंडिया.कॉम पर एक साथ रिलीज की गई थी या फिर हालिया रिलीज सनराइज हो जिसे परंपरागत थियेट्रिकल रिलीज की जगह सीधे नेट फ्लिक्स पर रिलीज किया गया था.

enhance the working practice of talented writers, directors and producers through project based workshops and master classes.

In addition to its developmental agenda, NFDC is positioned as a 360-degree integrated media service provider to various government and non-government clients for the creation and dissemination of advertising communication across platforms. With time, the ambit of creative services provided by NFDC has widened.

Since most of the activities undertaken by the Company in the domain of feature films are almost entirely developmental in nature, they make an almost negligible contribution to the financial performance of the company in terms of profitability. NFDC attempts to cross-subsidize these expenses through its business of producing and executing publicity campaigns for the Government of India.

Products & Services

NFDC offers the following services –

Film Production

The objective of the Film Production is to produce films in various Indian languages under the sub-component "Production of films in various Indian languages" under the Component "Production of films and documentaries in various Indian languages" of the Main Secretariat's XII Plan Scheme "Development, Communication and Dissemination of Filmic Content".

NFDC endeavours to support and drive the Plan Scheme through production of films by first time filmmakers and co-production with emerging filmmakers and international producers. During the financial year 2016-17, NFDC received Rs.1 crore from the Ministry of Information & Broadcasting for co-production of an Indo-New Zealand film Beyond the Known World directed by Pan Nalin. NFDC is in final stage of signing the co-production agreement with New Zealand and Indian producer.

Some of the landmark films that NFDC has produced/co-produced in the last few years include The Lunchbox, Qissa, Manjunath, Anhey Gorhey Da Daan, Manjhi- the Mountain Man, Arunoday, Chauranga, Chauthi Koot, Island City amongst others.

Distribution

NFDC launched the brand Cinemas of India in 2010 in order to to develop a sustainable profitable mechanism for distribution of its films, and over time, films of independent filmmakers as well. It plays an important role in bridging the gap between the maestros of Indian Cinema and the new age filmmakers presenting their work on various platforms. The brand includes release of a film across traditional platforms (Theatrical, Home Video and Satellite) and emerging platforms (Video-on-demand, DTH and Airlines).

NFDC has also released some productions/co-productions by collaborating with studios/distributors who ensure notable marketing & publicity efforts for critical & commercial success of the films like Vees Mhanje Vees and Island City. NFDC continuously endeavors to break into non-traditional ways of releasing its movies be it Qissa, which was simultaneously released in theatres and on it's VOD platform www.cinemasofindia.com on the same day or it's recent release Sunrise, which was directly released on Netflix breaking the traditional theatrical release.

एनएफडीसी की वीडियो ऑन डिमांड साइट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सिनेमाजऑफइंडिया.कॉम को फरवरी 2015 में अपडेट कर दिया गया था. अब विश्व भर के दर्शकों को पे-पर-व्यू एवं मासिक अथवा वार्षिक शुल्क आधार पर 130 फिल्में उपलब्ध हैं.

एनएफडीसी ने ज़ी नेटवर्क और स्टार इंडिया जैसे कुछ बहुत बड़े चैनल्स/ ब्रॉडकास्टर्स के साथ कैटेलॉग और नई फिल्मों के सेटेलाइट सिंडिकेशन के लिये सहभागिता की है. कंपनी प्रीमियम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे होटस्टार, वाईयूपीपी टीवी और जियो सिनेमा के साथ एस वीओडी (सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड) साझेदारी में आगे रही है जिससे कि इसकी आला सामग्री को कायम रखा जा सके. इसके साथ ही इसने भारत के प्रमुख डीटीएच प्लेटफॉर्म टाटा स्काई इंडिया के साथ भी सहभागिता की है

प्रशिक्षण और विकास

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चैन्नई क्षेत्रीय कार्यालय तमिलनाडु में बेरोजगार युवाओं के लिए मीडिया से संबंधित अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है. यहां 7000 से भी अधिक युवाओं को एनीमेशन, कैमरा, एडीटिंग, मल्टीमीडिया, फोटोग्राफी और ऑडियो इंजीनियरिंग जैसे व्यवसाओं का अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया गया अथवा कोर्स कराया गया.

फिर भी, कौशलपूर्ण जनशक्ति की बढ़ती मांग के चलते मीडिया और मनोरजन के क्षेत्र में तो प्रशिक्षित लोगों की मांग बढ़ ही रही है, विभिन्न तकनीकी और सहायक कामों में भी मानकीकृत प्रथाओं पर जोर दिया जाने लगा है. संख्या और गुणवत्ता के बीच के इस गैप को भरने के लिए, जिन्हें इंडस्ट्री और काम देने वाले दोनों ही उभारने लगे हैं, एनएफडीसी ने रचनात्मक इंडस्ट्री के विभिन्न पाठ्यक्रमों में ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का एक मजबूत मॉडल प्रारंभिक चरण के रूप में आंध्रप्रदेश में सामने रखा है. एनएफडीसी आंध्रप्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एपीएसएसडीसी) के साथ मिलकर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुपालन में एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया में है.

और भी आगे बढ़ते हुए एनएफडीसी विभिन्न राज्यों में स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन (एसएसडीएम) के सहयोग से इस तरह के सेंटर्स स्थापित करने के प्रति आशान्वित है जिससे कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए कौशलयुक्त और काम पर रखने के योग्य श्रमशक्ति को आगे लाने का वृहद् उद्देश्य पूरा किया जा सके

फिल्म बाज़ार

एनएफडीसी द्वारा आयोजित फिल्म बाज़ार की शुरुआत सन 2007 में हुई थी. यह एक ऐसा मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय तथा दक्षिण एशियाई फिल्म बिरादरी के बीच सहनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये ही विशेष रूप से विकसित किया गया है. यह इवेंट फिल्म निर्माण, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई प्रतिभाओं एवं उनकी कृतियों को सामने लाने, प्रोत्साहित करने और प्रदर्शित करने के प्रति केंद्रित है. सन 2007 में इसकी सदस्य संख्या सामान्य थी 18 देशों के 204 सदस्य. आज यह बाज़ार विश्व भर के फिल्म विक्रेताओं और खरीदारों का मिलनबिंदु है और विश्व सिनेमा की दक्षिण एशियाई क्षेत्र तक बिक्री की सुविधा भी प्रदान करता है. सन 2016 में फिल्म बाजार में 36 देशों के 1206 सदस्य थे. दक्षिण एशिया में भारतीय फिल्मों की अब लॉन्चिंग, फंडिंग, सह-निर्माण और साउथ एशिया की इंडी फिल्मों का वितरण (समारोह सहभागिता सहित) के लिए देखा जाता है.

फिल्म बाजार की 11वीं आवृत्ति 20 से 24 नवंबर 2017 तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान, गोआ मैरिएट रिसॉर्ट में आयोजित हुई. सन 2017 से इस मंच को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में समिन्वत करके उसका अभिन्न अंग बना दिया गया है.

विभिन्न सरकारी विभागों के लिए को सेवाएं

जबकि कंपनी के उपर्युक्त शिरोबिंदू स्वरूप में मुख्यतया विकासात्मक गतिविधियों की हैं, एनएफडीसी का प्रमुख व्यवसाय क्षेत्र भारत सरकार के लिए निर्माण तथा विज्ञापन संचार का प्रचार करना है. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, पीएसयू, और राज्य सरकारों को सभी प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया संबंधी एकीकृत विज्ञापन एवं

NFDC's VOD site, www.cinemasofindia.com was also updated in February 2015. And now over 130 films are available on a pay-per-view and monthly & yearly subscription basis for the global audience.

NFDC has collaborated with some of the biggest channels/ broadcasters like Zee Network, Star India for satellite syndication of catalogue and new films. The company is also an early mover in collaborating with premium digital platforms like Hotstar, Yupp TV & JIO Cinema for a SVOD (subscription based video-on-demand) partnership to uphold the niche content. It has, in addition, collaborated with India's leading DTH platform Tata Sky India.

Training & Development

For some years now, the training division in the Chennai Regional Office has been conducting various media-related training programmes for unemployed youth in the southern states and has imparted short-term training and vocational courses to more than 7000 youth in the sphere of Animation, Camera, Editing, Multimedia, Photography and Audio Engineering.

However, with the growing demand for skilled manpower, there is a growing need not only for more trained professionals in the Media & Entertainment sector, but also for the establishment of standardised practices in various technical and support jobs. To fill these qualitative & quantitative gaps that are highlighted by employers and the industry, NFDC has proposed a robust model for training & certification in various courses for the creative industry in Andhra Pradesh as an initial step. NFDC is currently in the process of setting up a training centre in association with the Andhra Pradesh State Skill Development Corporation (APSSDC) with adherence & alignment to the National Skill Qualification Framework (NSQF).

Going forward NFDC expects to set up such centres in different states in association with various State Skill Development Mission (SSDM's) to achieve the larger objective of the creating skilled & employable manpower for the Media & Entertainment Industry

Film Bazaar

The NFDC Film Bazaar, set up in 2007, is a platform for emerging & established filmmakers from South Asia to collaborate and showcase their work to various investors, distributors, production houses, festival programmers, film curators, sales agents and other important fraternity stakeholders. From a modest beginning of 204 guests from 18 countries in 2007, Film Bazaar has now become a focal point for South Asian filmmakers to present their stories to the international film fraternity. In 2016, 1206 delegates from 36 countries attended Film Bazaar, and the event is now viewed as the principal platform for launching, funding, co-producing, and distributing indie films (including festival participation) of South Asia.

The 11th edition of Film Bazaar was held from 20-24 November 2017 at the Goa Marriott Resort, alongside the International Film Festival of India. With effect from 2017, the platform has been integrated into the International Film Festival of India.

Services to Various Government Departments

While the aforementioned verticals of the company are primarily developmental in nature, the key business area of NFDC is that of producing and publicising advertising communication for the Government of India. NFDC is now positioned as a 360-degree integrated media service provider for the creation and dissemination of advertising communication across

ब्रैंडिंग सल्यूशंस प्रदान करने वाली 360 डिग्री एकीकृत मीडिया सेवा है. यह विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों/विभागों आदि के साथ समन्वय करके ग्राहकों की आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य एवं क्रॉस प्लेटफॉर्म कैं पेंस उपलब्ध करवाता है. इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का विवरण इस प्रकार है –

1. निर्माण

- प्रिंट, टेलीविज़न और रेडियो विज्ञापन
- इवेंट मैनेजमेंट
- लघु फिल्म/वृत्तचित्र/कॉर्पोरेट फिल्में
- मर्चेंडाइज
- प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम

2. प्रचार/मीडिया अभियान

- टेलीविज़न, रेडियो, डिजिटल सिनेमा थियेटर, केबल टेलिविज़न, और एलसीडी/एलईडी स्क्रीन में डीएवीपी दरों के अनुसार प्रचार अभियान सार्वजनिक स्थानों में स्थित हैं.
- जागरूकता पैदा करने, उपभोक्ताओं/लाभार्थियों को मार्गदर्शन करने और सरकारी पहल के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए ट्विटर, यू ट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सभी सामाजिक/डिजिटल मीडिया में अभियान.
- उनकी प्रभावशीलता को मापने और भविष्य की रणनीति के मार्गदर्शन के लिए छवि प्रक्षेपण अभियानों का प्रभाव मूल्यांकन.
- मीडिया और जन सम्पर्क

  एनएफडीसी को ऑडियो विजुअल प्रिंट, डिजिटल तथा अन्य मीडिया पर बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट उपलब्ध कराने का जनादेश प्रदान किया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को इस खूबी के साथ प्रस्तुत किया जाय कि पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग में तालमेल बना रहे और इस प्रकार स्टेकहोल्डर्स तक ज्यादा बेहतर पहुंच बन सके.

प्रिव्यू थियेटर्स

एनएफडीसी के पास मुंबई में 81 सीटों तथा चैन्नई में 100 सीटों वाले प्रिव्यू थियेटर है जिन्हें फिल्म प्रदर्शन के लिये विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी ग्राहकों को किराये पर दिया जाता है. ये थियेटर्स एनॅलॉग और डिजिटल प्लेटफार्म्स की नवीनतम तकनीकों तथा थ्रीडी प्रोजेक्शन सुविधाओं से सज्जित हैं.

फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस

वित्तवर्ष 2016-17 में एफएफओ द्वारा उठाए गये नये कदम –

1. अनुमतियों की सुविधा

एफएफओ ने 2016 के मध्य से भारत में शूटिंग करने की इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्मों, टीवी एवं वेब शोज, रियेलिटी शो सिरीज आदि को की अनुमति दिलाने में सामयिक सहायता देना शुरू किया. 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्व 2017 के बीच 29 अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्मों और टेलीविजन सिरीज को भारत में शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई, इनमें से 22 को एफएफओ ने सुविधाएं दिलाईं. इनमें से 18 फीचर फिल्में थीं और 4 टेलीविजन सिरीज. भारत में फिल्म बनाने वाले देशों में प्रमुख हैं, यूके, फ्रांस, बांग्लादेश, अर्जन्टीना, जर्मनी, यू.एस.ए., इटली, नॉर्वे आदि.

platforms. Over the past years, NFDC has collaborated with various governmental establishments/departments, etc., and has produced and delivered various types of audiovisual and cross-platform campaigns, as per the needs and requirements of clients. With time, the ambit of creative services provided by NFDC had widened. NFDC renders services across the following verticals –

1. Production

- Print, Television and Radio Advertisements
- Event Management
- Short films/Documentaries/Corporate Films
- Merchandise
- Sponsored Radio Programs

2. Publicity/Media Campaigns

- Publicity Campaigns as per DAVP rates in Television, Radio, Digital Cinema Theatres, Cable Television, and LCD/LED Screens located in public spaces
- Campaigns across Social/Digital Media such as Twitter, You Tube, Facebook and Instagram in order to create awareness, guide consumers/beneficiaries, and facilitate effective implementation of Government initiatives.
- Impact assessment of Image Projection Campaigns to gauge their effectiveness, and guide future strategy.
- Media and Public Relations

  NFDC has been entrusted with the mandate of production of high quality content across audio-visual, print, digital and other media. The aim is to acquire the business of strategizing and executing the Government's premium flagship programmes to ensure synergy in public service advertising, thus leading to better reach with stakeholders.

Preview Theatres

NFDC gives on hire its 81 seaters Preview Theatre at Mumbai and 100 seater Preview Theatre at Chennai, for exhibition of film to various government/non-government clients. The theatres are equipped with latest technology to show films in analog and digital platforms, including 3D projection facilities.

Film Facilitation Office

Initiatives Undertaken by the FFO in FY 2016 - 2017 include the following –

1. Facilitating Permissions

FFO began facilitating permissions for international films being shot in India from mid-2016. Out of the 29 international films, including television series, that were given permission to shoot in India during the period 1 April 2016 to 31 March 2017, FFO facilitated clearance of permissions to 22 of these, comprising 18 feature films & 4 television series. The major countries of origin for the international productions in India are the United Kingdom, France, Bangladesh, Argentina, Germany, U.S.A, Italy, and Norway.

2. फिल्म नीति

देश में फिल्म निर्माण संबंधी मैत्रीपूर्ण वातावरण के निर्माण संबंधी एफ एफ ओ के जनादेश के अनुरूप एफएफओ ने एनएफडीसी के साथ घुलमिल कर काम करते हुए हरियाणा राज्य के लिए फिल्म नीति निर्धारण में सहायता की जिससे कि हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों ही तरह के फिल्म निर्माताओं के किए शूटिंग का एक प्रमुख स्थल बन सके.

3. मोस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट अवॉर्ड' 2016

यह पुरस्कार 2015 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के एक भाग के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अपने अपने राज्यों में फिल्म फ्रेंडली वातावरण तैयार करने में पहले करने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन करने के लिए सृजित किया गया. गुजरात राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट 2015 पुरस्कार से नवाजा गया.

मोस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट अवॉर्ड 2016--मोस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट अवॉर्ड 2016 प्रतियोगिता में 16 राज्यों ने हिस्सा लिया यह अवॉर्ड 3 मई 2017 को आयोजित 64वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के संरक्षण में दिया गया. ज्यूरी की अध्यक्षता प्रख्यात फिल्म मेकर मधुर भांडारकर द्वारा की गई जबकि पुरस्कार उत्तर प्रदेश को एक विशेष फिल्म नीति को लागू करने के लिए दिया गया, परिणामस्वरूप "फिल्म बंधू" एक सिंगल विंडो एजेंसी हुई जोकि उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है.

झारखंड को राज्य में फिल्म उद्योग के विकास संबंधी प्रयत्नों को देखते हुए विशिष्ट उल्लेख प्रमाणपत्र प्रदान किया गया. इन प्रयत्नों में स्थानीय फिल्म प्रतिभाओं को भारत भर में सबसिडी देकर प्रोत्साहित करना भी शामिल है.

4. इंटरनेशनल मार्केटिंग

एफएफओ ने लॉस एंजिल्स में 20 से 24 अप्रैल 2016 तक आयोजित लोकेशन ऐंड ग्लोबल फाइनेंस शो में तथा साथ ही कान्स फिल्म फेस्टिवल 2016 में भी भाग लिया. अब यह असोसिएशन ऑफ फिल्म कमीशनर्स इंटरनेशनल (एएफसीआई) का सदस्य है और इसका उद्देश्य है भारत का फिल्म निर्माण के प्रमुख स्थान के रूप में उन्नयन और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को मजबूती प्रदान करना.

5. कार्यशालाएं

एफएफओ ने फिल्म इन इंडिया - क्रिएटिंग अ फिल्म फ्रैंडली नेशन - रोल ऑफ स्टेट ऐंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स नाम से गोआ में 22 नवंबर 2016 को फिल्म बाजार एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के साथ में एक कार्यशाला भी आयोजित की.

कार्यशाला उद्देश्य केंद्रीय एवं राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के नोडल अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता जैसे स्वरडन के माल्टे फोरसेल, हॉन्कॉन्ग के फिलिप ली, मोशन पिक्चर्स असोसिएशन ऑफ अमेरिका, असोसिएसन ऑफ फिल्म कमीशनर्स इंटरनेशनल जैसी ट्रेड बॉडीज, मार्केटिंग के विशेषज्ञ जैसे ओगलवी के पीयूष पांडे और भारत के नामी फिल्मकार जैसे सुधीर मिश्रा, इम्तिआज अली, प्रकाश झा, अनुभव सिन्हा, भारत बाला आदि थे.

कार्यशाला का उद्देश्य केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य/सरकार के उपक्रमों के नोडल अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में फिल्मांकन की प्रक्रिया में सहजता की दिशा में संवेदनशील बनाना है चूंकि वे फिल्म निर्माताओं के लिए एक-बिंदु संपर्क हैं तथा उन्हें देश में अनुकूल फिल्मांकन वातावरण बनाने के लिए पहल/नीतियां शुरू करने के लिए प्रेरित करना हैं.

अगले कदम के तौर पर यह प्रस्तावित है कि राज्य सरकारों के लिए साल में हर तीसरे महीने वर्कशॉप्स और कॉन्फरेंसेस आयोजित की जाएं.

एफएफओ एक डेडीकेटेड वेब पोर्टल बनाने की दिशा में काम कर रहा है जिससे सारे कार्यकलाप ऑन लाइन ले जाए जा सकें जो कि अगले कुछ महिनों में कार्यांवित होगा. इसमें विभिन्न लोकेशंस के चित्रों और

2. Film Policy

As per the mandate of the FFO towards creating a film friendly environment in the country, a Film Policy was framed for the State of Haryana, to enable the region to evolve as a primary filming destination for both domestic and international filmmakers.

3. Most Film Friendly State Award 2016

The award was created in 2015 as part of the National Film Awards by the Ministry of I&B to encourage State Governments to be more proactive towards creating a film-friendly environment in their respective States. The state of Gujarat won the acclaimed Award for the Most Film Friendly State in 2015.

Sixteen States participated in the Most Film Friendly State Award 2016, which was given under the aegis of the 64th National Film Awards, held on 3 May 2017. The jury was chaired by acclaimed filmmaker Madhur Bhandarkar while the award went to Uttar Pradesh for implementing a unique film policy, resulting in "Film Bandhu", the single window agency that is focused on developing Uttar Pradesh as a hub of film production.

Jharkhand received a Special Mention Certificate given their endeavour to develop the film Industry including local filmmaking talent by giving subsidies to filmmakers from across India.

4. International Marketing

FFO participated in the Locations & Global Finance Show held in Los Angeles from 20-24 April 2016, as well as Cannes Film Festival 2016 and is now a member of the Association of Film Commissioners International (AFCI), with a view to promoting India as a filming destination and strengthening its international outreach with a view to attracting foreign productions to India.

5. Workshops

FFO also conducted a workshop titled Film in India - Creating a Film Friendly Nation – Role of State and Central Governments, in Goa on November 22, 2016 alongside the Film Bazaar and the International Film Festival of India.

The Workshop involved nodal officers from various State and Central Government Ministries/Departments and international producers such as Malte Forssell from Sweden, Philip Lee from Hong Kong, Trade Bodies such as the Motion Pictures Association of America, The Association of Film Commissioners International, domain experts on marketing like Piyush Pandey from Ogilvy and acclaimed filmmakers from India such as Sudhir Mishra, Imtiaz Ali, Prakash Jha, Anubhav Sinha, Bharat Bala among others.

The workshop aimed at sensitizing the Nodal Officers of Central Ministries and State/U.T Governments towards easing the process of filming in their respective jurisdictions since they are the one-point contact for filmmakers and motivating them to undertake initiatives/policies for a favourable filming environment in the country.

Going forward, it proposes to organise workshops and conferences for state governments once every quarter of the year.

FFO is in the process of establishing a dedicated web portal to take this application process online, which would be operational in the next few months. The portal would not only enable online

सूचनाओं से सुसज्ज एक लोकेशन गाइड तथा सर्विस डिरेक्टरी तो होगा ही, साथ ही फिल्म निर्माण संबंधी अन्य उपलब्ध सुविधाओं का विवरण भी इसमें दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बिरादरी जो उनकी फिल्में भारत में शूट करना चाहते है उनके लिए सिंगल विंडो फेसीलिटेशन तथा क्लीयरन्स मॅकेनिझम बनना.

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां तथा उनकी उपयुक्तता

कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक ऑडिट सिस्टम की व्यवस्था है जो इसके आकार एवं बिजनस आवश्यकताओं के अनुरूप है. कंपनी ने आंतरिक नियंत्रण पद्धति के भाग के रूप में अनेक नीतियां तथा कार्य पद्धतियां लागू की हुई हैं ताकि बिजनस का काम सुव्यवस्थित एवं निपुणता के साथ चलता रहे. प्रबंधन की तरफ से परिसंपत्तियों की सुरक्षा धोखाधड़ी का पता लगाने तथा उसकी एवं गलतियों की रोकथाम, लेखा खाताओं को पूरा रखने तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को सामयिक रूप से तैयार करने का पूरा प्रबंध किया जाता है. प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए, कंपनी ने संगठन के विभिन्न कार्यात्मक गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू की है.

आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र फर्मों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण कराया जाता है. मनोनीत फर्म्स समय समय पर कॉर्पोरेट ऑफिस/क्षेत्रीय ऑफिस, जो भी उन्हें दिया गया हो, उसका आंतरिक लेखा परीक्षण करती हैं. इसके अतिरिक्त कंपनी अपनी मूल बिजनस गतिविधियों-फीचर फिल्म तथा गैर फीचर फिल्मों के निर्माण एवं विभिन्न सरकारी विभागों की पब्लिसिटी के काम का लेखा परीक्षण स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा साथ के साथ भी कराती रहती है. आंतरिक लेखा परीक्षण की रिपोर्ट्स की महालेखा परीक्षक, भारत सरकार, द्वारा नियुक्त संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा की जाती है. बही खातों का लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा भी किया जाता है.

संभावनापूर्ण विकास क्षेत्र

आगे बढ़ते हुए, एनएफडीसी की कोशिश सामयिक पुनरावलोकन योजनाओं को जारी रखने की है जिनसे भारतीय फिल्म क्षेत्र की कमियों को दूर किया जा सकता है तथा उन क्षेत्रों में कदम रखे जा सकते हैं जिनके जरिये इसके प्रमुख उद्देश्य, भारतीय फिल्म उद्योग के विकास को सुगम बना सकना संभव हो. इस मामले में एनएफडीसी सारे देश में विविध भारतीय भाषाओं के सिनेमा व फिल्म उद्योग के दायरे में आने वाले व्यापार कार्यों को आगे बढ़ाने के प्रयत्नों मे लगा रहेगा जिनमें कौशल तथा कथ्य विकास से लेकर प्रदर्शन और दर्शक संख्या में वृद्धि सभी कुछ शामिल है.

इसके साथ साथ एनएफडीसी को अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा सकने और वास्तविक अर्थों में 'पैन इंडियन फिल्म डेवलेपमेंट बॉडी' बन सकने के लिए आय के वर्तमान स्रोतो के साथ साथ निरंतर नये स्रोत विकसित करते रहने की ओर भी प्रयत्नशील रहना होगा. आज की स्थिति यह है कि पर्याप्त कार्यकारी पूंजी के अभाव में एक संस्था के तौर पर एनएफडी सी का विकास बहुत हद तक सीमित है.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

31 मार्च 2017 तक संचित रूपये 2390 लाख के घाटे के कारण कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कोई खर्च नहीं कर रही है.

submission of application, and enlist Guidelines of key Central Government Ministries/Departments regarding shooting of films in one place, but also create a Locations Guide and Service Directory, so as to become a single window Facilitation and clearance mechanism for the international film community who are looking to shoot their films in India.

Internal Control Systems and Their Adequacy

The company has an adequate internal control and Internal Audit System commensurate with its size and nature of business. The company has formulated Delegation of Powers, as a part of Internal Control Systems, for orderly and efficient conduct of its business. The Management takes reasonable care and ensures safeguard of assets, prevention and detection of fraud and error, accuracy and updated accounting records as well as timely preparation of reliable financial information. To further strengthen the process, the company has also initiated the process of formulation of Standard Operating procedures (SOPs) for the various functional activities of the organization.

Internal control is also being ensured through internal audit by independent firms of Chartered Accountants. The appointed firms conduct periodical Internal audits of regional/corporate office allotted to them. Additionally, the Company also commissions concurrent audits of its primary business activities of Feature Film Production, Non-Feature Film Production and Publicity assignment of various government departments through independent auditors. Internal audit reports are being reviewed by Statutory Auditors of the company appointed by the Comptroller and Auditor General of India. Books of Accounts are also being audited by the Comptroller and Auditor General of India.

Potential Growth Areas

Going forward NFDC intends to continue with its plans of periodic assessments of the gaps in the growth of the Indian film sector and stepping into those areas with a view to fulfilling its main objectives of facilitating the growth of the Indian Film Industry. To this effect, NFDC would continue to aim to straddle the entire gamut of the film business across the country and across various languages cinemas, from skill and content development to exhibition and audience development.

NFDC has constantly attempted to identify new sources of income in addition to existing ones and overcoming the challenges being faced with a view to generating greater capital to enable expansion of its activities and become a truly pan-Indian film development body.

Corporate Social Responsibility

Due to accumulated and carried forward losses of INR 2390 lakhs as on 31 March 2017, the Company is not incurring any expenditure towards Corporate Social Responsibility.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (द कंपनी) के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उन शर्तों के अनुपालन संबंधी वक्तव्यों की जांच की है जिनकी अपेक्षा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसईज) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा निर्देशों के क्लॉज 8.2.1 के अंतर्गत की जाती है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है. हमारे द्वारा किया गया परीक्षण कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के लिये अपनाये गये तरीकों और उन्हें लागू करने की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो लेखा परीक्षण है और न ही कंपनी की वित्तीय स्थिति के प्रति प्रकट की गयी राय है.

हमारी राय, में हमें प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उन शर्तों का अनुपालन किया है जिनकी अपेक्षा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसईज) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा निर्देशों के क्लॉज 8.2.1 के अंतर्गत की जाती है. दिनांक 01.07.2015 से अनिवार्य किये गये सचिवीय प्रावधान मानकों के अनुसरण में निदेशक मंडल के निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण कंपनी वित्तीय वर्ष 2016-17 में न्यूनतम 4 बोर्ड बैठकें आयोजित करने में असफल रही है.

हम यह भी कहना चाहते हैं कि इस तरह का अनुपालन कंपनी के भविष्य के प्रति किसी प्रकार आश्वासन नहीं है और न ही कंपनी की उस कार्यकुशलता अथवा प्रभावपूर्णता के प्रति कोई भरोसाज्ञापन है जिसके जरिये प्रबंधन ने कंपनी के कामकाज का निर्वहन किया है.

टस्की एसोसिएट्स
लेखा परीक्षक
(एफआरएन 008730 एन)
की ओर से

मनोज कुमार शर्मा
पार्टनर
एम. नं. 084503

स्थान – भोपाल
दिनांक – 2 नवम्बर 2017

Auditors' Certificate on Corporate Governance

To,
The Member
National Film Development Corporation Limited.

We have examined the compliance of condition of Corporate Governance by National Film Development Corporation Limited, ("the Company") for the year ended 31st March 2017 as stipulated in Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination has been limited to review of the procedures and implementation thereof, adopted by the company, for ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has not complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs). Company has failed to hold minimum 4 board meetings in the financial year 2016-17 due to insufficient strength of the Board pursuant to Secretarial provisions standards being made mandatory w.e.f. 01.07.2015

We further state that such non-compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Tasky Associates
Chartered Accountants
(FRN 008730N)

Manoj Kumar Sharma
Partner
Membership number – 084503

Place – Bhopal
Date – 2nd November 2017

आचार संहिता प्रमाणपत्र

07/08/2017

एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि एनएफडीसी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

(नीना लाठ गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक

Certificate on Code of Conduct

07/08/2017

It is hereby declared that all Board members and Senior management personnel of NFDC have affirmed compliance with Code of Conduct for the financial year 2016-17.

(Nina Lath Gupta)
Managing Director

दिनांक 31 मार्च 2017 का तुलन पत्र
Balance Sheet as on 31st March 2017

राशि रुपयों में | Amount in ₹

विवरण	Particulars	टिप्पणी Notes	31.03.2017 को As at 31.03.2017	31.03.2016 को As at 31.03.2016
इक्विटी और देयताएं	**Equity And Liabilities**			
अंशधारकों की निधि	**Shareholders' Funds**			
(क) अंश पूंजी	(a) Share Capital	3	45,39,98,500	45,39,98,500
(ख) संचय एवं अधिशेष	(b) Reserves And Surplus	4	(23,87,90,949)	(21,96,90,696)
गैर चालू देयताएं	**Non-Current Liabilities**			
(क) दीर्घकालिक उधार	(a) Long Term Borrowings	5	1,00,50,616	1,40,89,072
(ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	(b) Other Long-Term Liabilities	6	5,77,21,531	3,20,91,854
(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	(c) Long-Term Provisions	7	7,51,57,946	7,10,12,513
चालू देयताएं	**Current Liabilities**			
(क) व्यापारिक देय	(a) Trade Payables	8	1,05,27,36,205	78,05,74,863
(ख) अन्य चालू देयताएं	(b) Other Current Liabilities	9	72,63,90,929	66,11,74,833
(ग) अल्पकालिक प्रावधान	(c) Short-Term Provisions	10	1,50,74,917	1,43,79,475
	Total		**2,15,23,39,695**	**1,80,76,30,414**
परिसम्पत्तियां	**Assets**			
गैर चालू परिसम्पत्तियां	**Non-Current Assets**			
(क) स्थायी परिसम्पत्तियां	(a) Fixed Assets			
वास्तविक परिसम्पत्तियां	Tangible Assets	11	6,82,79,024	7,09,97,306
अवास्तविक परिसम्पत्तियां	Intangible Assets		6,94,572	9,18,133
पूंजीगत कार्य जारी	Capital Work-In-Progress		27,87,774	21,86,004
(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	(b) Deferred Tax Asset		14,52,28,542	16,71,05,664
(ग) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	(c) Long-Term Loans And Advances	12	1,39,69,532	1,27,10,063
चालू परिसम्पत्तियां	Current Assets			
(क) सम्पत्ति सूची	(a) Inventories	13	10,85,761	9,07,565
(ख) व्यापारिक प्राप्तियाँ	(b) Trade Receivables	14	96,49,32,797	67,69,61,614
(ग) रोकड़ और बैंक शेष	(c) Cash And Bank Balances	15	61,63,36,589	53,13,06,422
(घ) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	(d) Short-Term Loans And Advances	16	33,80,22,899	34,20,50,007
(ङ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(e) Other Current Assets	17	10,02,205	24,87,635
कुल	**Total**		**2,15,23,39,695**	**1,80,76,30,414**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	2		

टिप्पणी संख्या 1 से 47 वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है
समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

Notes 1 to 47 are integral part of Financial Statement
निदेशक मंडल की ओर से For and on behalf of Board of Directors

टस्की असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(एफआरएन 008730एन)

For Tasky Associates
Chartered Accountants
(FRN 008730N)

नीना लाठ गुप्ता
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं 00350722

Nina Lath Gupta
Managing Director
DIN No. 00350722

एन. जे. शेख
निदेशक (वित्त)
डीआईएन नं.07348075

N.J. Shaikh
Director (Finance)
DIN No. 07348075

मनोज कुमार शर्मा
पार्टनर
एम. नं. 084503

Manoj Kumar Sharma
Partner M.No. 084503

सी.पी.गुप्ता
मुख्य वित्तीय अधिकारी
स.क्र. एसीएमए 16416

C. P. Gupta
Chief Financial Officer
M.No. ACMA16416

इ.जे. पॉल
कम्पनी सचिव
स.क्र. एफसीएस 4521

E. J. Paul
Company Secretary
M.No. FCS 4521

स्थान – मुम्बई
दिनांक – 14 सितंबर 2017

Place – Mumbai
Date – 14th September 2017

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि का विवरण
Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2017

राशि रुपयों में Amount in ₹

विवरण	Particulars	टिप्पणी Notes	वर्ष 2016-17 Year 2016-17	वर्ष 2015-16 Year 2015-16
आय	**Income**			
प्रचलन से आय	Revenue From Operations	18	1,62,14,11,569	1,11,50,66,739
अन्य आय	Other Income	19	6,00,60,497	5,15,83,122
कुल	**Total**		**1,68,14,72,066**	**1,16,66,49,861**
व्यय	**Expenses**			
प्रचलित व्यय	Operating Expenditure	20	1,47,88,04,084	1,02,65,79,173
सम्पत्ति सूची में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease In Inventory	21	(1,78,195)	5,59,331
कर्मचारी लाभ व्यय	Employee Benefits Expenses	22	8,98,41,834	8,80,22,650
अन्य व्यय	Other Expenses	23	9,26,76,207	8,17,30,620
वित्तीय लागत	Finance Cost	24	56,05,867	69,42,038
मूल्य -ह्रास एवं परिशोधन	Depreciation And Amortisation		1,40,45,400	1,45,80,753
कुल	**Total**		**1,68,07,95,197**	**1,21,84,14,565**
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**Profit/(Loss) Before Tax**		**6,76,869**	**(5,17,64,705)**
घटाईये : कर व्यय	Less – Tax Expense			
चालू कर	Current Tax		–	–
पूर्व वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान	Income Tax Provision For Earlier Years		–	–
जोडिए : आस्थगित कर	Add – Deferred Tax		(2,18,77,122)	16,71,05,664
जोडिए : पूर्व वर्ष के अतिरिक्त आयकर/मॅट प्रावधानों वापिस	Add – Excess Income Tax/Mat Provision of Earlier Year Written Back		21,00,000	1,56,88,850
कर पश्चात लाभ/(हानि)	**Profit/(Loss) After Tax**		**(1,91,00,253)**	**13,10,29,809**
प्रति इक्विटी शेयर आय :	Earnings Per Equity Share –			
(1) मूल	(1) Basic		(4.21)	28.86
(2) तनुकृत	(2) Diluted		(4.21)	28.86
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	2		

टिप्पणी संख्या 1 से 47 तक वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है
Notes 1 to 47 are integral part of Financial Statement

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से For and on behalf of Board of Directors

टस्की असोसिएट्स की ओर से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन 008730एन)
For Tasky Associates Chartered Accountants (FRN 008730N)

नीना लाठ गुप्ता प्रबंध निदेशक डीआईएन नं 00350722
Nina Lath Gupta Managing Director DIN No. 00350722

एन. जे. शेख निदेशक (वित्त) डीआईएन नं.07348075
N.J. Shaikh Director (Finance) DIN No. 07348075

मनोज कुमार शर्मा पार्टनर एम. नं. 084503
Manoj Kumar Sharma Partner M.No. 084503

सी.पी.गुप्ता मुख्य वित्तीय अधिकारी स.क्र. एसीएमए 16416
C. P. Gupta Chief Financial Officer M.No. ACMA16416

इ.जे. पॉल कम्पनी सचिव स.क्र. एफसीएस 4521
E. J. Paul Company Secretary M.No. FCS 4521

स्थान – मुम्बई Place – Mumbai
दिनांक – 14 सितंबर 2017 Date – 14th September 2017

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2017

राशि रुपयों में | Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2016-17 Year 2016-17		वर्ष 2015-16 Year 2015-16	
प्रचलन गतिविधियों में रोकड़ प्रवाह	**I. Cash Flows From Operating Activities**				
कराधान के पहले शुध्द लाभ	Net Profit Before Taxation		6,76,869		(5,17,64,705)
(क) समंजन हेतु	(A) Adjustments For				
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	Loss/(Profit) on Sale of Fixed Assets	35,909		(1,42,543)	
मूल्य -ह्रास और हानि	Depreciation & Impairment	1,40,45,400		1,45,80,753	
संदिग्ध ऋणों/ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision For Doubtful Debts/Loan/Advance	15,31,711		27,92,550	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले	Bad Debts Written Off	64,074		1,78,798	
स्टॉक ऑफ गोल्ड बट्टे खाते में डाले	Stock of Gold Written Off	–		1,938	
जमा शेष बट्टे खाते में डाले	Credit Balance Written Back	86,89,983		(15,00,439)	
व्याज व्यय	Interest Expenses	56,05,867		69,42,038	
कुल (क)	**Total of (A)**		**2,99,72,944**		**2,28,53,096**
(ख) कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पहले प्रचलित रोकड़	(B) Operating Cash Profit Before Working Capital Changes		3,06,49,813		(2,89,11,609)
समंजन हेतु	Adjustments For				
सम्पत्ति सूची में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Inventories	(1,78,195)		5,59,331	
विविध देनदारों में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Sundry Debtors	(28,95,66,969)		(47,95,96,321)	
दीर्घ कालिक ऋण एवं अग्रिम में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Long Term Loans & Advances	(12,59,469)		(8,56,037)	
अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिमों में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Short Term Loans & Advances	(2,74,35,816)		(3,21,68,420)	
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Other Current Assets	14,85,430		1,36,77,981	
विविध लेनदारों में (वृध्दि)/कमी	Increase/(Decrease) in Sundry Creditors	26,34,71,360		61,85,28,306	
दीर्घ कालिक देयताएं व प्रावधान में वृध्दि/(कमी)	Increase/(Decrease) in Long Term Liabilities & Provision	2,97,75,110		2,63,13,793	
अल्पावधिक देयताएं व प्रावधान में (वृध्दि)/कमी	Increase/(Decrease) in Short Term Liabilities & Provision	6,86,25,760		(2,28,76,754)	
कुल (ख)	**Total of (B)**		**4,49,17,211**		**12,35,81,878**
प्रचलनों द्वारा उत्पन्न रोकड़	Cash Generated From Operations		7,55,67,024		9,46,70,269
आयकर (भुगतान) कुल रिफंड	Income Tax (Paid)/Refund - Net		3,14,62,925		(1,79,28,920)
असाधारण मदों के पूर्व रोकड़ प्रवाह	Cash Flows Before Extraordinary Item		10,70,29,949		7,67,41,349

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2017

राशि रुपयों में Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2016-17 Year 2016-17		वर्ष 2015-16 Year 2015-16	
प्रचलन गतिविधियों से शुध्द रोकड़ (क)	**Net Cash From Operating Activities (A)**		**10,70,29,949**		**7,67,41,349**
II. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	**II. Cash Flows From Investing Activities**				
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	Purchases of Fixed Assets	(1,18,24,973)		(1,90,71,594)	
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री/ बीमा दावों से प्राप्ति	Sale of Fixed Assets/ Proceeds From Insurance Claim.	83,737		2,00,718	
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुध्द रोकड़ (ख)	**Net Cash Used in Investing Activities (B)**		**(1,17,41,236)**		**(1,88,70,877)**
III. वित्तीय गतिविधियों में रोकड़ प्रवाह	**III. Cash Flows From Financing Activities**				
दीर्घकालिक उधार	Long Term Borrowings	(40,38,456)		(40,50,416)	
अल्पावधिक उधार	Short Term Borrowings	–		(6,35,82,564)	
ब्याज भुगतान	Interest Paid	(62,20,090)		(68,06,314)	
वित्तीय गतिविधियों से शुध्द रोकड़ (ग)	**Net Cash From Financing Activities (C)**		**(1,02,58,546)**		**(7,44,39,294)**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों पर शुध्द वृध्दि (क + ख + ग)	**Net Increase In Cash And Cash Equivalents (A + B + C)**		**8,50,30,167**		**(1,65,68,822)**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों का प्रारम्भिक शेष	Opening Balance of Cash And Cash Equivalents		53,13,06,422		54,78,75,243
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों का अंतिम शेष	**Closing Balance of Cash And Cash Equivalents**		**61,63,36,589**		**53,13,06,422**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों के पूरक	Component of Cash And Cash Equivalents				
बैंक में शेष	Balances With Banks				
चालू खाते में	In Current Account		3,52,29,600		7,39,48,309
सावधि जमा	Fixed Deposits		58,10,35,671		45,72,92,972
रोकड़ बाकी	Cash on Hand		71,318		65,141
कुल रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी सं 15)	**Total Cash And Cash Equivalents (Note No.15)**		**61,63,36,589**		**53,13,06,422**

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

टस्की असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(एफआरएन 008730एन)

For Tasky Associates
Chartered Accountants
(FRN 008730N)

मनोज कुमार शर्मा
पार्टनर
एम. नं. 084503

Manoj Kumar Sharma
Partner M.No. 084503

निदेशक मंडल की ओर से For and on behalf of Board of Directors

नीना लाठ गुप्ता
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं 00350722

Nina Lath Gupta
Managing Director
DIN No. 00350722

एन. जे. शेख
निदेशक (वित्त)
डीआईएन नं.07348075

N.J. Shaikh
Director (Finance)
DIN No. 07348075

सी.पी.गुप्ता
मुख्य वित्तीय अधिकारी
स.क्र. एसीएमए 16416

C. P. Gupta
Chief Financial Officer
M.No. ACMA16416

इ.जे. पॉल
कम्पनी सचिव
स.क्र. एफसीएस 4521

E. J. Paul
Company Secretary
M.No. FCS 4521

स्थान – मुम्बई Place – Mumbai
दिनांक – 14 सितंबर 2017 Date – 14th September 2017

लेखाओं पर टिप्पणियां

नोट – 1. कॉर्पोरेट सूचना

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) भारत स्थित सरकारी कंपनी है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत की गयी है. निगम विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाता है तथा कम्पनी फीचर एवं ऑडियो-विज्युअल फिल्में तथा मीडिया अभियान तथा एफएफओ सहित फिल्मों का निर्माण, वितरण, विकास एवं बढावा देने में कार्यरत है. निगम का मुख्यालय मुंबई में है तथा नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय हैं.

निगम की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर सुनिश्चित की जाने वाली आर्थिक नीतियों एवं उद्देश्यों के अंतर्गत फिल्म उद्योग का योजनाबद्ध तरीके से समग्र विकास तथा प्रभावशाली उन्नयन करने के लिये की गई थी. बाद के वर्षों में निगम ने 20 भारतीय भाषाओं में 300 से भी अधिक फिल्मों का निर्माण किया अथवा उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान किया.

नोट – 2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां.

(क) लेखाओं का आधार तथा अनुमानों का उपयोग.

i. वित्तीय विवरणों को हिस्टॉरिकल कॉस्ट कन्वेंशन के अंतर्गत, अकाउंटिंग के एक्युरल आधार तथा भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, कंपनी (लेखा मानकों) द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखा मानकों तथा तत्संबंधी कंपनी अधिनियम 2013 (द एक्ट) के उपनियम 133, जिसे कंपनीज (एकाउंट्स) 2014 के रूल 7 के साथ पढ़ा जाय, के उन प्रावधानों के साथ सभी तथ्यों के अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है.

ii. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित है कि प्रबंधन उस पर अनुमान और कल्पना करे कि रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियां तथा देयताएं और आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, वित्तीय विवरण की तारीख और प्रचालनों के परिणाम रिपोर्टाधीन वर्ष के अंत में हैं. यद्यपि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान घटनाओं एवं क्रियाओं के संबंध में अच्छी जानकारी पर आधारित है फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं.

(ख) राजस्व तथा तत्संबंधी व्यय की मान्यता

ख.1 लागत का परिशोधन –

फिल्म्स, प्रिंट्स, टी.वी. अधिकार, स्वकीय फिल्मों का निर्माण, अधिगृहीत फिल्में तथा फिल्मों के सहनिर्माण में निगम का अंश.

ख.1.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले यदि फिल्म वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिये रिलीज की जाती है तो उस फिल्म की संपूर्ण निर्माण/अधिगृहण लागत को लाभ/हानि के विवरण में चार्ज किया जाता है. अगर फिल्म पूरी हो गई है लेकिन वर्ष के दौरान रिलीज के लिये तैयार नहीं हुई है तो उस की संपूर्ण लागत/अधिग्रहण को सम्पत्ति सूची में दर्शाया जाता है.

ख.2 भारतीय टी.वी. धारावाहिकों की निर्माण लागत/अधिगृहीत कार्यक्रमों और फिल्मों के खरीदे गये टी वी. अधिकारों के पूर्ण रूप से की लागत को उसी वित्तीय वर्ष में चार्ज किया जाता है जिस वर्ष में उन फिल्मों/धारावाहिकों का पहला प्रदर्शन होता है अथवा अधिकार समाप्त होते हैं, इनमें से जो पहले हो.

ख.3 कंपनी द्वारा खरीदे गये टी.वी. अधिकारों के लिये ऐसी स्थिति में जहां टी. वी. पर फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई और उनके लिये भुगतान किया जा चुका है तो उस भुगतान राशि को अग्रिम के रूप में माना जाता है. चूंकि वास्तविक देयता तो करार की शर्तों के अनुसार टेलीकास्ट होने पर लागू होती हैं इसलिए उनके भुगतान न किये अधिगृहीत मूल्य के लिये कोई प्रावधान नहीं किया जाता है.

Notes on Accounts

Note – 1. Corporate Information

National Film Development Corporation Limited ("the Company") is a Government company domiciled in India and incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956. The Company is engaged in production, distribution, development and promotion of films, including feature and audio-visual films, media campaigns and film facilitation office. The Company has its Head Office in Mumbai and Regional offices at New Delhi, Chennai and Kolkata.

The Company was set up with the objective to plan, promote and organize an integrated and efficient development of the film industry in accordance with the national economic policy and objectives laid down by the Central Government from time to time. Over the years, NFDC has funded/produced more than 300 films in twenty Indian languages.

Note – 2. Significant Accounting Policies

(A) Basis of Accounting and use of Estimates.

i. Financial statements are prepared under the historical cost convention, on accrual basis of accounting in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rule, 2014.

ii. The preparation of financial statements, in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the Revenue and Expenditure of operations during the end of the reporting period. Although these estimates are based upon the management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

(B) Recognition of Revenue and related expenses

B.1 Amortization of cost of –

Films, prints, TV rights, own production of films, taken over films and Corporation's share in co-production of films.

B.1.1 Where the film is ready for release for exhibition on Commercial basis before the close of the financial year, the entire cost of production/acquisition of the films is charged to the Statement of Profit and Loss. Where the film is completed but not ready for release during the year, the entire cost of production/acquisition is shown as inventory.

B.2 Cost of production of Indian Television serials/acquired programme and films purchased for TV rights are charged off in the financial year in which the first telecast of such films/serials takes place or in the financial year, in which the rights expired, whichever is earlier.

B.3 Rights in films for distribution through Television acquired by the Company wherein no telecast is made are accounted as advance to the extent of the amounts paid thereof. No provision is made for the unpaid acquisition price thereof, since actual liability shall arise only in the event of telecast as per terms of the agreement.

ख.4 फिल्म निर्माण/सिनेमा उपकरण खरीद/सिनेमागृह निर्माण आदि के गैर निष्पादन ऋणों के ब्याज को प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य माना हो, उस सीमा तक आय में लिया जाता है और जब तक वह मूल राशि के बराबर न हो जाय और उसके आगे कोई जमा नहीं दिखाई जाती जब तक कि वह वास्तविक रूप से वसूल न हो जाय.

ख.5 विभिन्न मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से प्रदर्शित मीडिया कैंपेंस के सिलसिले में हुए आय और व्यय को उसी वर्ष में परिस्वीकृत किया जाता है जिस वर्ष में संबंधित विज्ञापन अथवा व्यापारिक स्पॉट जनता के लिये प्रदर्शित अथवा ब्रॉडकास्ट किये गये हों और जिनके संबंध में एजेंसी को चैनल/सिनेमाघर/वैबसाइट से सफलतापूर्वक टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट की सूचना मिल गई हो. वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किये गये कैंपेन जो अगले वित्तीय वर्ष में पूरे हुए हों उन्हें क्रमानुसार वित्तीय वर्ष में ही उस वर्ष में टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट किये गये विज्ञापनों अथवा व्यापारिक स्पॉट्स के आधार पर ही परिस्वीकृत किया जाता है.

ख.6 विभिन्न मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से वर्ष के दौरान लिये गये गैर फीचर फिल्म के आय व्यय को तब तक मान्य नहीं किया जाता जब तक ग्राहक उन्हें स्वीकार न कर लें या ग्राहकों की ओर से उन्हें स्वीकार कर लेने जैसी कोई कार्यवाई न कर दी जाय.

ख.7 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण करने के लिये भारत सरकार से प्राप्त फंड तथा इनमें से वर्ष के अंत तक के व्ययों को निबल आधार पर बैलंस शीट में देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है. विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण का वास्तविक व्यय सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित सीमा तक तथा इन फिल्मों के सीधे व्ययों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के अनुसार संपत्ति सूची में दर्शाया जाता है किंतु इन फिल्मों में खर्च की गई शेष राशि के परंतु, जिसे सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है उसे 'क्षेत्रीय फिल्म निर्माण के लिये अग्रिम' में दर्शाया गया है. प्राप्त राशि तथा संबंधित फिल्मों के निर्माण पर व्यय फिल्म के रिलीज होने पर क्रमशः आय और व्यय में दर्शाया गया है. फिल्म के रिलीज के लिये तैयार हो जाने पर निगम अपनी आय के लिये कुल निर्माण लागत का 10 प्रतिशत अपने कमीशन के रूप में चार्ज करता है.

ख.8 सेवा परियोजनाओं से प्राप्त आय को एक्रुअल आधार पर मान्य किया जाता है.

ख.9 कपनी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस (एफएफओ) कार्यालय स्थापित करने के लिए फंड मिले हैं. कंपनी को फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस (एफएफओ) स्थापित करने के लिए हुए खर्च पर 9 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति दी जाएगी. कंपनी ने खर्च पर आधारित राजस्व तथा सर्विस चार्ज मिला कर लेखा प्रस्तुत किया तथा उसे राजस्व की मद के अंतर्गत दर्ज किया. विवरण के लाभ/मद में कुल खर्च संचालन व्यय में दर्शाया गया. मंत्रालय की ओर से प्राप्त फंड को बैलेंस शीट में निबल आधार पर अन्य दीर्घकालीन दायित्वों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

(ग) स्थायी परिसंपत्तियां तथा मूल्य ह्रास

ग.1 स्थायी परिसंपत्तियों की मूल लागत (सकल ब्लॉक) से संचित मूल्य-ह्रास को घटा कर दर्शाया जाता है. अधिग्रहण की कीमत अथवा निर्माण में परिवहन शुल्क, महसूल, कर, अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक खर्च, स्थापना अथवा निर्माण व्यय, आरोप्य ब्याज और वित्तीय खर्च आदि को तब तक शामिल किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां निर्दिष्ट उपयोग के लिये बन कर तैयार न हो जाएं.

ग.2 परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में 'दरों पर शेष घटाव' पद्धति के अनुसार किया जाता है जब तक कि नीचे कहा न जाय.

ग.3 पट्टे की भूमि का पट्टे की समयावधि तक ही परिशोधन किया जाता है.

B.4 Interest on loans for Films and Purchase of Equipment/ Construction of theatres is accrued and accounted in the income only to the extent equal to principal amount and no further credits are recognized thereafter unless the same is actually realized.

B.5 Revenue and Expense in respect of Media Campaigns released on behalf of various ministries/clients are recognized in the year in which the related advertisement or commercial spots are telecast/broadcast/appear before the public and in respect of which necessary intimation is received by the agency from the channel/theatre/website for successful telecast/broadcast. Campaigns commencing in a financial year and concluding in next financial year are recognized in the respective financial years on the basis of advertisement or commercial spots telecasted/broadcasted during that year.

B.6 Revenue and Expense in respect of Non-Feature Films produced during the year on behalf of various ministries/ clients are not recognized until the goods have been formally accepted by the client or the client has done an act adopting the transaction.

B.7 The funds received from the Government of India for Film Production in various Indian languages and the expenditure incurred up to year end out of the same is shown on net basis under other long term liabilities in the Balance Sheet. The actual expenditure incurred on production of films in various Indian languages that are incomplete at the year end and to the extent certified by Chartered Accountants is shown as Inventory. The amount received and the expenditure incurred on production of respective films is shown as Income and Expenditure respectively when the Film is ready for release. The Company accounts for its income by way of Production Fee at 10% of the cost of production of such films when the film is ready for release.

B.8 Income from Service Projects is recognized on Accrual basis.

B.9 The Company has received funds from Ministry of Information and Broadcasting, Government of India for setting up of Film Facilitation Office (FFO).The company will be paid compensation at the rate of 9% on expenditure incurred for setting up of Film Facilitation Office. The Company has accounted the revenue based on expenditure incurred plus the service charge and disclosed the same under the head revenue from operation and the total expenses incurred has been disclosed under the head operating expenditure in the Statement of Profit and Loss. The funds received from ministry is shown on net basis under other long term liabilities in the Balance Sheet.

(C) Fixed Assets and Depreciation/Amortization

C.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition or construction less accumulated depreciation/amortization and impairment losses. Cost of acquisition or construction is inclusive of freight, duties, taxes, incidental expenses relating to acquisition, cost of installation/erection, attributable interest and financial cost till such time assets are ready for its intended use.

C.2 Depreciation on assets has been provided on the "Written Down Value" based on useful life of the assets as prescribed under of Schedule II of the Companies Act, 2013 unless otherwise stated below.

C.3 Leasehold land is amortized over the period of lease.

ग.4 हेड प्लैंट और मशीनरी के तहत ऑडियो- विज्युअल तकनीकी उपकरण से सम्बंधित मूल्य ह्रास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है.

ग.5 मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूंजी में परिणत मूल्य के 95% तक लिया जाता है. बाकी का 5 प्रतिशत एक्ट के अनुरूप अंशोद्धार मूल्य के रूप में रखा जाता है.

ग.6 परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास उनकी अनुवृद्धि अथवा बिक्री की तारीख से, जैसा भी केस हो, यथाअनुपात से उपलब्ध कराया गया है.

ग.7 जो फिल्में पूरी हो गई लेकिन जिनके अधिकार बेचे नहीं गये, उनमें से प्रत्येक की कीमत नाममात्र ₹ 1.00 रखी गयी है.

(घ) परिसंपत्तियों का हानिकरण/क्षति

परिसंपत्तियों के हानिकरण के लेखा मानक 28 (एएस-28) के अनुरूप, जहां कहीं भी कंपनी की संपत्तियों के हानिकरण का संकेत है,कंपनी की परिसंपत्ति की राशि का हर तुलनपत्र में पुनरीक्षण किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह आंतरिक अथवा वाह्य कारणोंपर आधारित है. यदि क्षति के कारण कोई नुकसान हुआ हो तो उसका उल्लेख लाभ - हानि के विवरण में किया जाता है बशर्ते कि प्रतिप्राप्ति परिसंपत्ति की आगे लाई गई राशि इसकी अनुमानित प्रतिप्राप्ति राशि से अधिक हो. परिसंपत्ति की प्रतिप्राप्ति राशि का अनुमान इसके शुद्ध उच्चतम विक्रय मूल्य तथा उपयोग में आ रही कीमत से लगाया जाता है. उपयोग में आ रही कीमत का अनुमान लगाते समय भविष्य के अनुमानित रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य का पूंजी के औसतन मूल्य के अनुसार डिस्काउन्ट कर दिया जाता है. हानिकर के बाद परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान कर दिया जाता है.इसके पहले की स्वीकृत हानिकरण/क्षति का परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार प्रावधान कर दिया जाता है या उसे पीछे ले लिया जाता है.

(ड़) विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देनों का लेखा रिपोर्टिंग मुद्रा की राशि पर लागू लेन देन की तारीख विनिमय दर के आधार पर किया जाता है. सभी मौद्रिक परिसंपत्तियां और देयताएं तुलनपत्र की तारीख के दिन लागू विनिमय दरों के अनुसार पुनर्व्यक्त की जाती हैं. विनिमय दरों में आने वाले अंतर को लाभ अथवा हानि के विवरण में चार्ज/क्रेडिट कर दिया जाता है. गैर मौद्रिक आइट्म्स जो ऐतिहासिक मूल्य के तौर पर विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित किये जाते हैं, वे विनिमय की तारीख को चल रहे विनिमय दरों के अनुसार रिपोर्ट किये जाते हैं.

(च) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/ऋणों के लिए प्रावधान

च.1 सरकारी देयों के अलावा 3 से अधिक वर्षों की अवधि के लिए बकाया सभी विविध देनदारों/अन्य ऋणों के संबंध में

च.2 सरकारी देयों के संबंध में, प्रबंधन की राय में प्रावधान वसूली योग्य नही मानकर किया गया है.

च.3 ऋण और अग्रिमों के संबंध में, ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान किया ग्या है जोकि प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य नहीं मानकर किया गया है.

(छ) संपत्ति सूची

छ.1 संपत्ति सूची में डीवीडी तथा सोना शामिल है

छ.2 सिनेमाज ऑफ इंडिया लेबल के अंतर्गत वीडियो कैसेट्स के स्टॉक तथा डीवीडी का मूल्यांकन लागत के निचले स्तर तथा शुद्ध प्राप्त करने योग्य मूल्य पर किया गया है. लागत का निर्धारण एफआईएफओ पद्धति के अनुरूप किया गया है.

C.4 Depreciation in respect of audio – visual technical equipment's under the head Plant and Machinery has been provided on the Straight Line Method.

C.5 Depreciation on tangible fixed assets is charged upto 95% of capitalized value, retaining the balance 5% as salvage value as per the Act.

C.6 Depreciation has been provided on pro-rata basis from the date of addition/upto the date of sale as the case may be.

C.7 Completed films for which rights have not been sold out are valued at a nominal value of ₹ 1/- each.

(D) Impairment of Assets

In accordance with Accounting Standard 28 (AS 28) "Impairment of Assets," where there is an indication of impairment of the Company's assets, the carrying amounts of the Company's assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any impairment based on internal/external factors. An impairment loss, if any, is recognized in the Statement of Profit and Loss, wherever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount. The recoverable amount of the assets is estimated at its net selling price or its value in use, whichever is higher. In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to the present value at the weighted average cost of capital. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the assets over its remaining useful life. Previously recognized impairment loss is further provided or reversed depending on changes in circumstances.

(E) Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign exchange are accounted for at the date of transaction. Foreign currency monetary items of assets & liabilities are reported using exchange rates prevailing at the close of the year and exchange difference arising there from is charged/credited to the Statement of Profit and Loss. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

(F) Provision for Doubtful debts/Advances/Loans

F.1 In respect of all Sundry Debtors/other Debts outstanding for a period of more than 3 years other than Government dues.

F.2 In respect of Government dues, provisions are made to the extent considered not recoverable in the opinion of the management.

F.3 In respect of Loans & advances, the provisions are made for the loans and the advances to the extent considered not recoverable by the management.

(G) Inventories

G.1 Inventories include DVDs.

G.2 Inventory of video-cassettes and DVDs under Cinemas of India label have been valued at lower of cost and net realizable value, cost is determined as per FIFO method.

(छ). कराधान

चालू करों के लिये प्रावधान आयकर अधिनियम 1961के प्रवधानों के अंतर्गत अभिस्वीकृत लाभ पर विचार करने के बाद किया जाता है. आस्थगित कर जो खातों तथा करयोग्य लाभ के बीच टाइमिंग डिफरेंस का नतीजा होता है, उसका तुलनपत्र में लेखा बाद में निर्धारित किये गये नियमों तथा कर की दरों अनुरूप कर दिया जाता है. आस्थगित कर संपत्तियां जो हानि को आगे लाये जाने तथा असमाविष्ट मूल्यह्रास से होती हैं उन्हे केवल उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की वास्तविक सुनिश्चितता होती है कि परिसंपत्ति को भविष्य में वसूल किया जा सकता है.

(ज) प्रतिअंश आय

प्रति ईक्विटी शेयर की आय (प्रारंभिक/वनूकृत) को इक्विटी अंशधारकों को वर्ष के लिये शुद्ध लाभ एवं हानि (देय करों को घटा कर) में वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभक्त करके आकलित किया जाता है.

(झ) कर्मचारियों के लाभ

1) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के कर्मचारियों की भविष्य निधि, जो सरकार के भविष्य निधि फंड तथा कर्मचारी कल्याण फंड के अंतर्गत संचालित की जाती है, को परिभाषित अंशदान योजना माना जाता है. इन परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी द्वारा दे दिये गये अथवा देय अंशदान उस अवधि में, जब कर्मचारी संबंधित सेवा में कार्यरत है, लाभ तथा हानि लेखाओं में □व्यय' के तौर पर मान्य किये गये हैं. उक्त फंड से फायदा पाने वाले को प्रतिवर्ष दिये जाने वाले ब्याज की दर सरकार द्वारा घोषित की जाती है. विनियोग से मिलने वाले मुनाफे और ब्याज दर के बीच अगर कोई अंतर हो तो उस कमी की भरपाई करने का कंपनी पर कोई नैतिक बंधन नहीं है.

2) परिभाषित हितकारी योजना

ग्रेचुइटी अथवा लंबे समय तक मुआवजा प्राप्त अनुपस्थिति जैसी कंपनी की बाध्यताओं को परिभाषित बेनेफिट योजना माना जाता है. इन परिभाषित हितकारी योजनाओं के अंतर्गत इनका वर्तमान मूल्य प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड' के द्वारा विशेषज्ञ द्वारा आंके गये मूल्य' के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है जिसमें सेवा की हर अवधि को कर्मचारी को लाभ की एक अतिरिक्त यूनिट के हकदार के रूप में मान्य किया जाता है तथा अंतिम अनुग्रह के लिए हर यूनिट को अलग गिना जाता है. हानि तथा लाभ के विवरण में विशेषज्ञ द्वारा आंके गये लाभ अथवा हानि को तुरंत मान्य कर लिया जाता है. कंपनी के अनुग्रहों को अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह की वर्तमान कीमत से मापा जाता है जिसमें बट्टा काटने की दर का प्रयोग किया जाता है. बट्टा काट की दर का निर्धारण सरकारी प्रतिभूतियों में तुलनपत्र की तारीख में बाजार की अनुकूलता के संदर्भ से किया जाता है.

(ड़) पट्टे

संचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टों के भुगतान को लाभ तथा हानि के विवरण में पट्टे की शर्तों पर सीधी रेखा के आधार पर मान्य किया जाता है

(त) प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएं

प्रावधान वे देयताएं हैं जिन्हें जिन्हें सिर्फ विशिष्ट अनुमान स्तर को प्रयुक्त करके आंका जा सकता है. उन्हें हर एक तुलनपत्र की दिनांक पर दर्शाया जाता है तथा चालू प्रबंधन आकलन पर परावर्तित करके समायोजित किया जाता है. आकस्मिक देयताएं उपयुक्त अनुगृहीत मामलों में प्रकट हो सकती हैं जहां संसाधन की गति की संभावना निश्चित नहीं है अथवा दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन बनाया नहीं जा सकता है.

(H) Taxation

Provision for current tax is made after taking into consideration benefit admissible under the provisions of Income Tax Act, 1961. Deferred tax resulting "timing differences" between book and taxable profit is accounted for using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as on the balance sheet date. Deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the asset will be realized in future.

(I) Earning Per Share

Earning per equity share (Basic/Diluted) is calculated by dividing the Net Profit or Loss for the year attributable to Equity Shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of Equity Shares outstanding during the year.

(J) Employee Benefits

1) Defined Contribution Plan

The Company's Employee's Provident Fund administered through Government Provident Fund and Labour Welfare Fund are considered as Defined Contribution Plans. The Company's contributions paid/payable towards these defined contributions plan are recognized as expense in the Statement of Profit and Loss during the period in which the employee renders the related service. The interest rate payable by the said funds to the beneficiaries every year is being notified by the Government. The Company has no obligation to make good the shortfall, if any between the return from the investment and the interest rate.

2) Defined Benefit Plan

Company's liabilities towards gratuity, long term compensated absences are considered as Defined Benefit Plans. The present value of the obligations under such Defined Benefit Plans are determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method, which recognizes each period of service as giving rise to an additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. Actuarial gains and losses are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss. The obligation is measured at the present value of estimated future cash flows using a discount rate that is determined by reference to market yields at the balance sheet date on Government securities.

(K) Leases

Lease transactions under operating lease are recognized as an expense or Income in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

(L) Provisions and Contingencies

Provisions are liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Contingent liability is disclosed in case of possible obligation where the probability of outflow of resources is not certain or where reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

टिप्पणी – 3 शेयर पूंजी

Note – 3 Share Capital

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017		31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016	
		संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
प्राधिकृत	**Authorised**				
प्रत्येक 100/- प्रति के इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of 100/- each	45,40,000	45,40,00,000	45,40,000	45,40,00,000
निर्गमित	**Issued**				
प्रत्येक 100/- प्रति के इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of 100/- each	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500
अनुमोदित और प्रदत्त	**Subscribed & Paid up**				
प्रत्येक 100/- प्रति के प्रदत्त इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of 100 each fully Paid	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500
कुल	**Total**	**45,39,985**	**45,39,98,500**	**45,39,985**	**45,39,98,500**

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31.03.2017 को इक्विटी शेयर्स Equity Shares as on 31.03.2017		31.03.2016 को इक्विटी शेयर्स Equity Shares as on 31.03.2016	
		संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयर्स	Shares outstanding at the beginning of the year	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500
वर्ष के दौरान आबंटन	Allotment during the year	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया शेयर्स	Shares outstanding at the end of the year	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500

5% से ज्यादा अंशधारकों का विवरण

Details of Shareholders holdng more than 5% of shareholding

अंशधारक का नाम	Name of Shareholder	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017		31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016	
		शेयर धारित सं. No. of Shares held	धारक का प्रतिशत % of Holding	शेयर धारित संख्या No. of Shares held	धारक का प्रतिशत % of Holding
"भारत के राष्ट्रपति के माध्यम सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली"	"President of India through Secretary Ministry of I&B, New Delhi"	45,39,983	99.999956%	45,39,983	99.999956%

उपर्युक्त सरकारी ऋण तथा उस पर उपार्जित व्याज को शेयर में परिवर्तन करने पर 28,40,000 शेयर्स आबंटित किये जाते है.

इक्विटी शेयर्स से संलग्न शर्ते/अधिकार
कम्पनी के पास प्रत्येक ₹ 100 शेयर्स के सिर्फ एक श्रेणी के इक्विटी शेयर्स है. कम्पनी ने भारतीय रूपयों में लाभांश तथा भुगतान जाता है.

Of the above 28,40,000 Shares are alloted in conversion of Government Loan and interest accured theron into Share Capital.

Terms/Rights attached to Equity Shares
The Company has only one class of equity shares having par value of ₹ 100 per share. The Company declare and pays dividend in Indian Rupees.

टिप्पणी – 4 संचय और अधिशेष

Note – 4 Reserves And Surplus

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016
क. पूंजीगत संचय	a. Capital Reserves	21,875	21,875
ख. अन्य संचय	b. Other Reserves		
विशेष संचय (निर्यात)	Special Reserve (Exports)	2,10,861	2,10,861
ग. अधिशेष	c. Surplus		
गत वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	Balance as Per last financial statement	(21,99,23,432)	(35,09,53,242)
घटाईएं : प्रारम्भिक प्रतिधारित आय के सामने मूल्य-ह्रास समायोजन	Less – Depreciation adjusted against opening retained earnings	–	–
शुध्द लाभ/(शुध्द हानि) चालू वर्ष के लिए	Add – Net Profit/(Net Loss) for the current year	(1,91,00,253)	13,10,29,809
अंतिम शेष	Closing Balance	(23,90,23,685)	(21,99,23,432)
कुल	**Total**	**(23,87,90,949)**	**(21,96,90,696)**

टिप्पणी – 5 दीर्घकालिक ऋण

Note – 5 Long Term Borrowings

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	गैर चालू Non-Current		चालू Current	
		31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016
सुरक्षित	**Secured**				
बैंक द्वारा आवधिक ऋण	Term Loan from Bank	1,00,50,616	1,40,89,072	40,38,456	40,38,456
घटाईएं : अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत प्रकट राशि	Less – Amount disclosed under other current			40,38,456	40,38,456
(टिप्पणी सं. 9)	Liabilities (Note No.9)				
कुल	**Total**	**1,00,50,616**	**1,40,89,072**	**–**	**–**

क) चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय के सभी संयंत्र और मशीनरी और अन्य चल संपत्ति के अभिरक्षा में बंधक द्वारा चेन्नई में थियेटर के निर्माण हेतु सावधि ऋण लिया गया था उपरोक्त आवधिक ऋण @ 15.25% प्रति वर्ष ब्याज किया जाता है तथा अप्रैल 2014 से ₹ 3,36,538 प्लस ब्याज के 78 समान किस्तों में प्रतिदेय है.

a) Term loan was taken for the purpose of construction of theater at Chennai, secured by hypothecation of all Plant and machinery and other moveable assets of Chennai Regional Office. The said term loan carries interest @ 15.25% p.a. and is repayable in 78 equal instalments of ₹ 3,36,538 Plus interest starting from April 2014.

टिप्पणी – 6 अन्य दीर्घकालिक देयताएं

Note – 6 Other Long Term Liabilities

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम (संदर्भ नोट संख्या - 29)	**Advance received from Ministry of Information and Broadcasting (Refer Note – 29)**		
फिल्म निर्माण के लिए	For Film Production	6,38,40,561	3,89,34,508
घटाईये : क्षेत्रीय फिल्मों की सूची	Less – Inventory of Regional Film	1,39,95,481	2,30,00,000
फिल्म निर्माण के लिए आबंटित शेष	As allocated for Film Production	4,98,45,080	1,59,34,508
फिल्म फेसिलिटेशन ऑफीस के लिए	For Film Facilitation Office*	–	84,57,428
अमानतें प्राप्त	Deposits Received	78,76,451	76,99,918
कुल	**Total**	**5,77,21,531**	**3,20,91,854**

* चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, डेबिट की शेष राशि ₹ 70,67,252 है जो अल्पावधिक ऋणों एवं अग्रिमों के तहत प्राप्त नकद अथवा किसी भी प्रकार के मूल्य में वसूली योग्य अग्रिमों में शामिल किया गया है (नोट 16 देखें)

* During the current financial year, there is a debit balance of ₹ 70,67,252 which is clubbed in Advances recoverable in cash or kind for value to be received under Short Term Loans & Advances (Refer Note 16).

टिप्पणी – 7 दीर्घकालिक प्रावधाने

Note – 7 Long Term Provisions

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016
उपदान	Gratuity	4,59,60,074	4,09,73,255
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	2,91,97,872	3,00,39,258
कुल	**Total**	**7,51,57,946**	**7,10,12,513**

टिप्पणी – 8 व्यापारिक देय

Note – 8 Trade Payables

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016
व्यापारिक देय	Trade Payable	1,05,27,36,205	78,05,74,863
कुल	**Total**	**1,05,27,36,205**	**78,05,74,863**

टिप्पणी – 9. अन्य चालू देयताएं

Note – 9 Other Current Liabilities

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता अवधि	Current maturities of Long Term Borrowing	40,38,456	40,38,456
ब्याज उपार्जित तथा देय	Interest Accrued and Due	6,95,256	13,09,479
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	Advance from Customers	42,57,88,550	34,23,76,318
निर्माण के लिए अग्रिम	Advance for Production	19,73,34,205	20,55,85,802
अन्य अग्रिम	Others Advances	5,28,391	1,94,96,788
सांविधिक देय	Statutory Dues	3,23,01,468	2,60,16,677
अन्य देयताएं	Other Liabilities	6,57,04,602	6,23,51,314
कुल	**Total**	**72,63,90,929**	**66,11,74,833**

टिप्पणी – 10. अल्पावधिक प्रावधाने

Note – 10 Short Term Provisions

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016
(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	**(a) Provision for Employee Benefits**		
उपदान	Gratuity	43,25,173	41,99,661
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	63,39,744	36,69,814
(ख) कराधान के लिए प्रावधान	**(b) Provision for Taxation**		
आय कर के लिए	For Income Tax	44,10,000	65,10,000
कुल	**Total**	**1,50,74,917**	**1,43,79,475**

टिप्पणी – 11 स्थायी परिसम्पतियां और मूल्य-हास

Note – 11 Fixed Assets And Depreciation

राशि रुपयों में
Amount in ₹

	विवरण	Particulars	सकल सम्पत्ति (लागत में)			Gross Block [At Cost]		मूल्य-हास			Depreciation		शुध्द सम्पत्ति	Net Block
			01.04.2016 को	वृध्दियां	आंतरिक यूनिट/हेड ट्रांसफर	कटौतियां	31.03.2017 को	01.04.2016 तक	आंतरिक यूनिट/हेड ट्रान्सफर	कटौतियां	वर्ष के लिए	31.03.2017 तक कुल	31.03.2017 को	31.03.2016 को
			As At 01.04.2016	Addition	Inter Unit/ Head Transfer	Deduction	As At 31.03.2017	Upto 01.04.2016	Inter Unit/ Head Transfer	Deduction	For The Year	Total Upto 31.03.2017	As At 31.03.2017	As At 31.03.2016
A	**वास्तविक परिसम्पत्तियां**	**Tangible Asset**												
1	पट्टेपर भूमी	Leasehold Land	1,38,000	–	–	–	1,38,000	46,479	–	–	–	46,479	91,521	91,521
2	इमारत	Building	3,62,95,754	–	–	–	3,62,95,754	1,14,45,701	–	–	22,42,227	1,36,87,928	2,26,07,826	2,48,50,053
3	कार्यालय उपकरण	Office Equipments	1,64,09,933	14,17,182	(20,000)	8,76,805	1,69,30,310	1,22,27,773	(20,000)	8,30,281	16,81,553	1,30,59,045	38,71,265	41,82,160
4	संयत्र तथा मशीनरी	Plant & Machinary	3,60,83,156	11,34,832	20,000	88,053	3,71,49,935	1,97,70,104	20,000	61,047	30,01,684	2,27,30,741	1,44,19,194	1,63,13,052
5	कम्प्यूटर्स	Computers	1,23,25,910	22,43,699	–	9,27,640	1,36,41,969	1,02,14,038	–	9,04,710	16,39,346	1,09,48,674	26,93,295	21,11,872
6	सज्जा सामग्री और उपस्कर	Furniture & Fixture	3,99,54,437	39,53,877	–	80,860	4,38,27,454	2,20,43,384	–	57,674	37,32,543	2,57,18,253	1,81,09,201	1,79,11,053
7	वाहन	Vehicles	28,37,604	9,66,681	–	–	38,04,285	15,58,380	–	–	4,97,454	20,55,834	17,48,451	12,79,224
8	इलेक्ट्रिकल फिटिंग	Electrical Fittings	61,32,210	14,55,091	–	–	75,87,302	18,73,880	–	–	9,75,192	28,49,072	47,38,229	42,58,331
9	अस्थायी संरचना	Temprory Structure	97,203	–	–	–	97,203	97,203	–	–	–	97,203	0	0
10	पदक	Medals	41	1	–	–	42	–	–	–	–	–	42	41
	कुल	Total	15,02,74,249	1,11,71,363	–	19,73,358	15,94,72,253	7,92,76,942	0	18,53,712	1,37,69,999	9,11,93,229	6,82,79,024	7,09,97,306
B	**अवास्तविक परिसम्पत्ति**	**Intangible Asset**												
1	फिल्म अधिकार	Film Rights	270	–	–	–	270	–	–	–	–	–	270	270
2	सॉफ्टवेयर	Software	17,66,416	51,840	–	–	18,18,256	8,48,553	–	–	2,75,401	11,23,954	6,94,302	9,17,863
	कुल	Total	17,66,686	51,840	–	–	18,18,526	8,48,553	–	–	2,75,401	11,23,954	6,94,572	9,18,133
C	**पूंजी डब्ल्यूआईपी**	**Capital Wip**	21,86,004	63,13,365		57,11,595	27,87,774	–	–	–	–	–	27,87,774	21,86,004
	कुल	**Total**	**15,42,26,939**	**1,75,36,568**	**–**	**76,84,953**	**16,40,78,554**	**8,01,25,496**	**0**	**18,53,712**	**1,40,45,400**	**9,23,17,183**	**7,17,61,371**	**7,41,01,443**
	गत वर्ष कुल	**Previous Year**	**13,59,21,754**	**1,91,27,439**	**–**	**8,22,254**	**15,42,26,939**	**6,62,52,977**	**–**	**7,08,234**	**1,45,80,753**	**8,01,25,496**	**7,41,01,443**	**6,96,68,776**

टिप्पणी – 12 दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

Note – 12 Long Term Loans And Advances

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017		31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016	
1) कर्मचारियों के लिए ऋण एवं अग्रिम	**1) Loans and advances to Staff**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good,	960	960	1,05,225	1,05,225
2) फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण	**2) Loans for Production of Films**				
संदिग्ध	Doubtful	1,44,02,720		1,44,02,720	
घटाइएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	Less – Provision for doubtful loans	1,44,02,720	–	1,44,02,720	–
3) सिनेमागृह के निर्माण के लिए ऋण	**3) Loans for Construction of Theatres**				
संदिग्ध	Doubtful	2,98,703		2,98,703	
घटाइएं – संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less – Provision for doubtful loans	2,98,703	–	2,98,703	–
4) अमानते	**4) Deposits**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	1,39,68,572		1,26,04,838	
संदिग्ध	Considered Doubtful	31,230		31,230	
घटाइएं : संदिग्ध अमानतों के लिए प्रावधान	Less – Provision for Doubtful Deposits	31,230	1,39,68,572	31,230	1,26,04,838
कुल	**Total**		**1,39,69,532**		**1,27,10,063**

टिप्पणी – 13 सम्पत्ति सूची

Note – 13 Inventories

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016
तैयार सामान	**Finished Goods**		
डीवीडी का स्टॉक	Stock of DVD	10,85,761	9,07,565
कुल	**Total**	**10,85,761**	**9,07,565**

टिप्पणी – 14 व्यापारिक प्राप्ति

Note – 14 Trade Receivables

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016
अप्रतिभूत	Unsecured		
क) छः महीने से ज्यादा	**a) Trade Receivables outstanding more**		
बकाया व्यापारिक प्राप्तियां	than six months		
असंदिग्ध	Considered Good	37,40,15,945	16,56,10,947
संदिग्ध	Considered Doubtful	20,48,85,170	20,39,77,746
		57,89,01,114	36,95,88,692
घटाइएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less – Provision for Doubtful Debts	20,48,85,170	20,39,77,746
		37,40,15,945	16,56,10,947
ख) अन्य	**b) Others**		
असंदिग्ध	Considered Good	59,09,16,852	51,13,50,667
कुल	**Total**	**96,49,32,797**	**67,69,61,614**

जैसे की संग्रहण की नियत तारीख परिभाषित नही की है इसलिए बिल की तारीख को नियत तिथि माना गया है.

As the due date of collection has not been defined hence bill date is considered as due date.

टिप्पणी – 15 रोकड तथा रोकड़ प्रवाह

Note – 15 Cash And Bank Balances

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016
1. रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	**1. Cash and Cash Equivalent**		
क) बैंक में शेष	a) Balances with Banks		
चालू खाते में	In Current Account	3,52,29,600	7,39,48,309
मूल परिपक्वता के साथ 12 महिनों से ज्यादा की स्थायी जमा पूंजी	Fixed Deposits with maturity of more than 12 months	–	52,08,265
अन्य स्थायी जमा पूंजी	Other Fixed Deposits	58,10,35,671	45,20,84,707
(समेकित सावधि जमा रू. 39,383,577 (गत वर्ष ₹ 32,64,260) बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी के लिए प्रतिभूति के रूप में दी गई) -	(Fixed Deposit aggregating to ₹ 39,383,577 (Previous Year ₹ 32,64,260) has been given as security for Bank Guarantee given by Bank.)		
(समेकित सावधि जमा रू. शून्य (गत वर्ष ₹ 73,067,763) बैंक द्वारा दी गई बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए प्रतिभूति के रूप में दी गई)	(Fixed Deposit aggregating to ₹ NIL (Previous Year ₹ 73,067,763) has been given as security for Bank Overdraft given by Bank.)		
ख) रोकड़ बाकी	b) Cash on Hand	71,318	65,141
कुल	**Total**	**61,63,36,589**	**53,13,06,422**

टिप्पणी – 16 अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम — Note – 16 Short Term Loans And Advances

राशि रुपयों में Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017		31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016	
1) कर्मचारियों के लिए ऋण एवं अग्रिम	**1) Loans and advances to Staff**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	1,40,708	1,40,708	2,55,792	2,55,792
2) नगद या वस्तुरूप में प्राप्य मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	**2) Advances recoverable in cash or kind for value to be received**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	12,57,50,759		7,77,51,616	
संदिग्ध	Considered Doubtful	12,18,000		12,18,000	
घटाईएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less – Provision for Doubtful Loans	12,18,000	12,57,50,759	12,18,000	7,77,51,616
सेवा कर प्राप्य	Service Tax Receivable	12,28,77,630		14,32,27,548	
वैट प्राप्य	VAT Receivable	20,857		24,762	
कर का अग्रिम भुगतान	Advance Payment of Tax	8,92,25,432	21,21,23,919	12,06,88,357	26,39,40,667
3) स्वकीय फिल्मों के लिए अग्रिम	**3) Advances for Own Production of Films**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	7,513	7,513	1,01,932	1,01,932
कुल	**Total**		**33,80,22,899**		**34,20,50,007**

टिप्पणी – 17 अन्य चालू परिसम्पत्तियां — Note – 17 Other Current Assets

राशि रुपयों में Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31 March 2016
स्थायी जमा पर उपार्जित व्याज	Interest Accured on Fixed Deposit	10,02,205	24,87,635
कुल	**Total**	**10,02,205**	**24,87,635**

टिप्पणी – 18 प्रचलन से आय — Note – 18 Revenue From Operation

राशि रुपयों में Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2016-17 Year 2016-17		वर्ष 2015-16 Year 2015-16	
फीचर फिल्म निर्माण	Feature Film Production		–		7,28,30,000
गैर फीचर फिल्म निर्माण	Non Feature Film Production		67,62,52,842		45,14,40,175
फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस	Film Facilitation Office		2,85,56,130		85,42,572
मीडिया कैपेन	Media Campaign		73,90,16,977		47,26,14,233
फिल्मों का वितरण	**Distribution of Films**				
विदेशी	Overseas	1,05,92,515		1,75,82,415	
घरेलू	Domestic	9,90,20,451	10,96,12,966	1,58,10,428	3,33,92,843
सेवा परियोजनाएं	**Service Projects**				
कार्यशाला/बाजार/फिल्म बाजार	Workshop/Market/Film Bazaar		2,50,83,905		3,72,09,334
प्रशिक्षण/कार्यशाला	Training/Workshop		1,33,93,712		2,02,93,324
समारोह	Festivals		1,89,22,065		84,11,718
पूर्व दर्शन प्रेक्षागार	Preview Theatre		1,05,72,971		1,03,32,540
कुल	**Total**		**1,62,14,11,569**		**1,11,50,66,739**

टिप्पणी – 19 अन्य आय

Note – 19 Other Income

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2016-17 Year 2016-17	वर्ष 2015-16 Year 2015-16
कार्यालय भवनों का किराया	Rent from Office Premises	1,70,45,617	1,80,51,686
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज	Interest on Staff Advance	–	35,326
बैंक स्थायी जमाराशि पर ब्याज	Interest on Bank Fixed Deposit	1,13,24,881	2,99,58,352
बैंको की संचित धन पर ब्याज	Interest on Savings Bank	22,452	12,898
टीडीएस रिफंड पर ब्याज	Interest on TDS Refund	1,41,85,131	–
विविध आय	Miscellaneous Income	4,26,178	5,80,160
परिसम्पत्तियां की विक्री से लाभ	Profit on Sale of Assets	–	1,42,543
विदेशी मुद्रा विनियम दरों पर लाभ	Profit on Foreign Exchange Fluctuations	–	5,34,584
पूर्व कालीन मदें	Prior Period Items	83,66,256	7,67,135
जमा शेष वापिस	Credit Balances written back	86,89,983	15,00,439
कुल	**Total**	**6,00,60,497**	**5,15,83,122**

टिप्पणी – 20 प्रचलित व्यय

Note – 20 Operating Expenditure

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2016-17	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2015-16
		Year 2016-17		Year 2015-16	
फीचर फिल्म निर्माण	Feature Film Production		–		6,66,59,263
गैर फीचर फिल्म निर्माण	Non Feature Film Production		59,98,65,052		38,58,38,940
फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस	Film Facilitation Office		2,61,98,285		78,37,222
मीडिया कैम्पेन	Media Campaign		74,43,89,327		47,26,44,485
फिल्मों का वितरण	**Distribution of Films**				
विदेशी	Overseas	26,70,022		46,32,130	
घरेलू	Domestic	1,33,32,670	1,60,02,691	65,49,935	1,11,82,065
सेवा परियोजनाएं	Service Projects				
कार्यशाला/बाजार/फिल्म बाजार	Workshop/Market/Film Bazaar		6,08,88,824		6,57,06,509
प्रशिक्षण एवं विकास	Training & Development		1,05,74,931		54,42,627
समारोह	Festivals		1,70,07,239		76,73,642
पूर्व दर्शन प्रेक्षागार	Preview Theatre		38,77,734		35,94,420
कुल	**Total**		**1,47,88,04,084**		**1,02,65,79,173**

टिप्पणी – 21. सम्पत्ति सूची में (वृध्दि)/कमी

Note – 21 (Increase)/Decrease In Inventories

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2016-17 Year 2016-17	वर्ष 2015-16 Year 2015-16	(वृध्दि)/कमी वर्ष 2016-17 (Increase)/ Decrease Year 2016-17	(वृध्दि)/कमी वर्ष 2015-16 (Increase)/ Decrease Year 2015-16
डीवीडी	Stock of DVD	10,85,761	9,07,565	(1,78,195)	5,59,331
कुल	**Total**	**10,85,761**	**9,07,565**	**(1,78,195)**	**5,59,331**

टिप्पणी – 22 कर्मचारी लाभ व्यय

Note – 22 Employee Benefit Expenses

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2016-17 Year 2016-17	वर्ष 2015-16 Year 2015-16
वेतन, भत्ते और बोनस	Salaries, Wages and Bonus	6,63,73,124	6,79,10,135
भविष्य निधियों में अंशदान	Contributions to Provident Fund	59,48,894	58,60,633
अन्य निधियों में अंशदान	Contributions to Other Fund	45,881	61,929
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	53,47,276	66,75,130
उपदान	Gratuity	78,48,266	75,14,823
मेडीकल व्यय	Medical Expenses	42,78,394	–
कुल	**Total**	**8,98,41,834**	**8,80,22,650**

टिप्पणी – 23 अन्य व्यय

Note – 23 Other Expenses

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2016-17 Year 2016-17	वर्ष 2015-16 Year 2015-16	वर्ष 2016-17 Year 2016-17	वर्ष 2015-16 Year 2015-16
विज्ञापन और प्रसार	Advertisement and Publicity			47,680	12,48,990
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	Auditors Remuneration			5,50,000	4,50,000
बैंक प्रभार	Bank Charges			1,25,632	1,68,039
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गये	Bad Debts Written Off	1,50,197	23,72,943		
घटाइएं : संदिग्ध ऋणों के प्रावधान का उपयोग	Less – Provision for Doubtful Debts Utilised	86,123	21,94,145	64,074	1,78,798
कोर्पोरेट मनोरंजन	Corporate Entertainment			9,36,162	4,20,678
निदेशकों का यात्रा व्यय	Director's Travelling Expenses			12,69,395	19,35,023
रिबेट और छूट	Rebate & Discount			–	24,68,625
बिजली प्रभार	Electricity Charges			31,91,171	36,79,818
फाइलिंग फीस	Filing Fees			2,000	23,300
बीमा	Insurance			3,36,928	3,45,978
टीडीएस तथा सेवा करों पर ब्याज	Interest on TDS and Service Tax			17,05,210	16,128
विधि व्यय	Legal Expenses			39,45,753	35,16,498
विदेशी मुद्रा विनिमय के उतार चढाव पर हानि	Loss on Foreign Exchange Fluctuation			7,72,637	–
परिसम्पत्ति के बिक्री पर हानि	Loss on Sale of Assets			35,909	–
कार्यालयीन सामान्य व्यय	Office General Expenses			28,91,948	39,71,787
डाक, तार, टैलेक्स और टेलिफोन व्यय	Postage,Telgrams, Telex and Telephone Expenses			10,78,874	24,48,726
छपाई और लेखन सामग्री	Printing & Stationery			14,36,697	14,99,048
कार्यालयीन सामान्य व्यय	Professional Charges			3,72,04,310	2,50,42,414
डाक, तार, टैलेक्स और टेलिफोन व्यय	Provision for Doubtful Debts/ Loan/Advance			15,31,711	27,92,550
छपाई और लेखन सामग्री	Rates & Taxes			14,12,784	14,35,898
भर्ती व्यय	Recruiting Exp			97,574	25,809
किराया भुगतान	Rent Paid			1,35,63,133	1,21,69,036

Contd...

विवरण	Particulars	वर्ष 2016-17	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2015-16
		Year 2016-17	Year 2015-16	Year 2016-17	Year 2015-16
मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance			77,88,089	66,49,972
सुरक्षा सेवा प्रभार	Security Srevices Charges			25,46,780	19,42,178
सेवा कर प्रदत्त	Service Tax Paid			12,64,302	15,37,208
कर्मचारी कल्याण व्यय	Staff Welfare Expenses			7,67,757	7,87,515
स्टॉक ऑफ गोल्ड बट्टे खाते में डाले गये	Stock of Gold Written Off			–	1,938
यात्रा और स्थानिक यात्रा व्यय	Travelling and Local Conveyance Expenses			81,06,909	69,51,736
प्रदत्त/सीएसटी वैट	CST/VAT Paid			2,788	22,931
कुल	**Total**			**9,26,76,207**	**8,17,30,620**

टिप्पणी – 24 वित्तीय लागत

Note – 24 Finance Cost

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2016-17	वर्ष 2015-16
		Year 2016-17	Year 2015-16
ब्याज व्यय	Interest Expense	56,05,867	69,42,038
कुल	**Total**	**56,05,867**	**69,42,038**

नोट – 25 आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया –

Note – 25 Contingent Liabilities not provided for –

राशि रुपयों में
Amount in ₹

	विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
1	निगम के विरूध्द कानूनी प्रकरण	Legal cases against the Company.	7,68,44,079	7,21,58,079
2	परिसर हेतु किराये में वृध्दि के लिए निगम विरूध्द दावा सिविल न्यायालय में अनिर्णित ऋण की वजह से मान्य नही किये गये	Claim against Company for increase in rental for the premises not acknowledged as debts pending in Civil Court.	10,38,080	10,38,080
3	दुष्प्रस्तुतिकरण एवं दस्तावेजों को जब्त करने के आरोप में निलंबन हुए वरिष्ठ महाप्रबंधक को देय शेष वेतन	Balance salary payable to Senior General Manager, suspended earlier on the charges of mis-representation of facts and impounding of documents.	8,46,016	8,46,016
4	आयकर अधिनियम 1961 के धारा 154 के अंतर्गत आदेश के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2006-07 के लिए आयकर अभियाचना	Income Tax demand for the assessment year 2006-07 as per Order issued u/s 154 of the Income Tax Act 1961	–	78,54,320
5	आयकर आयकर अधिनियम 1961 के धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2011-12 के लिए आयकर अभियाचना	Income Tax demand for the assessment year 2012-13 as per Order issued u/s 143(3) of the Income Tax Act 1961	–	1,84,30,810
6	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 (1) (सी) के जारी किए गए आदेश के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2005-06 के लिए जुर्माना	Penalty levied for the assessment year 2005-06 as per order issued u/s 271 (1) (C) of Income Tax Act 1961.	7,00,000	7,00,000
7	आयकर आयकर अधिनियम 1961 के धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2012-13 के लिए आयकर अभियाचना	Income Tax demand for the assessment year 2013-14 as per Order issued u/s 143(3) of the Income Tax Act 1961	1,95,32,210	1,95,32,210
8	सेवा कर विभाग, चेन्नई ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए, सेनवॅट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3) के अंतर्गत एनएफडीसी द्वारा प्राप्त अनियमित सेनवॅट क्रेडिट के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था.	Service Tax Demand towards the irregular cenvat credit availed by NFDC under Rule 14 of Cenvat Credit Rules, 2004 for the financial year 2010-11 to 2013-14.	21,78,262	21,78,262
9	ग्राहकों को दी गई बैंक गारंटी.	Bank Guarantee given to Customers	4,95,000	10,38,080
	कुल	**Total**	**10,16,33,647**	**16,15,14,978**

नोट – 26

विविध देनदारों ऋण एवं अग्रिमों जमानतों तथा चालू देयताओं और कुछ शेष पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे हैं, के लेखाओं के शेषों का पुष्टिकरण तथा समंजन के उपरांत आई राशि, यदि कोई हो, और उसका वित्तीय विवरणों पर यदि कोई प्रभाव हो तो इसका अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकता.

नोट – 27.1 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान

वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये ₹ 15,31,711 (पिछले वर्ष ₹ 27,92,550) के विविध देनदारों तथा ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान किया गया है. वर्ष के दौरान किये गये ₹ 86,123 (पिछले वर्ष 21,94,145) के प्रावधान को बुरे तथा संदिग्ध ऋणों के लिये काम में ले लिया गया.

नोट – 27.2 गोल्ड मैडल्स का स्टॉक नाममात्र कीमत पर बरकरार रखा गया.

मेडल्स का स्टॉक प्रति मेडल ₹ 1 के नाममात्र मूल्य पर दर्शाया गया. इन मेडल्य का नाममात्र मूल्य स्थाई परिसंपत्तियों के शिड्यूल में दर्शाया गया है.

नोट: 27.3 उधार न चुकाने वालों का बट्टा काटा

कंपनी के प्रबंधन ने उन मामलों में जहां देयताओं की सम्भावना नहीं है ऐसे लेनदारों को राइट बैक करने का निर्णय किया. ₹ 86,89,983 (पिछले वर्ष ₹ 15,00,439) तदनुसार लेनदारों की राशि राइट बैक की गई बट्टे खाते डाल दी गई.

नोट – 28 कर्मचारी लाभ

प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करते हुए एक्यूएरियल वेल्यूएशन के आधार पर वेल्युएशन

(i) लाभ तथा हानि के विवरण में दिये गये मान्य खर्च

राशि रुपयों में

Note – 26

The balances in Sundry Debtors, Loans and Advances, Deposits and Current Liabilities including outstanding balances since last few years are subject to confirmation and consequential adjustment, if any on reconciliation. The financial impact, if any, is unascertainable.

Note – 27.1 Provision for Bad and Doubtful Debts

During the year provision for bad and doubtful debts of ₹ 15,31,711 (Previous year ₹ 27,92,550) has been made towards Sundry Debtors and Loans and Advances. Provision of ₹ 86,123/- (Previous year ₹ 21,94,145) towards bad and doubtful debts has been utilized for the bad debts during the year.

Note – 27.2 Stock of Medals retained at nominal value.

Stock of Medals is disclosed at nominal values of ₹ 1 each. The nominal value of these Medals is disclosed in Fixed Assets Schedule.

Note – 27.3 Creditors Written Back

The management of the Company has decided to write back creditors in cases where there is no likelihood of liability arising. Accordingly during the year creditors amounting to ₹ 86,89,983 (Previous year ₹ 15,00,439) have been written back.

Note – 28 Employee Benefits

Valued as per Actuarial valuation using Projected Unit Credit Method

(i) Expense recognized in the Statement of Profit & Loss.

Amount in ₹

विवरण	Description	उपदान (वित्तपोषित) मार्च 31, 2017	उपदान (वित्तपोषित) मार्च 31, 2016	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक) मार्च 31, 2017	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक) मार्च 31, 2016
		Gratuity (Funded) March 31, 2017	Gratuity (Funded) March 31, 2016	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2017	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2016
चालू सेवा लागत	Current Service Cost	17,84,220	17,35,119	14,43,306	11,81,161
व्याज लागत	Interest Cost	35,46,073	34,00,067	26,46,162	25,20,169
योजना परिसम्पत्तियां पर अपेक्षित आय	Expected Return on Plan Assets		(49,041)		
कुल बीमांकिक (वृध्दि)/हानियां	Net Actuarial (Gains)/Losses	25,17,973	24,28,678	12,57,808	29,73,799
कुल	**Total**	**78,48,266**	**75,14,823**	**53,47,276**	**66,75,129**

ii) शुद्ध परिसंपत्तियां/(देनदारियां) जैसी बैलेंस शीट में दर्शाई गई हैं

(ii) Net Assets/(Liability) recognized in the Balance Sheet

राशि रुपयों में

Amount in ₹

विवरण	Description	उपदान (वित्तपोषित) मार्च 31, 2017	उपदान (वित्तपोषित) मार्च 31, 2016	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक) मार्च 31, 2017	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक) मार्च 31, 2016
		Gratuity (Funded) March 31, 2017	Gratuity (Funded) March 31, 2016	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2017	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2016
निर्धारित दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of Defined Obligation	5,12,22,899	4,54,77,229	3,55,37,616	3,37,09,072
योजना परिसम्पत्तियां का शुध्द मूल्य	Fair Value of Plan Assets	9,37,652	3,04,313	–	–
वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	5,02,85,247	4,51,72,916	–	–
शुध्द परिसम्पत्ति/(देयताएं)	**Net Asset/(Liability)**	**5,02,85,247**	**4,51,72,916**	**3,55,37,616**	**3,37,09,072**

iii) वर्ष के दौरान बाध्यताओं में परिवर्तन

iii) Change in Obligation during the year

राशि रुपयों में

Amount in ₹

विवरण	Description	उपदान (वित्तपोषित) मार्च 31, 2017	उपदान (वित्तपोषित) मार्च 31, 2016	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक) मार्च 31, 2017	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक) मार्च 31, 2016
		Gratuity (Funded) March 31, 2017	Gratuity (Funded) March 31, 2016	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2017	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2016
वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of the Defined Benefit Obligation at the beginning of the Year	4,54,77,229	4,29,30,144	3,37,09,072	3,18,20,311
चालू सेवा लागत	Current Service Cost	17,84,220	17,35,119	14,43,306	11,81,161
ब्याज लागत	Interest Cost	35,69,962	34,00,067	26,46,162	25,20,169
देयताएं हस्तांतरित/अधिग्रहण	Liability transferred in/acquisitions	–	–	6,79,850	–
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	Actuarial (Gains)/Losses	25,79,619	24,10,662	125,7,808	29,73,799
लाभ भुगतान	Benefit Payments	(21,88,131)	(49,98,763)	(41,98,582)	(47,86,368)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**Present Value of the Defined Benefit obligation at the end of the year**	**5,12,22,899**	**4,54,77,229**	**3,55,37,616**	**3,37,09,072**

(iv) वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों में परिवर्तन **(iv) Change in Assets during the year**

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Description	उपदान (वित्तपोषित) मार्च 31, 2017	उपदान (वित्तपोषित) मार्च 31, 2016	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक) मार्च 31, 2017	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक) मार्च 31, 2016
		Gratuity (Funded) March 31, 2017	Gratuity (Funded) March 31, 2016	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2017	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2016
वर्ष के प्रारम्भ में योजित परिसम्पत्तियों का शुध्द मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the Year	3,04,313	6,19,208	–	–
योजना परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	Expected Return on Plan Assets	23,889	49,041	–	–
नियोक्ता द्वारा अंशदान	Contribution by Employer	27,35,935	18,625	–	–
प्रदत्त वास्तविक लाभ	Actual Benefits Paid	(21,88,131)	(3,64,545)	–	–
योजना परिसम्पत्ति पर बीमांकित लाभ/(हानियां)	Actuarial Gains/(Losses) on Plan Assets	61,646	(18,016)	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का शुध्द मूल्य	**Fair Value of Plan Assets at the year end**	**9,37,652**	**3,04,313**	**–**	**–**

(v) बीमांकिक पूर्वनुमान **(v) Actuarial Assumptions**

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Description	उपदान (वित्तपोषित) मार्च 31, 2017	उपदान (वित्तपोषित) मार्च 31, 2016	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक) मार्च 31, 2017	छुट्टी का भुगतान (अनिधिक) मार्च 31, 2016
		Gratuity (Funded) March 31, 2017	Gratuity (Funded) March 31, 2016	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2017	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2016
बट्टागत दर	Discount Rate	6.82%	7.85%	6.82%	7.85%
योजना परिसम्पत्तियों पर आय की दर	Rate of Return on Plan Assets	6.82%	7.85%	–	–
वेतन वृध्दि दर	Salary Escalation Rate	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

*वर्ष में उपलब्ध लीव बेनिफिट सहित जिसे वर्ष में लिए गये पारिश्रमिक में समाहित किया गया है.

क) भविष्य में होने वाली वेतन में बढोत्तरी के अनुमानों का वस्तुत: मूल्यांकन में प्रावधान करते समय मुद्रास्फीति की दर का लंबी अवधि के आधार पर विचार किया गया है.

ख) निगम की नीति के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है.

नोट – 29

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपनी योजना "विविध भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण' का क्रियान्वयन एनएफडीसी को सौंपा. इस योजना के अंतर्गत 31मार्च 2017 तक ₹ 50.60 करोड की राशि प्राप्त हुई. वर्ष के दौरान इन फिल्मों के वितरण से राजस्व प्राप्ति की रकम ₹ 2,23,78,647 (पिछले वर्ष ₹ ₹1,47,50,033) है जिसे कंपनी ने ऑर्डर नं. 202/21/2009-एफ (पीएसयू) दिनांक 04.08.2009 की शर्तों के मुताबिक पुन: इसी योजना में लगा दिया.

कंपनी ने फिल्मों के वितरण की मद में ₹ 74,72,587 खर्च किए (पिछले वर्ष : ₹ 43,85,071) जो उक्त योजना के अंतर्गत बनीं फिल्मों की पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग में खर्च हुए.

*Including Leave Benefit availed during the year which is accounted in Salary paid during the year.

a) The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take into account the inflation rate on Long term basis.

b) The employees of the company retire at the age of 60 years as per the policy of the Company.

Note – 29

The Ministry of Information and Broadcasting entrusted to NFDC the execution of its Plan Scheme of "Production of films in various Indian languages". Under the scheme, an amount of ₹ 50.60 Crore was received up to 31 March 2017. Revenue generated from distribution of these films during the year is ₹ 2,23,78,647 (Previous Year ₹ 1,47,50,033) that has been ploughed back by Company into the scheme as per the terms of the Order no.202/21/2009-F (PSU) dated 04.08.2009.

The company has incurred an expenditure of ₹ 74,72,587 towards distribution of films (Previous Year ₹ 43,85,071) for publicity and advertising of release of films under the above scheme.

फिल्म निर्माण के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से मिली अग्रिम राशि तथा उसके सदुपयोग का विश्लेषण इस प्रकार है –

The break up of advance received from the Ministry of Information and Broadcasting for film production and their utilization are as under –

राशि रुपयों में / Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at 31st March, 2017	31 मार्च 2016 को As at 31st March, 2016
सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम	Advance received from Ministry of Information and Broadcasting		
गत वर्ष में	Received in Earlier Year	49,60,00,000	49,60,00,000
चालू वर्ष में	Received in Current Year	1,00,00,000	–
(क)	(A)	50,60,00,000	49,60,00,000
जोडिए: बिक्री/आय उत्पन्न पुनर्निवेश द्वारा निधि	Add – Funds from Sale/Revenue Generation Plough back		
गत वर्ष में	In Earlier Year	6,95,77,351	5,48,27,318
चालू वर्ष में	In Current Year	2,23,78,647	1,47,50,033
	(I)	**9,19,55,992**	**6,95,77,351**
घटाइएं: वितरण/प्रचार व्यय	Less – Distribution/Publicity Expenses		
गत वर्ष में	In Earlier Year	1,95,55,973	1,51,70,902
चालू वर्ष में	In Current Year	74,72,587	43,85,071
	(II)	**2,70,28,560**	**1,95,55,973**
	(I-II)	**6,49,27,432**	**5,00,21,378**
फिल्म निर्माण के लिए उपलब्ध कुल निधि (ख)	**Total Fund available for Film Production (B)**	**57,09,27,432**	**54,60,21,378**
घटाइएं – फिल्म निर्माण के लिए कुल निधि व्यय किया गया	Less – Total Fund expensed for Film Production		
चालू वर्ष के दौरान व्यय किए गए	Expensed during the current year		7,28,30,000
गत वर्ष में व्यय किए गए	Expensed in earlier year	50,70,86,871	43,42,56,871
क्षेत्रीय फिल्म की सूची	Inventory of Regional Film	1,39,95,481	2,30,00,000
		52,10,82,352	53,00,86,871
विभिन्न फिल्मों के लिए आबंटित (क - ख)	**As allocated for various films**	**4,98,45,080**	**1,59,34,507**

नोट – 30

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के पत्र संख्या एम-35014/16/2015-डीओ (एफ आई) दिनांक 8 जनवरी 2016 के अंतर्गत सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय एवं नेशनल फिल्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस (एफएफओ) स्थापित करने के लिए मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए थे. (एफएफओ) स्थापित करने के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से ₹ 1,32,90,129 (पिछले वर्ष 170,00,000) स्वीकृत किये गये थे. वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 2,85,56,130/- (पिछले वर्ष ₹ 85,42,572) का राजस्व ऑपरेशंस से आय के अंतर्गत दर्ज किया तथा लाभ/हानि की मद में ₹ 2,61,98,285 (पिछले वर्ष ₹ 78,37,222) का खर्च प्रचालन व्यय के तौर पर दिखाया.

Note – 30

As per letter No. M-35014/16/2015-DO (FI) dated 8th January, 2016 of the Ministry of Information and Broadcasting, Memorandum of Understanding was signed between Ministry of Information and Broadcasting and National Film Development Corporation Ltd for setting up of Film Facilitation Office (FFO) of Ministry of I & B. The Ministry has sanctioned an expenditure of ₹ 1,32,90,129 (Previous Year ₹ 1,70,00,000) in connection with setting up of Film Facilitation Office. During the year, the company has accounted the Revenue of ₹ 2,85,56,130 (Previous Year ₹ 85,42,572) and disclosed the same under the head Income from Operations and the expenditure of ₹ 2,61,98,285 (Previous Year ₹ 78,37,222) has been disclosed under the head Operating Expenditure in the Statement of Profit and Loss Account.

नोट – 31

निदेशक मंडल ने 15 सितंबर 2009 को आयोजित अपनी पहली बैठक में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्राप्त पत्र संख्या 202/21/2009 – एफ (पीयूसी) दिनांक 06.08.09 पर विचार किया. निदेशक मंडल का यह मानना था कि फिल्म उद्योग में प्रचलित मानकों के अनुरूप ही राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को भी निर्माता की फीस के रूप में फिल्म निर्माण की कुल लागत का 10% तथा इसके द्वारा संपन्न कराई गयी

Note – 31

The Board of Directors in their meeting held on 15th September 2009 considered the letter No.202/21/2009 – F (PSU) dated 06/08/2009 received from the Ministry of Information & Broadcasting and decided that NFDC should be given a Production Fee of 10% of the total cost of production of a film and 15% Commission on all sales effected by it in accordance with

सभी बिक्रियों पर 15% कमीशन मिलना चाहिये क्योंकि ये खर्चे फिल्म के निर्माण तथा वितरण व्यय का अभिन्न हिस्सा हैं. इसी के अनुरूप निगम ने वर्ष के दौरान पूरी हुई दो फिल्मों के कुल निर्माण व्यय में से ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष 66,20,909) निर्माता की फीस के तथा ₹ 39,49,172 (पिछले वर्ष ₹ 28,01,764) फिल्मों की बिक्री के कमीशन के रूप में दर्शाये हैं जिन्हें फिल्म वितरण में शामिल किया गया है.

नोट – 32

मीडिया रिलीजों के लिये आय स्वीकृत वर्ष के दौरान लिये गये मीडिया कैंपेंस के अपने अपने आय व्यय के लेखे, टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट/प्रदर्शित किये गये विज्ञापनों के मूल्य का ग्राहक/मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वास्तविक मूल्य से सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापन/प्रमाणन के बाद किया जाता है. मीडिया अभियानों के संबंध में राजस्व और व्यय जिसके लिए सफल टेलीकास्ट/प्रसारण/विज्ञापन की उपस्थिति के वास्तविक मूल्य का सत्यापन/प्रमाणन की प्रक्रिया पिछले/चालू वित्तीय वर्ष की प्रवृत्ति के अनुसार अनुमानित ड्रॉप/कटौती से कम किए गए संबंधित अभियान की रिलीज़ राशियों के आधार पर अनंतिम आधार पर गणना की जाती है.

नोट – 33

निदेशक मंडल की राय में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों की व्यक्त राशियां सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत वसूल हो जाएंगी. मूल्य ह्रास और सभी ज्ञात देयताओं का प्रावधान पर्याप्त है और आवश्यकतानुकूल राशि से ज्यादा नहीं समझा जाएगा.

नोट – 34

कंपनी को अति लघु, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं से उनकी श्रेणी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है. गत वर्ष के अंत में भुगतान न की गई राशि ब्याज सहित अथवा देय से संबंधित प्रकटीकरण, यदि कोई है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, नहीं दिया गया है. वर्ष के अंत में विविध लेनदार संबंधित पार्टियों से पुष्टिकरण के अधीन है. कंपनी ने तुलनपत्र की तारीख को सभी ज्ञात देयताओं का प्रावधान किया है.

नोट – 35

सन 1991 में कुछ अचल संपत्तियों को गिरवी रख देने से प्राप्त जो ₹ 30,00,000 (पिछले वर्ष ₹ 30,00,000) तीन पार्टियों के पास रख दिया गया था, पार्टियों ने यह राशि लौटाई नहीं और तत्संबंधी प्रतिभूतियों को परिसमाप्त भी नहीं किया गया. इस जमा राशि की वापसी के लिये निगम ने इन पार्टियों के विरुद्ध मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ की और दो पार्टियों के साथ इस मध्यस्थता कार्यवाही का फैसला निगम के पक्ष में हुआ तथा दो पार्टियों को जमाराशि में से ₹ 18,00,000 निगम को लौटाने का निर्देश दिया गया. (पिछले वर्ष ₹ 18,00,000). बाकी बची ₹ 12,00,000 की राशि (पिछले वर्ष ₹ 12,00,000) के बारे में मध्यस्थता कार्यवाही अभी चल रही है. इसका लेखा खातों में उल्लेख नहीं किया गया है.

नोट – 36

फिल्म 'गांधी' के ओवरसीज वितरण से प्राप्त आय के मामले में लाभ एवं वितरण शुल्क का लेखा ओवरसीज एजेंसी से प्राप्त विवरण के आधार पर किया गया है. कंपनी को 31.03.2017 तक का ब्योरा प्राप्त हुआ है और वहां तक का हिसाब कर दिया गया है.

नोट – 37

कंपनी ने व्यापारिक/रिहायशी परिसर संचालन लीज पर दिए हैं. इस व्यवस्था के अंतर्गत आमतौर पर वापस कर दिए जाने वाली ब्याजमुक्त राशियां स्वीकार की गई हैं. उक्त व्यवस्था के अंतर्गत लीज से प्राप्त होने वाले किराए वर्ष के हानि-लाभ विवरण में दर्ज किए जाते हैं. किराए के ₹

industry norms as these expenses are an intrinsic component of the production and distribution budgets of a film. Accordingly the Company has accounted for ₹ NIL (Previous year ₹ 66,20,909) as Production Fees in the current year in respect of three films completed during the year and ₹ 39,49,172 (Previous year ` 28,01,764) as Commission on sale of films which is included in Distribution of films.

Note – 32

Revenue recognition for Media Releases, Revenue and Expense of respective Media Campaign undertaken during the year is accounted for after due verification/certification by the Chartered Accountants of the actual value of telecast/broadcast/ appearance of the advertisement out of the Release amounts approved by the client/ministry. Revenue and Expenses in respect of media campaigns for which verification/certification of the actual value of successful telecast/broadcast/appearance of advertisement in process, are accounted for on provisional basis on the basis of Release amounts of respective campaign reduced by the estimated drop/deduction as per the trend of previous/current financial year.

Note – 33

In the opinion of the Board, the current assets, loans and advances have been stated at amounts that would be realized in the ordinary course of business. The provision of depreciation and for all known liabilities is adequate and not in excess of amounts considered reasonably necessary.

Note – 34

The Company has not received any intimation from Suppliers regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid or payable as required under the said Act have not been given. Sundry creditors at the year end are subject to confirmation from the respective parties. The Company has provided for all known liabilities as on the Balance Sheet Date.

Note – 35

Deposits of ₹ 30,00,000 (Previous Year ₹ 30,00,000) placed with three parties in 1991 are secured against mortgage of immovable properties. The parties have not refunded the deposits and securities are also not liquidated. The Company has initiated arbitration proceedings against the parties for recovery of the deposits. Awards have been issued in favour of the Company against two parties for recovery of the deposit amounting to ₹ 18,00,000 (Previous Year ₹ 18,00,000) and the same has been filed in the High Court for decree. The Court process is going on. No provision has been made for the same in the books of accounts.

Note – 36

In case of revenue from Overseas Distribution of Film 'Gandhi', the accounting of profits and distribution fee has been done on the basis of receipt of statement from the overseas Agency. The Company has received the statement till 31.03.2017 and the same has been accounted.

Note – 37

The Company has given Commercial/Residential Premises on operating lease. Under this arrangement, generally refundable interest-free deposit have been taken. In respect of above arrangements, lease rentals receivable are recognized in the

1,70,45,617 (पिछले वर्ष ₹ 1,80,51,686) को नोट नं-19 में अन्य आय के अंतर्गत दिखाया गया है. ऑपरेटिंग लीज के संबंध में प्रारंभिक सीधे मूल्य को हानि-लाभ विवरण में दर्शाया गया है. कंपनी की महत्वपूर्ण लीज व्यवस्थाएं रिहायशी फ्लैट्स, कार्यालय स्थलों, प्लांट तथा मशीनरी और उपकरण आदि लीज पर देने के संबंध में है. यह व्यवस्था आमतौर पर 1 से लेकर 30 वर्ष तक के लिए है जिसे आपसी समझौते अथवा शर्तों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है. इन व्यवस्थाओं में आमतौर पर ब्याजमुक्त वापस कर दी जाने वाली राशियां दी गई हैं. इस व्यवस्था में वर्ष के लिए देय लीज किराए हानि-लाभ और किराए की मद में शामिल किए गए हैं. (नोट नं-23 में इनका अन्य आय के अंतर्गत उल्लेख किया गया है). वर्ष के लिए सभी कार्यकारी लीज का कुल खर्च रु 1,35,63,133 है. (पिछले वर्ष यह खर्च 1,21,69,036 था).

Statement of Profit and Loss for the year and are included Rental of ₹ 1,70,45,617 (Previous Year ₹ 1,80,51,686) (Disclosed under Other Income in Note No.19). The initial direct cost in respect of operating lease are recognized in the Statement of Profit and Loss. The company's significant leasing arrangements are in respect of residential flats, office premises, plant and machinery and equipment taken on lease. The arrangements range between 1 year and 30 years generally and are usually renewable by mutual consent or mutually agreeable terms. Under these arrangements, generally refundable interest free deposits have been given. In respect of above arrangements, lease rentals payable are recognized in the Statements of Profit and Loss for the year and included under Rent (Disclosed under Other Expenses in Note No.23). The aggregate rental expenses of all the operating leases for the year are ₹ 1,35,63,133 (Previous Year ₹ 1,21,69,036)

नोट – 38 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)

Note – 38 Deferred Tax Assets (Net)

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2017 को As at March 31, 2017	31 मार्च 2016 को As at March 31, 2016
समय में अन्तर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर परिसम्पत्तियां –	Deferred tax Assets arising on account of timing difference due to –		
मूल्य–ह्रास	Depreciation	62,80,737	62,16,555
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	Provision for Employee Benefits	2,83,75,614	2,60,80,751
संदिग्ध ऋणों/ऋणों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts/Loans	7,30,14,948	7,27,14,926
आगे लायी गई हानियां	Brought forward Losses	3,75,57,244	6,20,93,432
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुध्द)	**Net deferred tax assets**	**14,52,28,543**	**16,71,05,664**

चालू वर्ष में आस्थगित कर परिसम्पत्तियां ₹ 2,18,77,121/- की हैं. (पिछले वर्ष : ₹ 16,71,05,664).

Deferred Tax Asset accounted in current year ₹ (2,18,77,121)/- (Previous Year ₹ 16,71,05,664).

नोट – 39 संबंधित पक्षों के प्रकटीकरण

रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेज – नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड.

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक –

क.	सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक
ख.	सुश्री एन. जे. शेख	निदेशक (वित्त)
ग.	श्री सी. पी. गुप्ता	मुख्य वित्तीय अधिकारी
घ.	श्री ई. जे.पॉल	कंपनी सचिव

Note – 39 Related Party Disclosures

Reporting Enterprise – National Film Development Corporation Ltd.
Key Management Personnel –

a.	Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director
b.	Ms. N J Shaikh	Director Finance
c.	Mr. C P Gupta	Chief Financial Officer
d.	Mr. E. J. Paul	Company Secretary

संबद्ध पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण जो कि ए एस-18 के अंतर्गत आवश्यक है

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

Transactions with the Related Parties as required by AS-18 is given below –

Key Management Personnel

राशि रुपयों में
Amount in ₹

निदेशक का नाम	Name of the Director	लेन देन का स्वरूप	Nature of Transaction	2016-17	2015-16
सुश्री नीना लाठ गुप्ता, प्रबंध निदेशक	Ms. Nina Lath Gupta Managing Director	पारिश्रमिक	Remuneration	24,46,482/-	23,36,526/-
श्री साहब नारायण, निदेशक (वित्त) (त्यागपत्र की तारीख 27.05.2015)	Mr. Sahab Narain Director (Finance) (Date of Resignation 27.05.2015)	पारिश्रमिक	Remuneration	Nil	3,14,113/-
सुश्री एन. जे. शेख, निदेशक (वित्त) (सेवारंभ की तिथि 24.11.2015)	Ms. N J Shaikh Director (Finance) (Date of Joining 24.11.2015)	पारिश्रमिक	Remuneration	21,72,260/-	7,44,230/-
श्री सी. पी. गुप्ता, मुख्य वित्तीय अधिकारी	Mr. C P Gupta Chief Financial Officer	पारिश्रमिक	Remuneration	13,84,602/-	12,78,713/-
श्री इ.जे.पॉल, कम्पनी सचिव	Mr. E J Paul Company Secretary	पारिश्रमिक	Remuneration	16,20,255/-	15,09,563/-

नोट – 40 आय प्रति शेयर

Note – 40 Earnings per Share

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
इक्विटी अंशधारकों को रोप्य शुध्द लाभ/(हानि)	Net Profit/(Loss) attributable to Equity Shareholders	(1,91,00,252)	13,10,29,809
मूल के लिए इक्विटी शेयर्स की भारित औसत सं. (इपीएस)	Weighted Average No. of Equity Shares for Basic (EPS)	45,39,985	45,39,985
तनुकृत के लिए इक्विटी शेयर्स की भारित औसत सं. (इपीएस)	Weighted Average No. of Equity Shares for Diluted (EPS)	45,39,985	45,39,985
शेयर का अंकित मूल्य	Nominal Value of Share	100	100
प्रति शेयर आय – मूल	Equity Per Share – Basic	(4.21)	28.86
प्रति शेयर आय – तनुकृत	Earnings Per Share – Diluted	(4.21)	28.86

नोट – 41 निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण

Note – 41 Particulars of Directors Remuneration

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
प्रबंध निदेशक – पारिश्रमिक	Managing Directors Remuneration	22,38,174	21,41,052
इपीएफ का अंशदान	Contribution to EPF	2,08,308	1,95,474
श्री साहब नारायण, निदेशक (वित्त) – पारिश्रमिक (त्यागपत्र की तारीख 27.05.2015)	Remuneration of Director (Finance) (Mr. Sahab Narain) (Date of Resignation 27.05.2015)	Nil	2,87,775
इपीएफ का अंशदान	Contribution to EPF	Nil	26,338
सुश्री एन. जे. शेख, निदेशक (वित्त) – पारिश्रमिक (सेवारंभ की तिथि 24.11.2015)	Remuneration of Director (Finance) (Ms. N J Shaikh) (Date of Joining 24.11.2015)	19,96,646	6,84,651
इपीएफ का अंशदान	Contribution to EPF	1,75,614	59,579

नोट – 42

कंपनीज एक्ट 2013 के पैराग्राफ्स 5, (viii) b,5 (viii) 5 e and 5 (A) (j) के शिड्यूल 3 के पार्ट 2 के प्रावधानों के अंतर्गत अतिरिक्त सूचना, जहां तक उपयुक्त हो.

Note – 42

Additional information pursuant to the provisions of paragraphs 5, (viii) b,5 (viii) e and 5 (A) (j)of the part II of Schedule III to the Companies Act, 2013 to the extent applicable.

i) विदेशी मुद्रा में आय

राशि रुपयों में

विवरण	2016-17	2015-16
वस्तुओं/अधिकारों पर निर्यात आकलन एफओबी आधार पर किया गया	52,50,425	1,50,06,654

i) Earnings in Foreign Exchange

Amount in ₹

Particulars	2016-17	2015-16
Export on goods/rights calculated on FOB basis	52,50,425	1,50,06,654

ii) विदेशी मुद्रा में खर्च

राशि रुपयों में

विवरण	2016-17	2015-16
विदेशी यात्राएं/सहभागिता व्यय	69,16,177	69,40,795

ii) Expenditure in Foreign Currency

Amount in ₹

Particulars	2016-17	2015-16
Foreign Tours/Participation Expenses	69,16,177	69,40,795

iii) लेखा परिक्षकों को भुगतान

राशि रुपयों में

विवरण	2016-17	2015-16
लेखा परीक्षण की फीस	4,50,000	3,50,000
कर लेखा परीक्षण की फीस	1,00,000	1,00,000

iii) Payment to Auditors

Amount in ₹

Particulars	2016-17	2015-16
Audit Fees	4,50,000	3,50,000
Tax Audit Fees	1,00,000	1,00,000

नोट – 43

कंपनी के घाटे जमा हो कर बढ़ते रहे हैं और इसकी शुद्ध मिल्कियत का क्षरण होता गया है. चालू वर्ष तथा पिछले वर्षों में इसे शुद्ध हानि/ शुद्ध रोकड़ हानि हुई है. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने एनएफडीसी के जरिये भारतीय तथा विदेशी बाजारों में □भारतीय सिनेमा का उन्नयन' की योजना लागू करना बंद कर दिया है. इसके अलावा, जून 2013 में केंद्र सरकार द्वारा मीडिया कैंपेन्स के लिए डीएवीपी को एकमात्र एजेंसी बना दिया गया. इससे एनएफडीसी के बिजनस में 85 तक का क्षरण हो गया. लेकिन अप्रैल 2015 में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपने ऑर्डर नं-1/9/2009-एमयूसी दिनांक 30 अप्रैल 2015 के जरिये एनएफडीसी को केंद्र सरकार के मीडिया कैंपेन रिलीज करने की एजेंसी पुन: नोटिफाई कर दिया. इससे एनएफडीसी के लिए एक बार फिर से भारत सरकार के अनुमोदित रिवाइवल प्लान के मुताबिक काम करना संभव हो गया. कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान ₹ 141.53 करोड़ का मीडिया बिजनेस/नॉन फीचर फिल्म निर्माण किया जबकि पिछले वर्ष यह राशि 92.41 करोड़ थी. कंपनी को वित्त वर्ष 2017-18 से आगे और भी अधिक बिजनेस की उम्मीद है. इसके अलावा कंपनी को फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस के जरिये 2015-16 से और ज्यादा बिजनेस मिला है. फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस के जरिये ₹ 2.86 करोड़ का बिजनेस मिला. (पिछले वर्ष 0.85 करोड़). पिछले तीन वर्षों में लगातार करपूर्व घाटा उठाने के बाद चालू वर्ष के दौरान कंपनी को करपूर्व नाममात्र का लाभ हुआ. इसी के अनुसार वित्तीय विवरण □गोइंग कन्सर्न' आधार पर तैयार किए गए हैं.

Note – 43

The Company has accumulated losses and its net worth has been substantially eroded. It has earned a profit during the current year and incurred loss during previous year. The Ministry of Information & Broadcasting is no longer executing its Plan Scheme for "Promotion of Indian Cinemas in markets in India and abroad" through NFDC. Further, in June 2013, DAVP was made the sole agency for execution of media campaigns of the Central Government, thereby eroding NFDC's media business substantially during 2013-14 and 2014-15. However, in April 2015, vide Order no. 1/9/2009-MUC dated 30.04.2015, the Ministry of Information & Broadcasting has again notified NFDC as an agency to release Media Campaigns on behalf of the Central Government, thus enabling NFDC to once again run operations as per Revival Plan originally approved by the Government of India. The Company has done media business/ non-feature film production worth ₹ 141.53 Crores during the current financial year as against ₹ 92.41 Crores of previous year. The Company further expects to do more business from the financial year 2017-18 onwards. In addition the company has been granted new business from Film Facilitation Office (FFO) from the year 2015-16 onwards, revenue accounted from FFO is ₹ 2.86 crore (Previous Year ₹ 0.85 crore). The Company has made a nominal profit before tax during the current year after making losses before tax continuously during the last 3 years. Accordingly, the financial statements have been prepared on a going concern basis.

नोट – 44

फिल्म निर्माण, फिल्म वितरण आदि के क्षेत्र में नयी प्रतिभाओं को बढ़ाव देने के लिए कंपनी को फिल्म बाजार में एक निजी पक्ष से ₹ 10 लाख क विशेष सहायता प्राप्त हुई. इस सहायता का सदुपयोग कंपनी ने एक पुरस्कार प्राप्त फिल्म निर्माता को पोस्ट प्रोडक्शन खर्च पूरे करने के लिए अल्प अवधि का ब्याजमुक्त कर्ज देने के रूप में किया. कंपनी ने इस सहायता को आय के तौर पर दर्शाया और दिया गया ऋण, अग्रिम एवं ऋणों की मद में दर्ज किया गया.

Note – 44

The Company has received a special grant of ₹ 10 Lacs from a private party for encouraging and promoting new talent in the realm of film making, production and distribution at the Film Bazaar. The Company has utilized the said grant for providing short term interest free loan to an Award winning producer to fund post production and distribution expenses. The Company accounted the grant received as Income and the loan given is disclosed in Loans and Advances.

नोट – 45

दूरदर्शन 1980 से 2008 तक एनएफडीसी की फिल्में डीडी-1 और डीडी इंडिया पर दिखाने के लिए लेता रहा. दूरदर्शन ने जो पैसा एन एफ डी सी को देना था उसमें से उसने कुछ पैसा काट लिया. उस पैसे कप वापस लेने के लिए कोशिशें जारी हैं. इसके लिए उनके साथ जिन जरूरी दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जाना था, वह भी किया जा चुका. दूरदर्शन और एन एफ डी सी दोनों ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं अत: यह फैसला किया गया कि इस बारे में दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लें. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 में सुश्री सोमी टंडन को दूरदर्शन एवं एनएफडीसी के बीच विवादित सभी मामलों के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया. कंपनी की ओर से इस दिशा में निरंतर निगरानी की जा रही है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 11 अप्रैल 2017 को दूरदर्शन को निर्देश दिया है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाय़. कंपनी को उम्मीद है कि कोई हल निकल आएगा और दूरदर्शन की ओर बकाया राशि के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया.

Note – 45

Doordarshan has been sourcing films from NFDC for telecast on DD-1 and DD India since 1980 to 2008. Deductions were made by Doordarshan from the amounts due to NFDC. Attempts have been made to recover the amounts due and necessary documents required by DD have also been shared with them. Since both Doordarshan & NFDC are under the administrative Ministry of Information & Broadcasting, it was decided to resolve the issue through arbitration. The Ministry of Information and Broadcasting vide their letter dated 23rd February, 2010 nominated Ms. Somi Tandon as the Sole Arbitrator for settlement of various matters pending resolution between NFDC and Doordarshan. There have been constant follow up by the Company and the Ministry of I&B has also instructed Doordarshan in 11th April 2017 to settle the dispute at the earliest. The Company expects that the matter will be resolved and no provision is considered necessary towards the amounts due from Doordarshan.

Note – 46 Segment Reporting

The segment information required as per accounting standard 17 is given below –

टिप्पणी – 46 खण्डीय सूचना

लेखांकन मानक 17 के अनुसार आवश्यक खण्ड सूचनाएं निम्नांकित है –

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2016-17						2015-16					
		फिल्म निर्माण	फिल्म वितरण	सेवा परियोजनाएं	मीडिया अभियान	अन्य	कुल	फिल्म निर्माण	फिल्म वितरण	सेवा परियोजनाएं	मीडिया अभियान	अन्य	कुल
		Film Production	Film Distribution	Service Project	Media Campaign	Others	Total	Film Production	Film Distribution	Service Project	Media Campaign	Other	Total
खण्ड आय	Segment Revenue												
विदेशी बिक्री	External Sales	67,62,52,842	10,96,12,966	9,65,28,784	73,90,16,977	6,00,60,497	1,68,14,72,066	52,42,70,175	3,33,92,843	8,47,89,488	47,26,14,233	5,15,83,122	1,16,66,49,861
अंतर खण्ड बिक्री	Inter segment Sales	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल आय	Total Revenue	67,62,52,842	10,96,12,966	9,65,28,784	73,90,16,977	6,00,60,497	1,68,14,72,066	52,42,70,175	3,33,92,843	8,47,89,488	47,26,14,233	5,15,83,122	1,16,66,49,861
खण्ड व्यय	Segment Expenses	59,98,65,052	1,58,24,496	11,85,47,013	74,43,89,327	–	1,47,86,25,889	45,24,92,484	1,17,47,114	9,02,54,420	47,26,44,485	–	1,02,71,38,503
परिचालित लाभ (हानि)	Operation Profit/(Loss)	7,63,87,790	9,37,88,470	(2,20,18,229)	(53,72,350)	6,00,60,497	20,28,46,177	7,17,77,691	2,16,45,729	(54,64,932)	(30,252)	5,15,83,122	13,95,11,359
ब्याज व्यय	Interest Expenses	–	–	22,29,303	–	33,76,564	56,05,867	–	–	28,67,244	–	40,74,794	69,42,038
मूल्य -ह्रास	Depreciation	–	–	62,19,103	–	78,26,297	1,40,45,400	–	–	71,92,907	–	73,87,846	1,45,80,753
अनआबंटित व्यय	Unallocated Expenses	–	–	–	–	18,25,18,041	18,25,18,041	–	–	–	–	16,97,53,270	16,97,53,270
आयकर	Income Taxes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
साधारण गतिविधियों द्वारा लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) from ordinary activities	7,63,87,790	9,37,88,470	(3,04,66,636)	(53,72,350)	(13,36,60,405)	6,76,869	7,17,77,691	2,16,45,729	(1,55,25,083)	(30,254)	(12,96,32,788)	(5,17,64,705)
असाधारण मदें	Exceptional Item	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पूर्व वर्षों में आय कर	Deferred Tax and Income Tax for earlier Years	–	–	–	–	(1,97,77,122)	(1,97,77,122)	–	–	–	–	18,27,94,514	18,27,94,514
शुध्द लाभ/(हानि)	Net Profit/(Loss)	7,63,87,790	9,37,88,470	(3,04,66,636)	(53,72,350)	(15,34,37,527)	(1,91,00,253)	7,17,77,691	2,16,45,729	(1,55,25,083)	(30,254)	5,31,61,726	13,10,29,809
अन्य जानकारी	Other information						–						–
खण्डीय परिसम्पतियां	Segment Assets	32,92,95,425	11,50,11,694	7,74,79,191	54,50,68,257	1,08,54,85,128	2,15,23,39,695	30,72,27,714	6,56,79,746	15,20,54,594	23,14,55,581	1,05,12,12,779	1,80,76,30,414
अनआबंटित निगमित परिसम्पतियां	Unallocated Corporate Assets						–						–
कुल परिसम्पतियां	Total Assets	32,92,95,425	11,50,11,694	7,74,79,191	54,50,68,257	1,08,54,85,128	2,15,23,39,695	30,72,27,714	6,56,79,746	15,20,54,594	23,14,55,581	1,05,12,12,779	1,80,76,30,414
खण्डीय देयताएं	Segment Liablities	51,12,15,835	3,22,86,145	3,09,22,186	1,14,73,70,519	21,53,37,459	1,93,71,32,144	57,10,93,691	3,16,87,517	3,22,72,050	73,03,43,683	20,79,25,669	1,57,33,22,610
अन आबंटित निगमित देयताएं	Unallocated Corporate Liabilities						–	–					–
कुल देयताएं	Total Liabilities	51,12,15,835	3,22,86,145	3,09,22,186	1,14,73,70,519	21,53,37,459	1,93,71,32,144	57,10,93,691	3,16,87,517	3,22,72,050	73,03,43,683	20,79,25,669	1,57,33,22,610
पूंजीगत व्यय	Capital Work in Progress	–	–	27,87,773	–	–	27,87,773	–	–	21,86,004	–	–	21,86,004
अन्य	Other						–	–	–	–	–	–	–
कुल पूंजीगत व्यय	Total Capital Work in Progress	–	–	27,87,773	–	–	27,87,773	–	–	21,86,004	–	–	21,86,004
मूल्य - ह्रास	Depreciation	–	–	62,19,103	–	78,26,297	1,40,45,400	–	–	71,92,907	–	73,87,846	1,45,80,753
अन्य	Other						–	–	–	–	–	–	–
कुल मूल्य-ह्रास	Total Depreciation	–	–	62,19,103	–	78,26,297	1,40,45,400	–	–	71,92,907	–	73,87,846	1,45,80,753
मूल्य-ह्रास के अलावा अन्य गैर रोकड व्यय	Non cash expense other than depreciation	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

एफएफओ के खर्च और आय सेवा परियोजना के अंतर्गत ग्रुप मे है. * FFO Expenses & Income grouped under Service Projects

नोट – 47

पिछले वर्ष की राशियों का इस वर्ष की प्रस्तुतियों के साथ करने के लिये जहां लागू हो, वहां पुन: वर्गीकरण कर दिया गया

वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर		बोर्ड के लिए बोर्ड की ओर से
टस्की असोसिएट्स की ओर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन 008730एन)	**नीना लाठ गुप्ता** प्रबंध निदेशक डीआईएन नं. : 00350722	**एन. जे. शेख** निदेशक (वित्त) डीआईएन नं.07348075
मनोज कुमार शर्मा पार्टनर एम. नं. 084503	**सी. पी गुप्ता** मुख्य वित्तीय अधिकारी एम. नं. एसीएमए 16416	**ई.जे पॉल** कंपनी सचिव एम. नं. एफसीएस 4521

स्थान – मुंबई
दिनांक – 14 सितंबर 2017

Note – 47

Previous year figures have been re-classified to confirm with current year presentation, wherever applicable.

Signature to Notes Financial Statements		For and on behalf of Board
For TASKY ASSOCIATES, Chartered Accountants (FRN 008730N)	**Nina Lath Gupta** Managing Director DIN No. 00350722	**N J Shaikh** Director (Finance) DIN No.07348075
Manoj Kumar Sharma Partner M. No. 084503	**C P Gupta** Chief Financial Officer M. No. ACMA 16416	**E. J. Paul** Company Secretary M. No. FCS 4521

Place – Mumbai
Dated – 14th September 2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई
के सदस्यों के लिये

वित्तीय वक्तव्यों पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (द कंपनी) के संलग्न वित्तीय वक्तव्यों का लेखा परीक्षण किया है जिनमें के 31 मार्च 2017 को तथा उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखे तथा रोकड़ प्रवाह विवरण, साथ ही महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश भी शामिल है. ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन के दायित्व हैं. हमारा दायित्व इन विवरणों पर हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण के आधार पर अपनी राय जाहिर करना है.

सीएंड एजी के बताये गये अनुसार कम्पनी ने 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच निर्दिष्ट बैंक नोट्स में होल्डिंग एवं डीलिंग से संबंधित सूचना पृथक से नही दी गई है. जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के जी एस आर 308 (ई) दिनांक 30.03.2017 और कंपनीज एक्ट 2013 के संशोधन शिड्यूल III के अंतर्गत देनी होती है, अलग से दे दी गई है और इसलिये लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कंपनी एक्ट (ऑडिट एंड ऑडीटर्स) रूल 2014 के मुताबिक एक अलग समावेश दाखिल किया गया है जो कंपनी एक्ट (ऑडिट एंड ऑडीटर्स) रूल 11 के अनुसार है, साथ ही लेखा परीक्षण की रिपोर्ट के पैरा 2 (जी) में संशोधन किया गया है जहां 'रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट्स' का जिक्र है.

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का दायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जिनमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह का समुचित परिदृश्य उन लेखा मानकों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया हो जिनका उल्लेख कंपनी एक्ट 2013 (द एक्ट) के सेक्शन 134 (5) के अंतर्गत किया गया है. इस दायित्व में डिजाइन, परिपालन तथा आंतरिक नियंत्रणों की देखभाल आदि इस प्रकार शामिल हों जो विवरणों का सच्चा तथा समुचित परिदृश्य प्रस्तुत करें, जिसमें धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न कोई गलतबयानी न हो. साथ ही ये भारत में आमतौर पर अपनाये जाने वाले लेखा मानकों के अनुरूप हों जिनमें लेखाओं के वे मानक शामिल हों जिनका उल्लेख एक्ट के सेक्शन 133 में है जिसे कंपनी (अकाउंट्स) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाय, इस उत्तरदायित्व में एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप लेखाओं के समुचित रिकॉर्ड्स रखना भी शामिल है जिनसे कि कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा की जा सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके एवं उनका पता लगाया जा सके ; समुचित लेखा परीक्षण प्रणालियों का चुनाव करके उन्हें लागू किया जा सके ; तर्कसंगत निर्णय और अनुमान लगाये जा सकें ; समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तरीके सोच कर उन्हें लागू किया जा सके जिनसे लेखाओं के रिकॉर्ड्स की शुद्धता तथा संपूर्णता सुनिश्चित की जा सके, जिनकी सहायता से सच्चे एवं निष्पक्ष वित्तीय विवरण तैयार किये जा सकें जो धोखाधड़ी या फिर भूलचूक से उत्पन्न भ्रांतिपूर्ण विवरणों से मुक्त हों.

लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा दायित्व इन (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण के आधार पर अपनी राय जाहिर करना है.

हमने एक्ट के प्रावधानों, लेखा तथा लेखा परीक्षण के मानदंडों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जो कि लेखा परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किये जाने के लिए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक हैं.

हमने यह लेखा परीक्षण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण मानदंडों के अनुरूप किया है जिनका जिक्र एक्ट के सेक्शन 143 (10) के अंतर्गत किया गया है. इन मानदंडों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षण की योजना इस प्रकार बना कर काम करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का गलत आर्थिक विवरण नहीं दिया गया है.

Independent Auditor's Report

To
The Members of
National Film Development Corporation Limited
Mumbai

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of National Film Development Corporation Limited ("the Company") which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2017, the Statement of Profit and Loss, Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

It was pointed out by C&AG that the company has not separately disclosed the information, about holding and dealing in specified bank notes between the period 8th November 2016 to 30th December 2016,as required by notification of Ministry of Corporate Affairs vide G.S.R.308 (E) dated 30.03 2017 and amendment to Schedule III of Companies Act 2013 and therefore a separate inclusion in the auditor's report in accordance with rule 11 of the Companies (audit and Auditors) Rules 2014,is being made and audit report is revised by making amendment in para 2(g) of "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" below.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these (Standalone) financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

लेखा परीक्षण में विवरणों में दी गई राशियों का लेखा साक्ष्य प्राप्त करने लिये निष्पादन प्रक्रिया का समावेश है. जांच प्रक्रिया के लिये अपनाई गई पद्धति लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर होती है जिसमें मूल्यनिर्धारण संबंधी उन उन खतरों का समावेश होता है जो वित्तीय विवरणों की गलत बयानियों की वजह से होते हैं फिर चाहे ये गलतियां जान बूझ कर की गई हों अथवा गलती से हो गई हों. मूल्य निर्धारण के ये खतरे उठाने मे लेखा परीक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों को ध्यान में रखता है जो कंपनी की तरफ से प्रस्तुत न्यायोचित विवरणों एवं संतोषप्रद प्रस्तुतिकरण पर आधारित हों. इन्हीं के अनुसार वह लेखा परीक्षण की ऐसी पद्धति निर्धारित करता है जो परिस्थितियों के अनुकूल हो. लेखा परीक्षण में व्यवहार में लाई गई लेखा नीतियों का आकलन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किये गये लेखा संबंधी आकलन एवं आर्थिक विवरणों के सकल प्रस्तुतिकरण का अनुमान भी शामिल है. हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा प्रमाण उपलब्ध कराये गये वे पर्याप्त हैं तथा हमारी सशर्त लेखा राय के लिये पर्याप्त तथा उचित आधार प्रस्तुत करते हैं.

सशर्त राय का आधार

(क) विविध देनदारों के कुल शेषों की वसूली, ऋण एवं अग्रिमों तथा चालू देयताएं जिनमें कुछ शेष आयकर, टीडीएस, वैट और सेवा कर से संबंधित हैं, की पुष्टि होनी है और यदि कुछ हो तो तत्परिणामस्वरूप समंजन होना है. इसका यदि कोई वित्तीय परिणाम हो तो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है. (नोट संख्या 26 संदर्भित करें).

(ख) कंपनी के पास कोई आवश्यक जानकारी नहीं है ताकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के तहत देय ब्याज की गणना की जा सके, इसलिए प्रासंगिक जानकारी के अभाव में कोई ब्याज देयता नहीं दी गई थी और इसका यदि कोई वित्तीय परिणाम हो तो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है.

(ग) सन 1991 में कुछ अचल संपत्तियों को गिरवी रख देने से प्राप्त जो ₹ 30 लाख तीन पार्टियों के पास रख दिया गया था, उसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया. पार्टियों ने यह जमा राशि लौटाई नहीं और तत्संबंधी प्रतिभूतियों को लिक्विडेट भी नहीं किया गया. इस जमा राशि की वापसी के लिये कॉर्पोरेशन ने इन पार्टियों के विरुद्ध मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ की और मार्च 2007 में दो पार्टियों के साथ इस मध्यस्थता कार्यवाही का फैसला उन्हें जमाराशि में से ₹ 18 लाख वापस करने के निर्देश के रूप में कॉर्पोरेशन के पक्ष में हुआ. परंतू हाईकोर्ट में पेन्डिंग कार्रवाई की वजह से अभी तक वसूली हुई नही है. बाकी बची ₹ 12 लाख की राशि के बारे में मध्यस्थता कार्यवाही अभी चल रही है. (देखें संदर्भ नोट 35).

सशर्त राय

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं हमें दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार आर्थिक वक्तव्य में वह सारी सूचना, सिवाय उसके जो सशर्त राय के पैराग्राफ में संभावित प्रभावों के बारे में वर्णित है, प्रदान की गई है जिसे नियमों के अंतर्गत इस प्रकार दिया जाना चाहिये जिससे भारत में आमतौर पर मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और संतोषजनक आर्थिक दृश्य एवं 31 मार्च 2017 को कंपनी के मामलों की जो सही तस्वीर थी वह प्रस्तुत हो सके, इस तारीख को लाभ/हानि की स्थिति और रोकड़ प्रवाह का पता चल सके.

महत्वपूर्ण मामले

वित्तीय विवरण में दिये गये निम्न मामलों की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं.

1. आर्थिक विवरण के नोट नं. 43 में कहा गया है कि कंपनी में लगातार घाटा जमा हो रहा है और इसकी कुल कीमत का क्षय

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Basis for Qualified Opinion

(a) The Balances in Sundry Debtors, Loans and Advances, Deposits and Current Liabilities including few balances in respect of Income Tax, Service Tax, VAT, including outstanding balances for last few years are subject to confirmation and consequential adjustment, if any, on the reconciliation. The financial impact, if any, is unascertained. (Refer Note 26)

(b) The company does not possess any necessary information so as to calculate any interest payable under section 16 of the Micro Small and Medium Enterprises Development Act 2006, therefore no interest liability was computed in absence of relevant information and an impact on financial statement is unascertained.

(c) No provision is made in respect of deposit of Rs.30 Lacs placed with three parties in 1991 which are secured against mortgage of certain immovable properties. These parties have not refunded the deposits and the relevant securities are not liquidated. The Company has initiated arbitration proceedings against the parties for recovery of deposits and Arbitration awards have been made in favour of the Company in Mar 2007 for two parties for recovery of deposit of Rs.18 Lacs, however still the payments have not been recovered due to pending proceedings in High Court. For the balance amount of Rs.12 Lacs arbitration proceedings are still continuing. (Refer Note No 35).

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2017, and its Profit/Loss and its Cash Flow for the year ended on that date.

Emphasis Matters

We draw your attention to the following matters in the Notes to the financial statements –

1. Note No 43 to the financial statements indicates that the Company has accumulated losses and its net worth has been substantially eroded, the company has incurred

होता चला आ रहा है. कंपनी को इस वर्ष और पिछले वर्षों में भी नकद घाटा हुआ है. यह स्थिति 31 मार्च 2017 को अनिश्चय की ओर इंगित करती है. इसका मतलब यह भी निकलता है कि इन हालतों में कंपनी ज्यादा समय चल नहीं सकेगी. लेकिन, जैसा कि इस नोट में बताया गया है, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पुन: प्रवर्तन योजना के अंतर्गत, 30 अप्रैल 2015 के अपने ऑर्डर में कंपनी को मीडिया बिजनस फिर से सौंपने की बात कही है. इसी कारण इस नोट में वित्तीय विवरण चिंता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किये गये हैं.

2. सामान्यत: कंपनी गैर सरकारी ऋणियों के बुरे, संशयपूर्ण ऋणों, और ऐसे ऋणों के लिए नियमित चलन के अंतर्गत प्रावधान कर रही है जो तीन साल से ज्यादा पुराने हो गये हैं. ₹ 96,49,32,797 के कुल व्यापार प्राप्य में ₹ 4,89,12,800 के देनदार व्यापारी ऋण शामिल हैं जो सरकारी विभागों/एजेंसियों और इन देनदारों पर 5 साल से ज्यादा समय से बकाया है और जिन्हें कंपनी ने ठीक माना है. देनदारों की इतनी बकाया वसूली को संदेहास्पद बनाती है. वसूली को लेकर दूरदर्शन के साथ भी विवाद चल रहा है लेकिन कोई प्रावधान किया नहीं गया. कंपनी को ऐसे ऋणों के बारे में नीति अपनाने और वसूली को लेकर वास्तविक प्रस्तुति की जरूरत है.

3. कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 173 के प्रावधानों के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स होना आवश्यक है. हमने अपने लेखा परीक्षण में पाया कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी में निदेशकों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण एक भी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई. ऐसा 1.7 2015 से लागू, आवश्यक सेक्रेटेरियल प्रोविजन्स स्टैंडर्स के चलते किया गया. अत: निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की वित्तीय एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित कोई समीक्षा नहीं की गई.

अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि केंद्रीय भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम परिवर्तित एवं संशोधित, सेक्शन 143 की उपधारा (11) के अनुसार आवश्यक है, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 (द ऑर्डर) के संबंध में हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4 में उल्लिखित विषयों पर "अनुलग्नक क", संलग्न कर रहे हैं.

2. जैसा कि नियम की धारा 143 (3) में अपेक्षित है, हम उपरोक्तानुसार रिपोर्ट करते हैं कि –

(क) हमने वे सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिये आवश्यक थे.

(ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा रखे गये वे सब खाते तथा बहियां, जो कानून के अनुसार अपेक्षित हैं, उचित ढंग से तैयार करके रखे गये हैं. बही खातों की जांच से हमें यही अनुभूति हुई.

(ग) इस रिपोर्ट के साथ जिस तुलनपत्र तथा लाभ हानि के विवरण तथा रोक़ड प्रवाह से वास्ता रहा, उसका बही खातों से सामंजस्य था.

(घ) हमारी राय के अनुसार इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र तथा लाभ हानि खाते तथा रोक़ड प्रवाह मानक लेखाओं के अनुरूप हैं जिनका जिक्र कंपनी अधिनियम 133 जिसे कंपनीज (अकाउंट्स) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाय, में है

(ङ) चूंकि (सेक्शन 164 (2) नोटिफिकेशन 463 (ई) दिनांक 5.6 2015) की वजह से सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता, 31 मार्च 2017 को किन्हीं निदेशकों को सेक्शन 164 (2) के अंतर्गत अयोग्य पाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता,

cash losses in earlier years. These conditions, indicate the existence of an uncertainty as at March 31, 2017 that may cast a doubt about the company's ability to continue as a going concern. However, as disclosed in the said Note, the Ministry of Information and Broadcasting vide its order dated April 30, 2015 has restored the Media business to the Company in accordance with the revival plan approved by the Government of India and hence the financial statements have been prepared on a going concern basis for the reasons stated in the said Note.

2. In normal course, the company is making provision for bad and doubtful debt for any debts outstanding for more than 3 years, in respect to non govt debtors as regular practice. The total trade receivables of Rs. 96,49,32,797 includes debtors for a sum of Rs. 4,89,12,800 pertaining to government department/agencies and these debtors are outstanding for the period more than 5 years and were considered good by the company. Such long outstanding of debtors indicate recovery to be doubtful, and also there is ongoing dispute with Doordarshan on recoverability, yet no provision was made. The company needs to adopt a policy for making provisions in respect to such debts and a realistic presentation of recoverable should be made.

3. As per the provision of companies act 2013 under section 173, Minimum 4 board meetings are to be held in one calendar year. In our audit, we have noticed during the financial year 2016-17, company has not held any Board meeting due to insufficient strength of the Board pursuant to Secretarial provisions standards being made mandatory w.e.f. o1.07.2015. Therefore, the review of financial and other activities of the Company by the Board of Directors of the Company was not done by the Company.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), as amended, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. As required by section 143 (3) of the Act, we report that, subject to our qualifications remarks stated above –

(a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

(c) the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account

(d) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(e) Since Section 164(2) does not apply to Government Company (due to Notification No 463(E) dated 5.6.2015), the question of any of the directors being disqualified as on March 31, 2017 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act does not arise.

(च) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के कारण कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग एवं इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रभावशीलता के लिए कृपया "अनुलग्नक ख" में हमारी अलग से दी गई रिपोर्ट देखें.

(छ) कंपनियां (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे विचार में और हमारी अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपने लंबित मुदमों का जिक्र किया है. देखिये: वित्तीय विवरणों का नोट 25.

ii. कंपनी ने डेरीवेटिव अनुबंधों समेत कोई दीर्घकालीन अनुबंध नहीं किये हैं जिनमें भविष्य में हानि होने की कोई संभावना उत्पन्न होने की आशंका हो.

iii. ऐसे कोई लेखे नहीं पाए गये जिन्हें कंपनी द्वारा इन्वेस्टर एज्युकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो.

iv. **8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच निर्दिष्ट बैंक नोट्स के होल्डिंग तथा लेनदेन से संबंधित सूचना जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के जी एस आर 308 (ई) दिनांक 30.03.2017 और कंपनीज एक्ट 2013 के संशोधन शिड्यूल III के अंतर्गत देनी होती है, अलग से नहीं दी गई है.**

3. एक्ट के सेक्शन 143 (5) द्वारा आवश्यक रिपोर्ट अलग से "अनुलग्नक ग" में दी गई है.

टस्की एसोसिएट्स के लिए और उनकी ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. – FRN 008730N

मनोज कुमार शर्मा
(पार्टनर)
मेंबरशिप नंबर – 084503

स्थान – भोपाल
दिनांक – 02/11/2017

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us –

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note 25 to the financial statements;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

iv. **that the company has not separately disclosed the information, about holding and dealing in specified bank notes between the period 8th November 2016 to 30th December 2016,as required by notification of Ministry of Corporate Affairs vide G.S.R.308 (E) dated 30.03 2017 and amendment to Schedule III of Companies Act 2013**

3. Report required by section 143 (5) of the Act, is annexed separately as "Annexure C".

For and on behalf of
Tasky Associates
Chartered Accountants
Firm's registration number – FRN 008730N

Manoj Kumar Sharma
(Partner)
Membership number – 084503

Place – Bhopal
Date – 02/11/2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "क"

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का यह अनुलग्नक कंपनी के 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट `अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताएं' के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में –

(i)(क) कॉर्पोरेशन ने सभी अभिलेखों की साज सम्हाल सही तरीके से की है जिनमें सभी विवरण, व अचल संपत्तियों की स्थिति भी शामिल है, परिमाणात्मक विस्तार के साथ दिये गये हैं.

(ख) अचल संपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिये प्रबंधन ने सत्यापन की नियामक प्रक्रिया अनुरूप तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रत्यक्ष सत्यापन किया है जो हमारी राय के मुताबिक, कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के प्रकार को देखते हुए उपयुक्त है. और बुक रिकॉर्ड्स तथा प्रत्यक्ष सामान सूची के बीच किसी तरह की कोई विषमता नहीं पाई गई.

(ग) अचल संपत्तियों का टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है सिवाय स्पूतनिक में ऑफिस के लिए जगह लेने के जिसमें ग्रॉस ब्लॉक शामिल है (एकत्रित ₹ 2,76,539) वहां जहां हाउसिंग सोसाइटी द्वारा एनएफडीसी के पक्ष में सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट जारी किया गया है.

(i) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति समुचित अंतराल पर सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया. लेखा बहियों की तुलना में सम्पत्ति सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन पर कोई विसंगति नहीं पाई गई.

(ii) कंपनी ने दूसरी किन्हीं कंपनियों, फर्मों या दूसरी पार्टियों को जिन्हें एक्ट की धारा 189 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में शामिल किया गया है, कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिये हैं. तदनुसार, ऑर्डर के पैराग्राफ 3 की उपधारा (iii) (ए) और (iii) (बी) इस वर्ष के लिये कंपनी पर लागू नहीं होतीं.

(iii) हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने दूसरी किन्हीं कंपनियों, फर्मों या दूसरी पार्टियों को कंपनी एक्ट 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऋण नहीं दिये हैं और न ही कोई निवेश किया है. तद्नुसार, ऑर्डर के पैराग्राफ 3 की उपधारा (iv) कंपनी पर लागू नहीं होतीं और उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई.

(iv) कंपनी ने लोगों से कोई भी जमा राशि स्वीकार नहीं की है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम और कोई अन्य सम्बंधित प्रावधान तथा कम्पनी के (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 लोगों द्वारा स्वीकार किए गए जमा राशि के संबंध में लागू नहीं हैं।

(v). जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी द्वारा संचालित गतिविधियों के बारे में केंद्रीय सरकार ने एक्ट की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों रखना इंगित नहीं किया है.

(vi)(क) हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के रिकार्ड्स के मुताबिक कंपनी सभी अविवादित देनदारियां अदा करती रही है जिनमें भविष्य निधि, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, राजस्व शुल्क तथा इस पर लागू होने वाली अन्य वस्तुपरक संवैधानिक देयताएं शामिल हैं. इन्हें 31 मार्च 2017 वर्ष के दौरान उपयुक्त अधिकारी के पास सामान्यत: उनकी देय तिथि से 6 महीने पहले ही नियमित रूप से जमा कराया गया है.

Annexure – "A" to the Independent Auditors' Report

The Annexure referred to Independent Auditors' Report to the members of the Company in paragraph 1 under the heading 'Report on Other Legal & Regulatory Requirement' of our report of even date to the financial statements of the Company for the year ended March 31, 2017 –

(i)(a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets;

(b) The Fixed Assets have been physically verified by the management, which in our opinion, is reasonable having regard to the size of the company and nature of its business and no material discrepancies between the books records and the physical fixed assets have been noticed.

(c) The title deeds of immovable properties are held in the name of the company except in the case of Purchase of Office Premises at Sputnik included in the Gross Block (aggregating to Rs.2,76,539) where there is only Share Certificate issued by the Housing Society in favour of NFDC.

(i) The management has conducted the physical verification of inventory at reasonable intervals. There is no discrepancy noticed on physical verification of the inventory as compared to books.

(ii) The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability partnerships or other parties covered in the Register maintained under section 189 of the Act. Accordingly, the provisions of clause 3 (iii) (a) to (C) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(iii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not given any loan or done investment within the meaning of provisions of section 185 and I86 of the Companies Act, 2013.Accordingly, the provisions of clause 3 (iv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(iv) The Company has not accepted any deposits from the public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2015 with regard to the deposits accepted from the public are not applicable.

(v) As informed to us, the maintenance of Cost Records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of the activities carried on by the company.

(vi)(a) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Sales tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value added Tax, Cess and any other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above were in arrears as at March 31, 2017 for a period of more than six months from the date on when they become payable.

(ख) हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के रिकार्ड्स के मुताबिक बिक्री कर, संपत्ति कर, कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, चुंगी और सेस की ऐसी कोई देनदारी नहीं है जो किसी विवाद के कारण अदा न की गई हो.

आयकर की वे देनदारियां, जिन्हें विवादित मामलों की वजह से जमा नहीं कराया गया, इस प्रकार हैं –

(b) According to the information and explanation given to us, there are no dues of, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax outstanding on account of any dispute.

The Income tax dues which are not deposited on account of disputed matters are as under –

विधान का नाम	देनदारियों का स्वरूप	राशि	दूसरे वर्षों के रिफंड के अनुसार समायोजित	राशि से संबद्ध अवधि	न्यायाधिकरण फोरम, जहां विवाद लंबित है
आयकर-एक्ट, 1961	आयकर एवं ब्याज	1,95,32,214	1,28,31,534	मूल्यांकन का वर्ष 2013-14	आयकर कमिश्नर – अपील्स

Name of Statute	Nature of Dues	Amount	Adjusted against Refund of other years	Period for the amount relates	Forum where the dispute is pending
Income -tax Act, 1961	Income Tax and Interest	1,95,32,214	1,28,31,534	Asst Year 2013-14	Commissioner of Income Tax – Appeals

(vii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, केंद्र सरकार या डिबेंचर धारकों को ऋण के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है.

(vii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in the repayment of loan to Banks, financial Institution, Central Government or debenture holders.

(viii) लेखा परीक्षण की कार्यपद्धतियों के प्रदर्शन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या अग्रसर पब्लिक ऑफर के तौर पर (जिसमें ऋण दस्तावेज और मियादी ऋण भी शामिल हैं) किसी तरह के धन की उगाही नहीं की है. तदनुसार ऑर्डर का क्लॉज 3 (ix) कंपनी पर लागू नहीं होता और इसी कारण उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

(viii) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term Loans during the year. Accordingly, the provisions of clause 3 (ix) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(ix) लेखा परीक्षण की कार्यपद्धतियों के प्रदर्शन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी रिपोर्ट है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और न ही कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है.

(ix) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, we report that no fraud by the Company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

(x) लेखा परीक्षण की कार्यपद्धतियों के प्रदर्शन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, चूंकि यह कंपनी सरकारी कंपनी है, कंपनीज एक्ट के प्रावधान सेक्शन 197 जिसे शिड्यूल V के साथ पढ़ा जाय, इस कंपनी पर लागू नहीं होते और इसी कारण उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

(x) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, since the Company is a government company provisions of provisions of section 197 read with Schedule V to the Companies Act does not apply and hence not commented upon;

(xi) हमारी राय में यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है अत: ऑर्डर के प्रावधान क्लॉज 4 (xii) कंपनी पर लागू नहीं होते.

(xi) In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 4 (xii) of the Order are not applicable to the Company.

(xii) हमारी राय में, सभी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 177 और 178 के प्रावधानों के अनुरूप हैं और जैसा कि मान्य प्रचलित लेखा मानदंडों में आवश्यक माना जाता है. वित्तीय विवरणों में विस्तार दे दिये गये हैं

(xii) In our opinion, all transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, 2013 and the details have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards.

(xiii) लेखा परीक्षण की कार्यपद्धतियों के प्रदर्शन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों के कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किये और न ही पूर्णत: या आंशिक कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जारी किये. इस वजह से ऑर्डर के क्लॉज 3 (xiv) इस कंपनी पर लागू नहीं होते और इसी कारण उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

(xiii) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3 (xiv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(xiv) लेखा परीक्षण की कार्यपद्धतियों के प्रदर्शन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने डायरेक्टरों अथवा उनसे संबद्ध किन्हीं व्यक्तियों के साथ किसी

(xiv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash

तरह का नकदी रहित लेनदेन नहीं किया. इसके अनुरूप ऑर्डर के क्लॉज 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते. इसी कारण उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई.

(xv) हमारी राय में कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45 IA के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराए जाने की आवश्यकता नहीं है. इसी कारण ऑर्डर के क्लॉज 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और उन पर टिप्पणी नहीं की गई है.

टस्की एसोसिएट्स के लिए और उनकी ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. – FRN 008730N

मनोज कुमार शर्मा
(पार्टनर)
मेंबरशिप नंबर – 084503

स्थान – भोपाल
दिनांक – 02/11/2017

transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(xv) In our opinion, the company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provisions of clause 3 (xvi) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

For and on behalf of
Tasky Associates
Chartered Accountants
Firm's registration number – FRN 008730N

Manoj Kumar Sharma
(Partner)
Membership number – 084503

Place – Bhopal
Date – 02/11/2017

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "ख"

कंपनीज एक्ट 2013 (द एक्ट) के सेक्शन 143 के क्लॉज (i) के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट.

हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (द कंपनी) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है जिनमें के 31 मार्च 2017 को तथा उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के के साथ कम्पनी के स्टेन्डअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित करने और फिर उनकी देखरेख करने का दायित्व प्रबंधन का है ये कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों पर आधारित हों जिनमें चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में मार्गदर्शी नोट को दृष्टिगत रखते हुए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तथ्य सम्मिलित है. इस दायित्व में डिजाइन, परिपालन तथा आंतरिक नियंत्रणों की देखभाल आदि इस प्रकार शामिल हों जो कम्पनी के सुसंचालन को सुनिश्चित करें जिसमें कम्पनी की नीतियों का अनुपालन, कम्पनी के सम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं गलतियों की रोकथाम, समुचित परिदृश्य उन लेखा मानकों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया हो जिनका उल्लेख कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत किया गया है. लेखा अभिलेखों की सही तथा पूर्णता सुनिश्चित करें साथ ही समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करें जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 अपेक्षित है.

लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा दायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण पर राय प्रकट करना है. हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना लेखा परीक्षण ऑडिटिंग ऑफ इंटरनल फाइनांशियल कंट्रोल्स के दिशा निर्देश नोट्स (गाइडेंस नोट्स) के प्रावधानों और आई सी ए आई द्वारा जारी स्टैंडर्ड्स ऑन एडीटिंग के अनुसार करते हैं जहां तक वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं तथा आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानदंड आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण के लिए जहां तक लागू हो सकते हों, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षणों के लिए लागू होते हैं और दोनों ही इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गये हैं. वे मानदंड तथा दिशा निर्देश नोट, दोनों ही यह मांग करते हैं कि हम नीति विषयक आवश्यकताओं को मानें. लेखा परीक्षण में हमारी योजना एवं कार्यप्रणाली का लक्ष्य युक्तिसंगत रूप से यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुस्थापित हैं या नहीं, उनकी समुचित देखभाल हो रही है या नहीं और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में लागू हैं या नहीं.

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन से सामग्री दोष रहना और जोखिम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

Annexure – "B" to the Auditors' Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of National Film Development Corporation Limited ("the Company") as of 31 March 2017 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रणों का अर्थ ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग और वाह्य उद्देश्यों के लिए आमतौर पर मान्य लेखा परीक्षणों के सिद्धांतों के तार्किक भरोसे के लिए डिजाइन किया जाता है. वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किसी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) उन रिकॉर्ड्स की देखरेख से ताल्लुक रखती हों जो कंपनी की परिसंपत्तियों के संबंध में सारे क्रियाकलाप तर्कसंगत विस्तार में सही तरीके से प्रतिबिंबित कर सकें. (2). इस बात का समुचित भरोसा दिला सकें कि सभी वित्तीय विवरण लेनदेन के लेखांकन के आमतौर पर प्रचलित सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किये गये हों एवं कंपनी के खर्च तथा प्राप्तियों का विवरण प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों की प्राधिकृति सहित हों. (3). कंपनी की उन परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण पर रोकथाम अथवा समय पर उसका पता लगा लेना जिनका वित्तीय विवरणों पर आर्थिक प्रभाव पड़ता हो.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण जिनमें मिलीभगत अथवा अनुपयुक्त प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों की अनदेखी की संभावना बनी रहती है, गलती या धोखेबाजी की वजह से सामग्री के संबंध में गलतबयानी की जा सकती है जिसका पता न भी चले. साथ ही आने वाले दिनों के लिए किसी भी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन पर इस बात का खतरा बना रहता है कि बदलती परिस्थितियों या नीतियों की वजह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त सिद्ध हो जाएं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं में क्षय हो जाय.

राय

हमारी राय में, नीचे दी जा रही हमारी टिप्पणियों के आधार पर, कंपनी में सभी भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है. जो कि कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की कसौटी पर स्थापित किये गये थे जिनमें इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के दिशा निर्देशों को पूरी तरह समाहित किया गया है.

सशर्त राय का आधार

कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों के निम्न क्षेत्रों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को सुदृढ करने की आवश्यकता है –

1. आंतरिक लेखा परीक्षण लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र फर्म द्वारा किया जा रहा है. लेकिन रिपोर्ट्स समय पर दाखिल नहीं होतीं और इनका दायरा भी बढ़ाये जाने की जरूरत है जिससे कि वित्तीय और अन्य नियंत्रण विशेषकर प्रणालियों के लेखा परीक्षण और आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा को सुदृढ किया जा सके.

टस्की एसोसिएट्स के लिए और उनकी
ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. – FRN
008730N

मनोज कुमार शर्मा
(पार्टनर)
मेंबरशिप नंबर – 084503

स्थान – भोपाल
दिनांक – 02/11/2017

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

Subject to our comments below, In our opinion, the Company has, adequate internal financial controls system over financial reporting, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Basis for Qualified Opinion

The company needs to strengthen the internal financial controls over the following areas of business activities.

1. Internal audit is being done by Independent firm of Chartered Accountants. There is a need to strengthen the verification of statutory compliances. However the scope needs to be enlarged to strengthen the financial and other controls especially in field of systems audit and review of internal controls.

For and on behalf of
Tasky Associates
Chartered Accountants
Firm's registration number – FRN
008730N

Manoj Kumar Sharma
(Partner)
Membership number – 084503

Place – Bhopal
Date – 02/11/2017

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "ग"

एक्ट के सेक्शन 143 (5) के अंतर्गत रिपोर्ट

कंपनी के रिकॉर्ड्स के सत्यापन और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिशा निर्देशों पर एक्ट के सेक्शन 143 (5) की शर्तों के अनुसार नीचे एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं.

	छानबीन के क्षेत्र	निगरानी/नतीजे
1.	क्या कंपनी के पास क्रमानुसार फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड क्लियर टाइटल/लीज डीड्स हैं? अगर नहीं तो कृपया उस फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिनके लिए टाइटल/लीज डीड्स उपलब्ध नहीं हैं.	अचल परिसंपत्तियों के टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं (स्पूटनिक में ऑफिस खरीदने के मामले में अपवाद को छोड़ कर). उसमें ग्रॉस ब्लॉक (कुल मिला कर ₹ 2,76,539 तक हो गया था) और एन एफ डी सी के नाम पर सिर्फ सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट ही जारी किया गया है.
2	क्या उधारी/ऋणों/ब्याज आदि को छोड़ देने/बट्टखाते डाल देने जैसे कोई मामले हैं? यदि हां तो कारण एवं राशि स्पष्ट कीजिए.	वर्ष के दौरान ₹ 1,50,197 के बुरे ऋण बट्टे खाते डाले गये. हम इसका एक विवरण कारणों सहित संलग्न कर रहे हैं. कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार कोई भी ऋण प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल के क्रम के अनुरूप सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बाद ही अकाउंटेड किया जाता है.
3	क्या थर्ड पार्टियों के पास पड़े माल और सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी वर्ग से उपहार/ सहायता के तौर पर मिली परिसंपत्तियों के उचित रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं?	कंपनी के पास थर्ड पार्टियों के साथ कोई इन्वेंटरी नहीं है और न ही सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी वर्ग से उपहार/ सहायता के तौर पर मिली कोई परिसंपत्तियां हैं.

टस्की एसोसिएट्स के लिए और उनकी ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. – FRN 008730N

मनोज कुमार शर्मा
(पार्टनर)
मेंबरशिप नंबर – 084503

स्थान – भोपाल
दिनांक – 02/11/2017

Annexure – "C" to the Auditors' Report

Report under Section 143(5) of the Act

Based on the verification of records of the Company and based on information and explanation given to us, we give below a report on the directions issued by the Comptroller and Auditor-General of India in terms of Section 143(5) of the Act.

	Areas to be examined	Observation/Finding
1.	Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available	The title deeds of immovable properties are held in the name of the company except in the case of Purchase of Office Premises at Sputnik included in the Gross Block (aggregating to Rs. 2,76,539) where there is only Share Certificate issued by the Housing Society in favour of NFDC.
2	Whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons there for and amount involved.	Bad Debts has been written off during the year amounting to Rs.1,50,197. We are annexing a statement of details of same along with the reasons. As per the process of the Company any waiver of debt is accounted, only with the approval of Competent Authority in line with the Delegation of Authority.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/ grant(s) from the Govt. or other authorities.	The Company doesn't have any inventory with third parties and there is no asset received from government or other authorities as gift.

For and on behalf of
Tasky Associates
Chartered Accountants
Firm's registration number – FRN 008730N

Manoj Kumar Sharma
(Partner)
Membership number – 084503

Place – Bhopal
Date – 02/11/2017

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार, की टिप्पणियां

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. भारत के नियंत्रक और महालेखा अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है जो अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है. यह दिनांक **2 नवम्बर 2017 की उनकी संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट** में उनके द्वारा किये गये काम को बताया गया है.

मैंने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से **राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड** के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत पूरक लेखा परीक्षा संचालित की है. यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक परीक्षकों के कामकाज़ पत्रजात की पड़ताल किये बिना ही स्वतंत्र रूप से पूरी की गई और यह मूलत: वैधानिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी के कार्मिक से प्रारम्भिक पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों के चयनित परीक्षण तक सीमित रही. मेरे द्वारा किये गये लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं आया जिस पर टिप्पणी की जा सके अथवा वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक हों.

महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक,
भारत सरकार की ओर से

(एल. सिद्धार्थ सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षक
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षक मंडल – IV

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक – 22/11/2017

Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of National Film Development Corporation Ltd. for the year ended 31st March 2017

The preparation of financial statements of **National Film Development Corporation Limited** for the year ended 31st March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditor's appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their **Revised Audit Report dated 2nd November 2017.**

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of **National Film Development Corporation Limited** for the year ended 31 March 2017. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor's and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(L.Siddhartha Singh)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board – IV

Place – New Delhi
Date – 22/11/2017

डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, छठी मंजिल, नेहरू सेंटर, डॉ अॅनी बेसंट रोड, वरली, मुम्बई 400 018
Discovery of India Building, Nehru Centre, 6th Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018
T 91 22 6628 8288 | **F** 91 22 2495 2262
E nfdc@nfdcindia.com | www.nfdcindia.com
CIN U92100MH1975GOI022994